

[2004] 1 उम. नि. प. 67

इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन और एक अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

14 अगस्त, 2003

मुख्य न्यायमूर्ति वी. एन. खरे, न्यायमूर्ति एस. एन. वरियावा, न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन्, न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 19(1)(छ) और अनुच्छेद 30(1) – शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार – शिक्षा संस्थाओं द्वारा अपना निजी फीस ढांचा नियत किया जाना – संस्था को चलाने और छात्रों के फायदे के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संस्था अपना निजी फीस ढांचा नियत करने की हकदार है किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस प्रभारित की जाए और प्रत्येक राज्य सरकार फीस ढांचा नियत करने के

लिए विशेषज्ञ व्यक्तियों की एक उच्च समिति गठित करेगी।

संविधान, 1950 - अनुच्छेद 30(1), 19(1)(छ), 26(क), 29(2) और 14 तथा उद्देशिका - अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार - छात्रों के प्रवेश के सम्बन्ध में अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं का समता का अधिकार - उक्त उपबंधों के अनुसार अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं को अपने निजी समुदाय/भाषा के छात्रों को प्रवेश देने का अधिमानी अधिकार प्राप्त है, जबकि गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

संविधान, 1950 - अनुच्छेद 19(1)(छ), 26(क) और 30(1) - अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार - निजी गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश का तरीका और सीटों के आरक्षण का प्रतिशत - गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग के गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों के प्रबंधतंत्र द्वारा छात्रों के प्रवेशार्थ सीटों का निश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जा सकता है और ऐसा करते समय सरकार स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगी जबकि अल्पसंख्यक-वर्ग के महाविद्यालयों में प्रवेशार्थ सीटों का प्रतिशत स्थानीय आवश्यकताओं के अलावा समुदाय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नियत किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले की सुनवाई का बड़ा ही निराला इतिहास है। उन्नीकृष्णन् जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित स्कीम के निबंधनानुसार स्ववित्त पोषित शिक्षा संस्थाएं अपनी रुचि के 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने की हकदार थीं और शेष सीटें राज्य द्वारा भरी जानी थीं। राज्य और विभिन्न प्राधिकारियों ने उक्त स्कीम के अनुसार विनियम बनाए। इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन ने इन विनियमों की विधिमान्यता को प्रश्नगत करते हुए वर्ष 1993 उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका फाइल की। इस रिट याचिका और इससे संबंधित याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त न्यायपीठ का प्रथम दृष्ट्या यह विचार था कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था को अपने स्वयं के चयन की रीति अपनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है, अतः सेंट स्तिफेन्स कालेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय वाले मामले में दिए गए विनिश्चय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया गया और यह निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में जो प्रश्न उद्भूत हुए हैं, उनका उत्तर बृहत्तर न्यायपीठ द्वारा प्रामाणिक रूप से दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात् इन मामलों को सात न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस न्यायपीठ ने यह निदेश दिया कि इस मामले को कम से कम ग्यारह न्यायाधीशों वाले न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए क्योंकि यह महसूस किया गया कि संविधान के 42वें संशोधन जिसके द्वारा शिक्षा को सातवीं अनुसूची की सूची-3 की प्रविष्टि 25 में सम्मिलित किया गया है के दृष्टिगत इस प्रश्न का अवधारण महत्वपूर्ण है कि अल्पसंख्यक-वर्ग किस को माना जाए।

तारीख 31 अक्टूबर, 2002 को उच्चतम न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य वाले मामले का निर्णय दिया गया। इस मामले में बहुमत वाले निर्णय का भारत संघ, विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षा संस्थाओं ने अलग-अलग अर्थ निकाला। विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न कानून/विनियम अधिनियमित/विरचित किए। इसके कारण अनेकों न्यायालयों में मुकदमों किए गए। उनमें पारित अन्तरिम आदेशों को इस न्यायालय में चुनौती दी गई। दोनों पक्षों ने अपने-अपने निवेदनों के समर्थन में बहुमत वाले निर्णय के विभिन्न उद्धरणों का अवलम्ब लिया। परस्पर विरोधी निवेदनों को दृष्टिगत करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया गया :-

(1) क्या शिक्षा संस्थाएं अपनी निजी फीस ढांचा नियत करने की हकदार हैं ?

(2) क्या अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं का एक जैसा स्तर है और उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं ?

(3) क्या प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त कालेज अपनी शत-प्रतिशत सीटें भरने के हकदार हैं, यदि नहीं, तो किस विस्तार तक ? और

(4) क्या प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त कालेज अपना प्राइवेट तरीका विकसित करके छात्रों को प्रवेश प्रदान करने के हकदार हैं ?

उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पूर्व विनिश्चित टी. एम. ए. पई वाले मामले के बहुमत वाले निर्णय के आलोक में उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए और रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – सरकार ऐसी कोई कठोर फीस संरचना नियत नहीं कर सकती है। संस्था को चलाने के लिए निधि इकट्ठा करने और छात्रों के फायदे के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता पर विचार करते हुए प्रत्येक संस्थान को अपनी निजी फीस संरचना नियत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें अधिशेष (निधि) जुटाने में अवश्य ही समर्थ होना चाहिए और इस निधि का उपयोग उस शिक्षा संस्था की बेहतरी और विकास के लिए किया जाना चाहिए। निर्णय के पैराग्राफ 56 में स्पष्टतः यह अधिकथित है कि प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में विनिश्चय करने का अधिकार अवश्यमेव ही उन प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो सरकार से किसी प्रकार की निधि की ईप्सा नहीं करती हैं और न ही वे इसके लिए उस पर निर्भर हैं। प्रत्येक संस्था अपनी निजी फीस संरचना नियत करने की हकदार होगी। प्रत्येक संस्थान की फीस संरचना उपलब्ध अवसररचना और प्रसुविधाओं, किए गए विनिवेश, अध्यापक और कर्मचारिवृन्द को संदत्त वेतन, विस्तार की भावी योजना और/या संस्था की बेहतरी आदि को ध्यान में रखते हुए नियत की जानी चाहिए। वास्तव में, कोई मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए और कैपिटेशन फीस प्रभारित न की जाए। अतः इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि बहुमत निर्णय के अनुसार शिक्षा प्रदान करना निश्चित ही पूर्ण (खैराती) प्रकृति का कार्य है। इस प्रकार अधिशेष/लाभ जो कमाया गया, का उपयोग उस शिक्षा संस्था के फायदे के लिए ही किया जाना चाहिए। लाभ/अधिशेष का उपयोग प्राइवेट अभिलाभ या किसी अन्य कारबार या उद्यम के लिए नहीं किया जाए। वर्तमान में, ऐसे कानून/विनियम हैं जो फीस नियतन को शासित करते हैं और चूंकि इस न्यायालय ने अभी तक उन कानूनों/विनियमों की विधिमान्यता पर विचार नहीं किया है, इसलिए यह निदेश दिया जाता है कि टी. एम. ए. पई वाले मामले में के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारें और संबंधित प्राधिकारी प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, की अध्यक्षता में समिति का गठन करेगा। अन्य सदस्य जिसे न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट होगा। संस्था की प्रकृति के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि भी सदस्य होगा। यथास्थिति, आयुर्विज्ञान शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का प्रभारी राज्य सरकार का सचिव समिति का सदस्य और समिति का सचिव होगा। समिति ख्यातिप्राप्त एक अन्य स्वतंत्र व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट/सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी जिससे कि समिति के सदस्यों की कुल संख्या 5 से अधिक न हो। प्रत्येक शिक्षा संस्था को अपनी प्रस्थापित फीस संरचना शैक्षणिक वर्ष के काफी पहले इस समिति के समक्ष रखनी होगी। प्रस्थापित फीस संरचना के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज और लेखा-बही भी समिति के समक्ष संवीक्षा के लिए पेश की जाएगी। तत्पश्चात् समिति यह विनिश्चित करेगा कि क्या उस संस्था द्वारा प्रस्थापित फीस न्यायानुमत है और क्या मुनाफाखोरी तो नहीं की जा रही है या कैपिटेशन फीस तो नहीं ली जा रही है। समिति इस फीस संरचना को अनुमोदित करने या कोई अन्य फीस प्रस्थापित करने जो संस्था द्वारा प्रभारित की जा सकती है, के लिए स्वतंत्र होगी। समिति द्वारा नियत फीस तीन वर्ष की अवधि के लिए आबद्धकर होगी और इस अवधि की समाप्ति पर संस्था पुनरीक्षण आवेदन फाइल करने के लिए स्वतंत्र होगी। समिति द्वारा एक बार फीस नियत कर दिए जाने पर संस्था नियत फीस के अलावा कोई अन्य रकम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभारित नहीं कर सकती है। यदि

किसी अन्य शीर्ष या रूप अर्थात् दान के रूप में कोई अन्य रकम प्रभारित की जाती है, तो यह कैपिटेशन फीस प्रभारित करने के समान होगा। सरकार समुचित प्राधिकारी समुचित विनियम यदि ये पहले से विरचित नहीं किए गए हैं, विरचित करने पर विचार करेंगे और यदि इनके अधीन यह पाया जाता है कि कोई संस्था कैपिटेशन फीस प्रभारित कर रही है या मुनाफा कमा रही है तो उस संस्था को समुचित रूप से दंडित किया जा सकता है और उसकी मान्यता/संबद्धता भी समाप्त की जा सकती है। न्यायालय के मतानुसार शिक्षा संस्था एक समेस्टर/वर्ष के लिए विहित फीस ही प्रभारित कर सकती है। यदि कोई संस्था महसूस करती है कि कोई विशिष्ट छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ सकता है तो अधिक-से-अधिक वह उस छात्र से ऐसा बंधपत्र/बैंक प्रत्याभूति देने की अपेक्षा कर सकती है कि यदि छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो वह पूरे पाठ्यक्रम की अधिशेष फीस संस्था को प्रदान करेगा। यदि किसी शिक्षा संस्था ने अग्रिम रूप से फीस ले ली है, तो वह (संस्था) केवल उस समेस्टर/वर्ष की ही फीस का उपयोग कर सकती है। अधिशेष फीस का राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में विनिधान करना होगा। जब फीस समेस्टर/वर्ष के लिए शोध्य है तो केवल उस समेस्टर/वर्ष के लिए शोध्य फीस को ही संस्था प्रत्याहृत कर सकती है। शेष रकम उस समय तक बैंक में जमा रहेगी जब तक यह रकम शोध्य नहीं हो जाती। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर इस जमा पर अर्जित ब्याज, उस छात्र को जिससे फीस अग्रिम रूप से वसूल की गई, अवश्य ही संदाय किया जाएगा। (पैरा 5 और 6)

निस्संदेह पहली नजर में यह प्रतीत होता है इन पैराग्राफों में दोनों प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को बराबर माना गया है। तथापि, इन पैराग्राफों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि जो अधिकथित किया गया है उसका सार यह है कि अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने की प्रत्याभूति या आश्वासन प्राप्त है। इन पैराग्राफों में मात्र यह उपबंध है कि विधि नियम और विनियम ऐसे नहीं हो सकते हैं कि वे अल्पसंख्यक संस्थाओं की तुलना में बहुसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं का पक्ष लें। इन पैराग्राफों से यह अभिप्राय नहीं निकाला जा सकता कि गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को वही अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को प्रदत्त किए गए हैं। गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को अनुच्छेद 30 का संरक्षण प्राप्त नहीं है। इस प्रकार, कतिपय मामलों में उनका वह स्तर नहीं है और न ही हो सकता है जो अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं का है। यद्यपि अनुच्छेद 30 के सिद्धान्त के अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक-वर्गों को संरक्षण प्राप्त हो और उनके साथ समान बर्ताव किया जाए फिर भी अनुच्छेद 30 के अधीन प्रदत्त विशेष अधिकार उन्हें कतिपय फायदे प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने का विनिश्चय कर सकती है। उस दशा में यह अधिनियमित किया जा सकता है कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को अनुज्ञा न दी जाएगी। गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाएं ऐसी अधिनियमिति द्वारा आबद्ध हो सकती हैं। तथापि, अल्पसंख्यक-वर्गों को अनुच्छेद 30 के अधीन दिया गया अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है और अल्पसंख्यक-वर्गों को अब भी अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का मूल अधिकार होगा। इसी भांति, यद्यपि सरकार को किसी गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था का प्रबंध ग्रहण करने का अधिकार है, किन्तु अनुच्छेद 30 में दिए गए संरक्षण के कारण किसी अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था का प्रबंध ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, उसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्र हित में भी अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्था को बंद नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं को अपनी निजी समुदाय/भाषा के छात्रों को प्रवेश देने का अधिमानी अधिकार है। जहां तक गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं का संबंध है उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है। (पैरा 7)

यह स्पष्ट किया जाता है कि अल्पसंख्यक-वर्ग का व्यावसायिक महाविद्यालय अपने प्रबंधतंत्र के कोटा के अंतर्गत किसी अन्य समुदाय के छात्र के अधिमानतः अपने स्वयं के समुदाय/भाषा के छात्र को प्रवेश दे सकता है चाहे वह अन्य छात्र अधिक मेधावी ही क्यों न हो। तथापि, अपने समुदाय/भाषा के छात्रों का चयन करते/प्रवेश देते समय उन छात्रों के बीच की परस्पर योग्यता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अपने स्वयं के समुदाय/भाषा के छात्रों की चयन करते/प्रवेश देते समय वे अपने समुदाय/भाषा के छात्रों के बीच की परस्पर योग्यता की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अपने समुदाय/भाषा के सदस्यों का प्रवेश भी, सिवाय इसके कि अपने निजी छात्रों के मामले में यह केवल उन छात्रों के बीच की परस्पर योग्यता के अनुसार हो, कड़ाई से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि सीटें उनके समुदाय/भाषा के सदस्यों से नहीं भरी जा सकती हैं, तब अन्य छात्रों को राज्य अभिकरणों द्वारा आयोजित की गई सामान्य प्रवेश परीक्षा पर आधारित योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों के व्यावसायिक महाविद्यालयों के प्रबंधतंत्र उस कोटे में जो उन्हें आबंटित किया गया है छात्रों को कैसे प्रवेश प्रदान करें, निस्संदेह बहुमत वाले निर्णय में इस कटु सत्य को ध्यान में रखा गया कि ऐसे व्यावसायिक महाविद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है जो मुनाफाखोरी में लिप्त हैं और/या कैपिटेशन फीस ले रहे हैं। इसी कारण से बहुमत वाले निर्णय में यह उपबंधित है कि व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। यह ठीक ही निवेदन किया गया कि मुनाफाखोरी/कैपिटेशन फीस लेने पर नियंत्रण करना तब तक असंभव है जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है कि प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया गया। यह भी उचित ही कहा गया कि यदि किसी छात्र से एक से अधिक प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है तो इससे बड़ी कठिनाई होगी। प्रत्येक संस्था द्वारा प्रभारित आवेदन फीस से भले ही वह केवल 500 रु. से 1000 रु. तक क्यों न हो, ऐसे छात्रों पर भारी बोझ पड़ेगा जिनके लिए अनेकों महाविद्यालयों में आवेदन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी उचित ही कहा गया कि यदि छात्रों को प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा आयोजित अलग-अलग परीक्षाओं में भाग लेना पड़ेगा तो इससे उन्हें विभिन्न स्थानों पर आने-जाने और ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी छात्रों को अलग-अलग संस्थाओं की परीक्षा में भाग लेने के लिए जाना पड़ेगा तो संभव है कि वह विशिष्ट संस्था के परीक्षा स्थल पर समय से न पहुंच पाए। योग्यता पर आधारित चयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। पैराग्राफ 68 में यह उपबंधित है कि प्रबंधतंत्र “स्वयं या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा” आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दे सकता है। “सामान्य प्रवेश परीक्षा” शब्दों से स्पष्टतः यह उपदर्शित है कि प्रत्येक संस्था अलग-अलग परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रबंधतंत्र अपने कोटा के छात्रों का चयन या तो राज्य द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर या उस राज्य में स्थित विशिष्ट प्रकार के अर्थात् चिकित्सा, इंजीनियरी या तकनीकी आदि सभी महाविद्यालयों के किसी संगम द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर कर सकता है। किसी संगम द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा राज्य में स्थित उस तरह के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए होनी चाहिए। इन परीक्षाओं में से किसी को भी चुनने के विकल्प का प्रयोग विवरणिका जारी करने के पूर्व और संबंधित प्राधिकारी और इसमें इसके पश्चात् स्थापित समिति को सूचित करने के पश्चात् किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यावसायिक महाविद्यालय संगम द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में से प्रवेश न देने का विकल्प चुनता है तो उस महाविद्यालय को अवश्यमेव ही राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में से प्रवेश देना होगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने के पश्चात् सभी महाविद्यालयों को उन छात्रों की जिनका चयन इस परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए किया गया है सूचना पट्ट पर तुरंत योग्यता लगानी होगी। योग्यता सूची की प्रति तत्काल संबंधित प्राधिकारी और समिति को भी भेजी जाएगी। इसके पश्चात् छात्रों का चयन कड़ाई से उस योग्यता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

वास्तव में जैसाकि पहले उपदर्शित किया गया, अल्पसंख्यक-वर्गों के महाविद्यालय अपना कोटा अपने निजी छात्रों में से परस्पर योग्यता के आधार पर भरने के हकदार होंगे। छात्र द्वारा अभिप्राप्त रैंक संख्या ली गई फीस और सभी विशिष्टियों और ब्यौरे, जो संबंधित अधिकारी या समिति द्वारा अपेक्षित हैं, के साथ प्रवेश दिए गए छात्रों की सूची तत्काल उन्हें (छात्रों को) उपलब्ध करायी जाएगी। प्रश्न पत्र और उत्तर-पुस्तिकाएं ऐसी अवधि तक संरक्षित रखी जाएं जो संबंधित प्राधिकारी या समिति उपदर्शित करे। यदि यह पाया जाता है कि किसी छात्र को योग्यता से परे प्रवेश दिया गया है तो उस संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है और समुचित मामलों में मान्यता/संबद्धता भी प्रत्याहृत की जा सकती है। बहुमत वाले निर्णय के पैराग्राफ 68 में विश्वविद्यालयों/राज्य को केवल मान्यता/संबद्धता देते समय योग्यता पर आधारित चयन का उपबंध करने की अनुज्ञा दी गई है। यह भी निवेदन किया गया कि गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों को एक बार मान्यता/संबद्धता प्रदान कर दिए जाने पर तो ऐसा अनुबंध बाद में नहीं जोड़ा जा सकता है। न्यायालय यह निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ है। ऐसा उपबंध मान्यता/संबद्धता प्रदान करते और ऐसी मान्यता/संबद्धता देने के पश्चात् भी किया जा सकता है। यह निदेश दिया जाता है कि संबंधित राज्य सरकार एक स्थायी समिति नियुक्त करे जो यह सुनिश्चित करेगी कि महाविद्यालयों के संगम द्वारा संचालित परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हों। प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग समिति गठित की जाएगी। समिति का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश का नामनिर्देशन उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा। न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य सदस्य प्रतिष्ठित चिकित्सक या इंजीनियर होगा (जो इस पर निर्णय करेगा कि क्या संस्था आयुर्विज्ञान या इंजीनियरी/तकनीकी है)। यथास्थिति, आयुर्विज्ञान या तकनीकी शिक्षा प्रभारी राज्य का सचिव भी सदस्य होगा और समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। समिति शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किसी निष्पक्ष व्यक्ति और उस राज्य के विश्वविद्यालय के एक उप कुलाधिपति को नामनिर्दिष्ट/सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी ताकि समिति के सदस्यों की कुल संख्या पांच से अधिक न हो। समिति को संगम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के निरीक्षण की शक्ति होगी। इसके अंतर्गत प्रस्तावित प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों को मंगाने, प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्तियों और परीक्षकों के नाम जानने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्न पत्र लीक न हो अपनाए जाने वाले तरीके की जांच करने की शक्ति होगी। समिति पर्यवेक्षण करके यह सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा उचित और पारदर्शी ढंग से हो। समिति को ऐसी संस्था को जो स्थापित है और जिसे पिछले कम से कम 25 वर्षों से अपनी निजी प्रवेश प्रक्रिया अपनाने की अनुज्ञा दी गई है, अपनी निजी प्रवेश प्रक्रिया अपनाने की अनुज्ञा देने की शक्ति होगी और यदि समिति यह महसूस करती है कि ऐसी संस्था की राज्य सरकार द्वारा उसे आबंटित कोटा के अतिरिक्त अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने की आवश्यकता वास्तविक आवश्यकता है तो वह अनुज्ञात कर सकेगी। किसी संस्था को छूट प्रदान करने या राज्य द्वारा नियत कोटा के प्रतिशत में फेरफार करने से पूर्व समिति राज्य सरकार को सुनेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक-वर्ग या गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग के गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रबंधतंत्र द्वारा छात्रों के प्रवेश के लिए कोटे का भिन्न प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर पृथक्-नियत किया जाएगा और कोटा के प्रतिशत के नियतन के संबंध में किसी विवाद की दशा में प्रबंधतंत्र समिति के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी किसी भी संस्था, जो स्थापित नहीं है और जिसने पिछले कम से कम 25 वर्षों से अपनी निजी प्रवेश प्रक्रिया नहीं अपनायी है, यहां उपरिवर्णित रीति से छात्रों को प्रवेश देने से छूट के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी या उसे छूट प्रदान नहीं की जाएगी। राज्यों में दो प्रकार की समिति गठित करने का निदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन पारित किया गया है जो संसद द्वारा समुचित विधान अधिनियमित किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा। प्रत्येक राज्य ऐसी समितियों के गठन पर उपगत व्यय वहन करेगा। अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं

तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और पारिश्रमिक भी संबंधित राज्य सरकार वहन करेगी। (पैरा 13, 14, 16, 17 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2003]	[2003] अमरीकी उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 23 जून, 2003 को विनिश्चित : जेन्निफर ग्रेट्ज एंड पैट्रिक हैमचर बनाम ली बालिंगर ;	115
[2003]	[2003]4 उम. नि. प. 141 = (2002) 8 एस. सी. सी. 481: टी. एम. ए. पर्ई फाउन्डेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य ;	1, 27
[2003]	जे.टी. (2003) 5 एस. सी. 1 : कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य ;	209
[2003]	(2003) 5 एस. सी. सी. 568 : भारत संघ बनाम छज्जू राम;	143
[2002]	(2002) 1 एस. सी. सी. 589 : महाराष्ट्र राज्य बनाम मेडिकल एसोसिएशन और अन्य ;	11
[2002]	(2002) 3 एस. सी. सी. 496 : हरियाणा वित्तीय निगम बनाम जगदम्बा आइल मिल्स और एक अन्य ;	138
[2002]	(2002) 3 एस. सी. सी. 533: पद्मासुन्दराराव (मृत) और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य ;	138
[2002]	(2002) 1 एस. सी. सी. 580: महाराष्ट्र राज्य बनाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य ;	135
[2001]	(2001) 2 एस. सी. सी. 533 : कार्यपालक इंजीनियर, धेनकनाल लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा और अन्य बनाम एन. सी. बुधराज (मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य ;	137
[2001]	(2001) 7 एस. सी. सी. 573 : हमीद जोहरन (मृत) और अन्य बनाम अब्दुल सलाम (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य ;	140
[1993]	(1993) 1 एस. सी. सी. 645 : उन्नीकृष्णन् जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य ;	25, 47
[1992]	(1992) 1 एस. सी. सी. 558 : सेन्ट स्टीफन कालेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय;	47
[1992]	(1992) सप्ली 1 एस. सी. सी. 272 : केशव चन्द्र जोशी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ;	142
[1990]	(1990) 2 एस. सी. सी. 715 : सीधी भर्ती वर्ग 2 इंजीनियरी अधिकारी एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य ;	142

[1988]	[1988] 1 उम. नि. प. 447 = (1987) 4 एस. सी. सी. 137 : जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाम रेणुसागर पावर कंपनी ;	139
[1985]	(1985) 1 एस. सी. सी. 345 : मैसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य ;	140
[1984]	(1984) 3 एस. सी. सी. 654 : प्रदीप जैन बनाम भारत संघ ;	176
[1984]	(1984) 4 एस. सी. सी. 296 : सुनील जैतली और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ;	132
[1980]	(1980) 2 एस. सी. सी. 478 : आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश ;	122
[1979]	(1979) 2 एस. सी. सी. 124 : लिली कुरियन बनाम एस. आर. लेबिना ;	123
[1974]	(1974) 1 एस. सी. सी. 717 : अहमदाबाद सेन्ट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य ;	12
[1970]	(1970) 2 एस. सी. सी. 417 : केरल राज्य बनाम वैरी रैव. (परम श्रद्धेय) मदर प्राविशियल ;	12
[1970]	(1970) 2 एस. सी. सी. 2079 : केरल राज्य बनाम मदर प्राविशियल ;	122
[1969]	ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 465 : रैव. (श्रद्धेय) फादर प्रूस्ट बनाम बिहार राज्य ;	12
[1965]	ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1887 : राजेश्वर प्रसाद मिश्र बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य और एक अन्य ;	140
[1963]	[1963] 3 एस. सी. आर. 837 : रैव. (आदरणीय) सिद्धजभाई बनाम मुंबई राज्य ;	12, 122
[1958]	ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 956 : केरल शिक्षा विधेयक वाला मामला ;	12
[1957]	[1957] एस. सी. आर. 874 : मुंबई राज्य बनाम आर. एम. टी. चमारबागवाल ;	64
[1877]	(1877) 94 यू. एस. 113 : मन्न बनाम इलिनाइस ;	209

आरंभिक रिट (सिविल) अधिकारिता : 1993 की रिट याचिका (सिविल) सं. 350.

संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका ।

पक्षकारों की ओर से

सर्वश्री राजू रामचन्द्रन् और आर. एन. त्रिवेदी (अपर महासालिसिटर), एफ. एस. नरीमन, राकेश द्विवेदी, ए. के. गांगुली, एच. एन. सालवे, के. के. वेणुगोपाल, डॉ. राजीव धवन, मोहन पाराशरन्, पी. पी. राव, वी. आर. रेड्डी, दीपांकर पी. गुप्त, एस. के. ढोलकिया, टी. आर. अंध्यार्जुन, कैलाश वासदेव, आर. मोहन, के. राजेन्द्र चौधरी, एम. एन. कृष्णमणि, यशांक अद्यारु, पी. एस. मिश्र (वरिष्ठ अधिवक्ता), डॉ. (श्रीमती) रोक्साना एस. स्वामी, ए. लोबो, सुभाष सी. शर्मा, रमेश एन. केशवानी, भरत संघल शेषाचल, सुश्री निरंजना सिंह, सर्वश्री दया कृष्णन्, निखिल नय्यर, त्रिदीप पायस, अभिषेक चौधरी, सुश्री विमल सिन्हा, सर्वश्री एम. वी. शेषाचल, मधु नायक, एस. सुकुमारन्, सुरेश उन्नीकृष्णन्, सुश्री दिव्या नय्यर, सर्वश्री के. राजीव, मधुसूदन आर. नायक, एस. रविन्द्र भट्ट, नवीन आर. नाथ, संजय शरावत, सुश्री हेतु अरोड़ा, विजय नारायण, सी. बी. एन. बाबू, विमल राय जद, रत्न सिंह (केरल सरकार के महाधिवक्ता), के. आर. शशिप्रभू, जॉन मैथ्यू, अनिल थॉमस, जी. प्रकाश, एस. उदय कुमार सागर, सुश्री बीना माधवन, सर्वश्री प्रशांत पी., पी. एच. पारेख, कृष्णा श्रीनिवासन, ई. आर. कुमार, रोहित एलेक्स, एस. नंद कुमार, वी. विजयन, एम. योगेश कन्ना, जितेन्द्र शंकर, अनुज श्रीवास्तव, राकेश कुमार शर्मा, अजीत कुमार सिन्हा, एस. डब्ल्यू. ए. कादरी, सुश्री रेखा पांडे, श्री डी. एस. मेहरा, सुश्री अनिल कटियार, सर्वश्री के. सी. कौशिक, अशोक कुमार पांडे, प्रीतिश कपूर, प्रतीक जालान, सुनील मैथ्यूज, ए. एन. जया राम (कर्नाटक सरकार के महाधिवक्ता), संजय आर. हेगड़े, सत्य मित्र, अनिल कुमार मिश्र, सुश्री महालक्ष्मी पवांनी, श्री मनिन्दर सिंह, सुश्री प्रतीभा एम. सिंह, सर्वश्री अंगद मिरधा, अंकुर तलवार, कीर्तिमान सिंह, डी. एस. मेहरा, जी. प्रभाकर, जे. एस. अटरी, गोपाल प्रसाद, टी. पी. रत्नम, के. सुब्बु राव, सुश्री ए. सुभाषिनी, श्री एस. आर. भट्ट, सुश्री मीनाक्षी विज, सर्वश्री टी. एन. सुब्रह्मण्यम्, भवानीशंकर वी. गाडनीश, शिव कुमार सूरी, ए. मरियारपुत्तम, सुश्री अरुणा माथुर, सर्वश्री ए. के. श्रीवास्तव, एस. एस. शमशेरी, सुश्री कृष्णा शर्मा, सुश्री आशा जी. नायर, सर्वश्री वी. के. सिद्धार्थन्, साकेश कुमार, एस. के. अग्निहोत्री, टी. एस. शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, सर्वश्री अजय शर्मा, के. एच. नोबिन सिंह, सुश्री एच. वाही, यू. यू. ललित, एस. एस. शिन्दे, मुकेश के. गिरि, एस. के. सान्धिलया, सुश्री वी. डी. खन्ना, श्री रणजी थॉमस, सुश्री भारती उपाध्याय, सर्वश्री अरुण पेडनेकर, वी. एन. रघुपति, अनिल श्रीवास्तव, गोपाल सिंह, नवीन प्रकाश, सुश्री कीर्ति मिश्रा, सर्वश्री अनीस सुहरावदी, नीरज जैन, सुश्री कविता काडिया, सर्वश्री वी. जी. प्रगासम, ए. एस. रावत (उत्तरांचल सरकार के अपर महाधिवक्ता), जे. के. भाटिया, आर. एस. सूरी, जगजीत सिंह छाबरे, चन्द्र भूषण प्रसाद, शैलेश मंडियाल, सी. एस. वैद्यनाथन, पी. एन. रामालिंगम, पी. बालाजी, टी. राजा, राकेश कुमार शर्मा, प्रशांत भूषण, एन. एल. गणपति, भरत कुमार, भूपेन्द्र यादव, सुश्री शीला गोयल, सुश्री सुमीता हजारिका, सुश्री मधु मूलचंदानी, सर्वश्री आर. संधाना कृष्णन्, डी. महेश बाबू, दूभल सी. डावे,

सुश्री अपर्णा भट्ट, सर्वश्री पी. रमेश कुमार, इजाज मकबूल, वाजिद अली कामिल, उज्ज्वल कुमार झा, सुश्री मीनाक्षी नाग, सुश्री सरला चन्द्र, सर्वश्री संजय सेन, राणा एस. विश्वास, गौरव अग्रवाल, प्रशांत कुमार, जोसेफ पुक्कट, टी. एन. सुब्रह्मण्यम्, एम. कमारुद्दीन, श्रीमती एम. कुमारुद्दीन, सर्वश्री अंबार कुमारुद्दीन, मनीष गोस्वामी ।

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति वी. एन. खरे ने दिया ।

मु. न्या. खरे – तारीख 31 अक्टूबर, 2002 को इस न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने टी. एम. ए. पर्ई. फाउन्डेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य¹ वाले मामले का निर्णय दिया । निर्णय के पैराग्राफ 3 में संक्षिप्त पृष्ठभूमि उपवर्णित है कि इस न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने कैसे इस मामले का विनिश्चय किया । यह संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है :-

“3. इन मामलों की सुनवाई का एक निराला ही इतिहास है । इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन द्वारा फाइल 1993 की रिट याचिका संख्या 350 और इससे संबंधित याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । चूंकि न्यायपीठ का प्रथम दृष्ट्या यह विचार था कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था को चयन की अपनी स्वयं की रीति अपनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है और इस न्यायालय द्वारा सेन्ट स्टीफेन कालेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय वाले मामले में दिए गए विनिश्चय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया गया था, इसलिए, यह निदेश किया गया कि इस संबंध में जो प्रश्न उद्भूत हुए हैं उन का उत्तर वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा प्रामाणिक रूप से दिया जाना चाहिए । इसके पश्चात् इन मामलों को सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । विरचित विवाद्यकों को नया रूप दिया गया और 6 फरवरी, 1997 को न्यायालय ने यह निदेश दिया कि इस मामले को कम से कम ग्यारह न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष रखा जाए क्योंकि यह महसूस किया गया कि संविधान के 42 वें संविधान को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा शिक्षा को सातवीं अनुसूची की सूची-3 की प्रविष्टि 25 में सम्मिलित किया गया है, इस प्रश्न पर कि “अल्पसंख्यक-वर्ग” किसको माना जाए विचार करना आवश्यक है क्योंकि पूर्विक निर्णयज विधि का संबंध संशोधन के पूर्व काल से है जब शिक्षा केवल राज्य सूची में थी 1”

तारीख 31 अक्टूबर, 2002 को निर्णय दिए जाने के पश्चात् भारत संघ, विभिन्न राज्य सरकारों और शिक्षा संस्थाओं ने बहुमत निर्णय का अलग-अलग अर्थ निकाला । विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न कानून/विनियमन अधिनियमित/विरचित किए । इनके कारण अनेकों न्यायालयों में मुकदमे किए गए । उनमें पारित अन्तरिम आदेशों की इस न्यायालय में चुनौती दी गई । जब ये मामले इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष आए तो रिट याचिकाओं और विशेष इजाजत याचिकाओं के पक्षकारों ने अपने तरीके से जैसा उन्हें अच्छा लगा बहुमत के विनिश्चय का निर्बचन करने का प्रयास किया और इस प्रकार उनके अनुरोध पर इन सभी मामलों को पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष रखा गया । इन परिस्थितियों में इस न्यायपीठ का गठन किया गया ताकि संदेह/विसंगतियां, यदि कोई हैं, को दूर किया जा सके ।

2. हमारे समक्ष के अधिकांश पक्षकार/गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं (अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों) हैं । याचियों/आवेदकों की ओर से यह निवेदन किया गया कि बहुमत निर्णय के अंत में यथा उपवर्णित प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में निर्णय का सही विनिश्चयाधार अधिकथित है । यह निवेदन किया गया कि निर्णय के मुख्य भाग में की गई किसी भी मताभिव्यक्ति को दिए गए उत्तरों के संदर्भ

¹ [2003] 4 उम. नि. प. 141 = (2002) 8 एस. सी. सी. 481.

में पढ़ा जाना चाहिए। हम इस निवेदन को स्वीकार नहीं कर सकते। उपर्युक्त पढ़े वाले मामले के बहुमत निर्णय में प्रश्नों के उत्तर निर्णय में अधिकथित विनिश्चयाधार का मात्र संक्षिप्त संकलन हैं। निर्णय का विनिश्चयाधार संपूर्ण निर्णय को पढ़ने के पश्चात् ही निकाला जाना चाहिए। वस्तुतः निर्णय में उपवर्णित बातें ही निर्णय का विनिश्चयाधार हैं। निश्चय ही प्रश्न का उत्तर निर्णय में उपवर्णित बात के संदर्भ में ही पढ़ा जाना चाहिए न कि अलग से। किसी मताभिव्यक्ति, तर्क और सिद्धान्त के बारे में यदि कोई संदेह हो, तो निर्णय के दूसरे भाग को देखा जाना चाहिए। निर्णय की एक पंक्ति यहां से और दूसरी पंक्ति दूसरी जगह से पढ़कर निर्णय का संपूर्ण विनिश्चयाधार नहीं निकाला जा सकता है। अतः हम अपना स्पष्टीकरण देते हुए निर्णय के उन भागों जिनका अवलंब लिया जा सकता है से भिन्न निर्णय के दूसरे भागों पर भी दृष्टिपात करना चाहेंगे।

3. संक्षेप में अन्य निवेदन इस प्रकार हैं। याचियों/आवेदकों की ओर से यह भी निवेदन किया गया कि प्रबंधन द्वारा गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों से गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में भरी जाने वाली सीटों के प्रतिशत का नियतन, जैसा कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किया गया, अनुज्ञेय नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं को न केवल विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में बल्कि अपनी फीस संरचना के अवधारण के संबंध में भी पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। यह निवेदन किया गया कि ये संस्थाएं अपनी फीस संरचना नियत कर सकती हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा के विकास और संस्था के विस्तार के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त राजस्व अधिशेष भी शामिल है और जब तक मुनाफाखोरी या कैपिटेशन फीस प्रभारित करने की बात न हो, सरकार को किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह निवेदन किया गया कि छात्रों के प्रवेश प्रदान करने का अधिकार प्रशासन के अधिकार का आवश्यक पहलू है और जब तक गैर-सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश निष्पक्ष और पारदर्शी और योग्यता के आधार पर न हो तब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यह निवेदन किया गया कि ये संस्थाएं प्रवेश का तार्किक और पारदर्शी तरीका जो यह सुनिश्चित करे कि योग्यता का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है अपनाकर/विकसित करके अपनी सभी सीटें भर सकती हैं। यह निवेदन किया गया कि हर हाल में संस्थाओं को अपने पंसद के अनुसार कार्य करने और आई. सी. एस. सी. या एस. एस. सी. या ऐसी अन्य परीक्षा के आधार पर छात्रों को प्रवेश प्रदान करने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि विशेष प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को प्रत्येक राज्य में संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजनार्थ स्वयं को सहयुक्त करने के लिए अनुज्ञात किया जाए। अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं की ओर से यह निवेदन किया गया कि वे अपने निजी समुदाय/भाषा के छात्रों से अपनी सभी सीटें भरने के हकदार हैं। गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं की ओर से यह निवेदन किया गया कि उनका भी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासित करने का मूल अधिकार है और बहुमत निर्णय द्वारा उन्हें भी अल्पसंख्यक-वर्ग संस्थाओं के बराबर रख दिया गया है।

4. इसके प्रतिकूल भारत संघ, विभिन्न राज्य सरकारों और कुछ ऐसे छात्रों, जिन्होंने मध्यक्षेप करने की ईप्सा की, की ओर से यह निवेदन किया गया कि शिक्षा संस्था स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं है और यह अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधनों के अध्यधीन है और यह अधिकार (अल्पसंख्यक-वर्ग संस्थाओं के संबंध में भी) राष्ट्रहित के अध्यधीन हैं। यह निवेदन किया गया कि शिक्षा प्रदान करना राज्य का कृत्य है लेकिन संसाधनों की तंगी के कारण राज्य पर्याप्त संख्या में शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं। यह निवेदन किया गया संसाधनों की तंगी के कारण राज्यों ने प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को राज्य के कृत्य करने की अनुज्ञा दे दी है। यह निवेदन किया गया कि भारत संघ, राज्यों और विश्वविद्यालयों को फीस नियत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि (क) किसी प्रकार की मुनाफाखोरी न है; (ख) कैपिटेशन फीस न ली जाए; (ग) प्रवेश योग्यता के सिद्धान्तों पर हो; और (घ) यह

सुनिश्चित करने के लिए कि पिछड़े वर्गों और समाज के निर्धन वर्गों के व्यक्तियों को भी शिक्षा विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो, छात्रों का प्रवेश विनियमित करने का कानूनी अधिकार है। यह निवेदन किया गया कि यदि इन शिक्षा संस्थाओं को प्रवेश प्रदान करने की बाबत अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अनुज्ञात कर दिया जाता है तो छात्रों को बहुत परेशानी और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें विभिन्न कालेजों में आवेदन पत्रों के लिए खर्च करना पड़ेगा और विभिन्न कालेजों में होने वाली परीक्षाओं में उपस्थित होना पड़ेगा। यह भी कहा गया कि यदि प्रत्येक संस्था 500/- रु. से 1000/- रु. तक प्रभारित करे, तो एक छात्र को अंततः आवेदन फीस के रूप में काफी पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि सामान्य प्रवेश परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया के अभाव में छात्रों को अनेकों कालेजों में आवेदन करना होगा। यह निवेदन किया गया कि छात्रों को प्रत्येक कालेज में जाने-आने के लिए परिवहन पर भी खर्च करना होगा और सभी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए एक कालेज से दूसरे में आना-जाना यदि असंभव न सही, कष्टसाध्य तो है ही। यह निवेदन किया गया कि जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि सभी कालेज सामान्य प्रवेश परीक्षा में योग्यता के आधार पर यथेष्ट रूप से छात्रों को प्रवेश प्रदान करे तब तक यह सुनिश्चित करना असंभव होगा कि कैपिटेशन फीस प्रभारित की गई या नहीं और किसी प्रकार की मुनाफाखोरी तो नहीं की गई। यह भी कहा गया कि कुछ कालेज तब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं करते हैं जब तक छात्र मोटी रकम देने के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं। यह निवेदन किया गया कि बहुमत निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 30 का अधिनियमन अल्पसंख्यक-वर्ग शिक्षा संस्थाओं को कोई अलग अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान करने के प्रयोजन से नहीं लिया गया है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि अल्पसंख्यक वर्गों को बहुसंख्यक वर्गों के साथ समान अधिकार प्राप्त हैं। यह निवेदन किया गया कि अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाएं गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग शिक्षा संस्थाओं को मिले अधिकारों से अधिक या बेहतर अधिकारों का दावा नहीं कर सकती हैं।

5. दोनों पक्षों ने अपने-अपने निवेदनों के समर्थन में बहुमत निर्णय के विभिन्न उद्धरणों का अवलंब लिया। इन उद्धरणों को यहां दोहराया जा रहा है :-

परस्पर विरोधी निवेदनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :-

- (1) क्या शिक्षा संस्थाएं अपनी निजी फीस संरचना नियत करने की हकदार है;
- (2) क्या अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं का एक जैसा स्तर है और उनके पास एक जैसे अधिकार हैं ;
- (3) क्या प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त कालेज अपनी शत-प्रतिशत सीटें भरने के हकदार हैं, यदि नहीं, तो किस विस्तार तक ; और
- (4) क्या प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त कालेज प्रवेश का अपनी निजी तरीका विकसित करके छात्रों को प्रवेश प्रदान करने के हकदार हैं।

प्रश्न सं. 1

जहां तक प्रथम प्रश्न का संबंध है, हमारे मतानुसार बहुमत निर्णय बहुत स्पष्ट है। सरकार ऐसी कोई कठोर फीस संरचना नियत नहीं कर सकती है। संस्था को चलाने के लिए निधि इकट्ठा करने और छात्रों के फायदे के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता पर विचार करते हुए प्रत्येक संस्थान को अपनी निजी फीस संरचना नियत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें अधिशेष (निधि) जुटाने में अवश्य ही समर्थ होना चाहिए और इस निधि का उपयोग उस शिक्षा संस्था की बेहतरी और विकास के लिए किया जाना चाहिए। निर्णय के पैराग्राफ 56 में स्पष्टतः यह अधिकथित है कि प्रभारित की जाने वाली फीस के

संबंध में विनिश्चय करने का अधिकार अवश्यमेव ही उन प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो सरकार से किसी प्रकार की निधि की ईप्सा नहीं करती हैं और न ही वे इसके लिए उस पर निर्भर हैं। प्रत्येक संस्था अपनी निजी फीस संरचना नियत करने की हकदार होगी। प्रत्येक संस्थान की फीस संरचना उपलब्ध अवसंरचना और प्रसुविधाओं, किए गए विनिवेश, अध्यापक और कर्मचारिवृन्द को संदत्त वेतन, विस्तार की भावी योजना और/या संस्था की बेहतरी आदि को ध्यान में रखते हुए नियत की जानी चाहिए। वास्तव में, कोई मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए और कैपिटेशन फीस प्रभारित न की जाए। अतः इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि बहुमत निर्णय के अनुसार शिक्षा प्रदान करना निश्चित ही पूर्ण (खैराती) प्रकृति का कार्य है। इस प्रकार अधिशेष/लाभ जो कमाया गया का उपयोग उस शिक्षा संस्था के फायदे के लिए ही किया जाना चाहिए। लाभ/अधिशेष का उपयोग निजी अभिलाभ या किसी अन्य कारबार या उद्यम के लिए नहीं किया जाए। वर्तमान में, ऐसे कानून/विनियम हैं जो फीस नियतन को शासित करते हैं और चूंकि इस न्यायालय ने अभी तक उन कानूनों/विनियमों की विधिमान्यता पर विचार नहीं किया है, इसलिए हम निदेश देते हैं कि टी. एम. ए. पई वाले मामले में के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारें और संबंधित प्राधिकारी प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा की अध्यक्षता में समिति का गठन करेगा। अन्य सदस्य जिसे न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट होगा। संस्था की प्रकृति के आधार पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक प्रतिनिधि भी सदस्य होगा। यथास्थिति, आयुर्विज्ञान शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का प्रभारी राज्य सरकार का सचिव समिति का सदस्य और समिति का सचिव होगा। समिति ख्यातिप्राप्त एक अन्य स्वतंत्र व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट/सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी जिससे कि समिति के सदस्यों की कुल संख्या 5 से अधिक न हो। प्रत्येक शिक्षा संस्था को अपनी प्रस्थापित फीस संरचना शैक्षणिक वर्ष के काफी पहले इस समिति के समक्ष रखनी होगी। प्रस्थापित फीस संरचना के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज और लेखा-बही भी समिति के समक्ष संवीक्षा के लिए पेश की जाएंगी। तत्पश्चात् समिति यह विनिश्चित करेगा कि क्या उस संस्था द्वारा प्रस्थापित फीस न्यायानुमत है और क्या मुनाफाखोरी तो नहीं की जा रही है या कैपिटेशन फीस तो नहीं ली जा रही है। समिति इस फीस संरचना को अनुमोदित करने या कोई अन्य फीस प्रस्थापित करने जो संस्था द्वारा प्रभारित की जा सकती है, के लिए स्वतंत्र होगी। समिति द्वारा नियत फीस तीन वर्ष की अवधि के लिए आबद्धकर होगी और इस अवधि की समाप्ति पर संस्था पुनरीक्षण आवेदन फाइल करने के लिए स्वतंत्र होगी। समिति द्वारा एक बार फीस नियत कर दिए जाने पर संस्था नियत फीस के अलावा कोई अन्य रकम प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभारित नहीं कर सकती है। यदि किसी अन्य शीर्ष या रूप अर्थात् दान के रूप में कोई अन्य रकम प्रभारित की जाती है, तो यह कैपिटेशन फीस प्रभारित करने के समान होगा। सरकार समुचित प्राधिकारी समुचित विनियम यदि ये पहले से विरचित न किए गए हैं, विरचित करने पर विचार करेंगे और यदि इनके अधीन यह पाया जाता है कि कोई संस्था कैपिटेशन फीस प्रभारित कर रही है या मुनाफा कमा रही है तो उस संस्था को समुचित रूप से दंडित किया जा सकता है और उसकी मान्यता/संबद्धता भी समाप्त की जा सकती है।

6. यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि बहस के दौरान हमें यह बताया गया कि कुछ शिक्षा संस्थाएं पूरे पाठ्यक्रम के लिए अर्थात् पूरे वर्षों के लिए फीस, अग्रिम रूप से, ले रही हैं। यह निवेदन किया गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संस्था को यह विश्वास नहीं है कि कहीं छात्र बीच में तो छोड़कर नहीं चला जाएगा। यह निवेदन किया गया कि यदि छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़कर चला जाता है, तो शेष वर्षों तक सीट खाली पड़ी रहेगी और संस्था को नुकसान होगा। हमारे मतानुसार शिक्षा संस्था एक समेस्टर/वर्ष के लिए विहित फीस ही प्रभारित कर सकती है। यदि कोई संस्था महसूस करती है कि कोई

विशिष्ट छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ सकता है तो अधिक-से-अधिक वह उस छात्र से ऐसा बंधपत्र/बैंक प्रत्याभूति देने की अपेक्षा कर सकती है कि यदि छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो वह पूरे पाठ्यक्रम की अधिशेष फीस संस्था को प्रदान करेगा। यदि किसी शिक्षा संस्था ने अग्रिम रूप से फीस ले ली है, तो वह (संस्था) केवल उस समेस्टर/वर्ष की ही फीस का उपयोग कर सकती है। अधिशेष फीस का राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा में विनिधान करना होगा। जब फीस समेस्टर/वर्ष के लिए शोध्य है तो केवल उस समेस्टर/वर्ष के लिए शोध्य फीस को ही संस्था प्रत्याहृत कर सकती है। शेष रकम उस समय तक बैंक में जमा रहेगी जब तक यह रकम शोध्य नहीं हो जाती। पाठ्यक्रम की समाप्ति पर इस जमा पर अर्जित ब्याज, उस छात्र को जिससे फीस अग्रिम रूप से वसूल की गई, अवश्य ही संदाय किया जाएगा।

प्रश्न सं. 2

7. विचार किए जाने योग्य अगला प्रश्न यह है कि क्या अल्प-संख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की संस्थाएं एक समान हैं और निर्णय के अधीन उन्हें एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं। इस दलील के समर्थन में कि अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं का एक जैसे अधिकार प्राप्त हैं निर्णय के पैराग्राफ 138 और 139 का अवलंब लिया गया। ये इस प्रकार हैं :-

“138. जैसाकि हमने इस पर विचार किया कि अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के उनके अधिकार की एक प्रकार से प्रत्याभूति अथवा आश्वासन हैं। पंथ (धर्म) निरपेक्षता और समता संविधान की दो आधारभूत विशेषताएं हैं। अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण सुनिश्चित करता है और इस प्रकार देश की पंथ (धर्म) निरपेक्षता को परिरक्षित करता है। तथापि, समता के सिद्धांतों को अवश्यमेव ही इन अधिकारों के उपभोग को लागू किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी विधि विरचित नहीं की जा सकती जो अन्य शिक्षा संस्थाओं के मुकाबले में शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के संबंध में ऐसे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध विभेद करे। ऐसी किसी भी विधि या नियम अथवा विनियम को जो अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं को अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं की तुलना में हितकर न हो, अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही कोई उल्टा विभेद नहीं किया जा सकता है। सेन्ट जेवियर्स कालेज [1974] 2 उम. नि. प. 1303 = [1975] 1 एस. सी. आर. 173 वाले मामले में पृष्ठ 192 पर यह मत व्यक्त किया गया कि ‘अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किए जाने का सम्पूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के मध्य समता हो। यदि अल्पसंख्यकों को ऐसा विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो वे समता से वंचित रहेंगे।’ दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 30(1) का सारतत्व बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थाओं के मध्य समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। किसी भी प्रकार या प्रवर्ग की संस्था की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए अथवा इस संबंध में किसी एक के मुकाबले में दूसरी संस्था के साथ अधिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। नियमों और विनियमों सहित देश की विधि बहुसंख्यक संस्थाओं के साथ ही अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी वही करने की अनुज्ञा प्राप्त होनी चाहिए जो करने की अनुज्ञा गैर-अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्राप्त है।

139. किसी भी अन्य प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त संस्था की भांति, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित उसी प्रकार की गैर-सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं को शिक्षकों की भर्ती के तरीके, फीस प्रभारित करने और छात्रों के प्रवेश के संबंध में अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें मान्यता की शर्तों का अनुपालन करना होगा और ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि

अनुच्छेद 30 में दिए गए अधिकार का हनन हो ।" (खिांकन पर बल दिया गया)

निस्संदेह पहली नजर में यह प्रतीत होता है कि इन पैराग्राफों में दोनों प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को बराबर माना गया है । तथापि, इन पैराग्राफों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि जो अधिकथित किया गया है उसका सार यह है कि अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने की प्रत्याभूति या आश्वासन प्राप्त है । इन पैराग्राफों में मात्र यह उपबंध है कि विधि नियम और विनियम ऐसे नहीं हो सकते हैं कि वे अल्पसंख्यक की संस्थाओं की तुलना में बहुसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं का पक्ष लें । हम इन पैराग्राफों से यह अभिप्राय नहीं निकाल सकते कि गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को वही अधिकार प्राप्त हैं जो संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को प्रदत्त किए गए हैं । गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को अनुच्छेद 30 का संरक्षण प्राप्त नहीं है । इस प्रकार, कतिपय मामलों में उनका वह स्तर नहीं है और न ही हो सकता है जो अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं का है । यद्यपि अनुच्छेद 30 के सिद्धान्त के अनुसार राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक-वर्गों को संरक्षण प्राप्त हो और उनके साथ समान बर्ताव किया जाए फिर भी अनुच्छेद 30 के अधीन प्रदत्त विशेष अधिकार उन्हें कतिपय फायदे प्रदान करते हैं । उदारहणार्थ, सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने का विनिश्चय कर सकती है । उस दशा में यह अधिनियमित किया जा सकता है कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को अनुज्ञा न दी जाएगी । गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाएं ऐसी अधिनियमिति द्वारा आबद्ध हो सकती हैं । तथापि, अल्पसंख्यक-वर्गों को अनुच्छेद 30 के अधीन दिया गया अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है और अल्पसंख्यक-वर्गों को अब भी अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का मूल अधिकार होगा । इसी भांति, यद्यपि सरकार को किसी गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था का प्रबंध ग्रहण करने का अधिकार है, किन्तु अनुच्छेद 30 में दिए गए संरक्षण के कारण किसी अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था का प्रबंध ग्रहण नहीं किया जा सकता है । वास्तव में, हम जो कहना चाहते हैं उसका अभिप्राय यह है कि राष्ट्र हित में भी अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्था को बंद नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं को अपनी निजी समुदाय/भाषा के छात्रों को प्रवेश देने का अधिमानी अधिकार है । जहां तक गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं का संबंध है उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं है ।

प्रश्न सं. 3 और 4

8. प्रश्न सं. 3 और 4 प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कालेजों के विषय में है । इस प्रकार प्रश्न सं. 3 और 4 के उत्तर में व्यक्त किए सभी विचार ऐसी शिक्षा संस्थाओं तक सीमित है ।

9. तीसरे और चौथे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उस रीति जिस में बहुमत वाला निर्णय दिया गया है पर विचार करना और निर्णय के कतिपय पैराग्राफों का परिशीलन करना आवश्यक है । बहुमत वाले निर्णय में भिन्न-भिन्न शीर्षों के अधीन विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है । तीसरा शीर्ष 'क्या प्राइवेट संस्थाओं के संबंध में सरकारी विनियम हो सकते हैं और यदि हो सकते हैं, तो किस सीमा तक ?' इसे पुनः चार उप-शीर्षों अर्थात् 'प्राइवेट गैर सहायताप्राप्त गैर अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाएं'; 'प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालय'; 'प्राइवेट सहायताप्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं (गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की)' और 'अन्य सहायताप्राप्त संस्थाएं' में विभाजित किया गया है । पैराग्राफ 68 का जोरदार अवलंब लिया गया है जो उपशीर्ष 'प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालय' के अधीन है । उक्त पैराग्राफ इस प्रकार है :-

"68. यह अनुचित होगा कि सहायताप्राप्त और गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं, दोनों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए समान नियमों और विनियमों को लागू किया जाए । यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं अपने प्रशासन में स्वायत्तता की हकदार हैं

जबकि इसके साथ-साथ योग्यता के सिद्धान्त को छोड़ नहीं सकती या उसे त्यक्त नहीं कर सकती । अतः विश्वविद्यालय या सरकार के लिए मान्यता प्रदान करते समय किसी प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त संस्था की अपेक्षा करना अनुज्ञेय होगा कि वह योग्यता पर आधारित चयन के लिए उपबंध करें जबकि इसके साथ-साथ प्रबन्धतंत्र को छात्रों को प्रवेश प्रदान करने के संबंध में पर्याप्त विवेकाधिकार भी प्रदान करने होंगे । यह विभिन्न पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है । उदाहरण के लिए एक निश्चित प्रतिशत स्थान प्रबन्धतंत्र द्वारा उन छात्रों में से प्रवेश देने के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं जिन्होंने प्रबन्ध तंत्र या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया हो जबकि बकाया सीटें राज्य अभिकरण द्वारा काउंसिलिंग के आधार पर भरी जा सकती हैं । यह आनुषंगिक रूप से समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के हित में होगा । इस प्रयोजन के लिए एक निश्चित प्रतिशत सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विहित किया जाना है और अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त और व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत निर्धारित किए जा सकते हैं । यही सिद्धान्त अन्य गैर व्यावसायिक किन्तु गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं अर्थात् स्नातक और स्नातकोत्तर गैर व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं के संबंध में भी लागू किए जा सकते हैं ।”

पैराग्राफ 58 और 59 का भी अवलंब लिया गया है जो इस प्रकार है :-

“58. किसी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश के लिए योग्यता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। यद्यपि सामान्य रूप से उस आवेदक की योग्यता का निर्धारण करना संभव नहीं हो सकता जो विद्यालय में प्रवेश चाहता है, तथापि किसी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश की ईप्सा करने और एक सक्षम वृत्तिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि कम योग्य किन्तु अधिक प्रभावी आवेदकों को अधिमानता देकर योग्य अभ्यर्थियों के साथ अनुचित व्यवहार न किया जाए अथवा उन्हें अहितकर स्थिति में न रखा जाए । व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र के उत्कर्ष के लिए यह अपेक्षित है कि उन छात्रों की योग्यता पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जो प्रवेश चाहते हैं । इस उद्देश्य के लिए गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में इस निर्णय में व्यक्त अन्य मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए समुचित विनियम बनाए जा सकते हैं ।”

“59. व्यावसायिक और उच्चतर शैक्षिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए योग्यता सामान्यतः उन अंकों के, जो छात्र अर्हक परीक्षा अथवा स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र के प्रक्रम पर प्राप्त करते हैं; तत्पश्चात् साक्षात्कार के आधार पर अथवा संस्था द्वारा या व्यावसायिक महाविद्यालयों की दशा में सरकारी अभिकरणों द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर अवधारित की जाती है ।”

उक्त पैराग्राफों के आधार पर भारत संघ, विभिन्न राज्य सरकारों और छात्रों की ओर से यह निवेदन किया गया कि बहुमत वाले निर्णय में व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं (अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर अल्पसंख्यक-वर्गों दोनों की) और अन्य शिक्षा संस्थाओं अर्थात् विद्यालयों और स्नातकपूर्व विद्यालयों के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है । यह निवेदन किया गया कि व्यावसायिक संस्थाओं में मेरिट (योग्यता) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और व्यावसायिक शिक्षा की उत्कृष्टता की यह अपेक्षा है कि प्रवेश के प्रयोजनार्थ मेरिट (योग्यता) का अवधारण सरकारी अभिकरणों द्वारा किया जाए । यह निवेदन किया गया कि पैराग्राफ 68 में यह उपबंधित है कि गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में सीटों का मात्र “निश्चित” प्रतिशत ही प्रबंधतंत्र द्वारा प्रवेश देने के लिए आरक्षित रखा जा सकता है । यह निवेदन किया गया कि उक्त पैराग्राफ में यह उपबंधित है कि विश्वविद्यालय या सरकार के किसी प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्था से योग्यता पर आधारित चयन करने की अपेक्षा कर सकते हैं । यह निवेदन किया गया कि पैराग्राफ 59 के साथ पठित

पैराग्राफ 68 में यह अधिकथित है कि गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में योग्यता का अवधारण सरकारी अभिकरणों द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाए।

10. पई वाले मामले के बहुमत वाले निर्णय के पैराग्राफ 68 को सात भागों में बांटा जा सकता है :-

पहला, इसमें गैर-सहायताप्राप्त-अल्पसंख्यक-वर्गों या गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के व्यावसायिक महाविद्यालय के बारे में चर्चा है।

दूसरा, राज्य सरकार द्वारा सरकारी सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों के विषय में विरचित नियम और विनियमों को गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों को लागू करना अनुचित होगा।

तीसरा, गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं अपने प्रशासन में स्वायत्तता की हकदार हैं; जबकि इसके साथ ही उन्हें योग्यता के सिद्धान्त को छोड़ना या उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए।

चौथा, विश्वविद्यालय या सरकार मान्यता प्रदान करते समय किसी गैर सहायता प्राप्त संस्था से यह अपेक्षा करना अनुज्ञेय होगा कि वह योग्यता पर आधारित चयन करने की अपेक्षा के साथ ही छात्रों को प्रवेश प्रदान करने के मामले में प्रबंधतंत्र को पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान कर सकती है।

पांचवां, गैर सहायताप्राप्त गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए सीटों का कतिपय निश्चित प्रतिशत प्रबंधतंत्र द्वारा उन छात्रों से जिन्होंने स्वयं (प्रबंधतंत्र) या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की, प्रवेश देने के लिए और महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए आरक्षित रखा जा सकता है जबकि बकाया सीटें राज्य अभिकरण द्वारा काउन्सिलिंग के आधार पर भरी जा सकती हैं।

छठा, गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए भी प्रवेश के उपबंध किए जा सकते हैं।

सातवां, सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में सीटों का प्रतिशत विहित किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक-वर्गों के गैर-सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीटों का भिन्न-भिन्न प्रतिशत नियत किया जा सकता है।

11. निस्संदेह बहुमत वाले निर्णय में प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं अर्थात् विद्यालयों और स्नातकपूर्व कालेजों के बीच अंतर किया गया है। “प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालय” उपशीर्षक के अंतर्गत अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के व्यावसायिक महाविद्यालय आते हैं। यह पैराग्राफ 68 के पढ़ने से भी स्पष्ट है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि (प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्था के बीच) यह भेद इसलिए किया गया है क्योंकि निर्णय यह मान्यता प्रदान करता है कि अच्छे और दक्ष व्यवसायियों को रखना राष्ट्रहित में है। निर्णय में यह उपबंधित है कि राष्ट्रहित अल्पसंख्यक-वर्ग के अधिकारों के ऊपर है। इसी कारण से अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों दोनों के महाविद्यालयों में योग्यता (मेरिट) को प्रवेश देने के लिए मानदंड बनाया गया है। तथापि, पैराग्राफ 68 के उचित परिशीलन से यह उपदर्शित है कि अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के व्यावसायिक महाविद्यालयों के बीच फिर से भेद किया गया है। यह उपबंधित है कि गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के व्यावसायिक महाविद्यालयों के मामलों में प्रबंधतंत्र द्वारा “निश्चित प्रतिशत सीटें” प्रवेश के लिए आरक्षित रखी जा सकती हैं। शेष सीटें राज्य अभिकरणों द्वारा काउन्सिलिंग के आधार पर भरी जाएं। सरकार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिशत निश्चित करेगी। यह ध्यान में रखते हुए

समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किए जाएं। यह ध्यातव्य है कि जहां तक चिकित्सा महाविद्यालयों का संबंध है, महाविद्यालय स्थापित करने से पूर्व तात्त्विकता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि तात्त्विकता प्रमाण पत्र जारी करते समय संबंधित राज्य सरकारों को स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इन पहलुओं को महाराष्ट्र राज्य बनाम मेडिकल एसोसिएशन और अन्य¹ वाले इस न्यायालय के हाल ही के विनिश्चय में उजागर किया गया है। तात्त्विकता प्रमाण पत्र देते समय राज्य सरकार प्राइवेट शिक्षा संस्था द्वारा संस्था स्थापित करने या उसमें शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ रहने की दशा में प्राइवेट शिक्षा संस्था की बाध्यताओं को वहन करने का वादा करती है। पैराग्राफ 59 और 68 को पढ़ने से यह दर्शित है कि गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रबंधतंत्र को दिए गए प्रतिशत के अलावा छात्रों का प्रवेश राज्य अभिकरणों द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेरिट के अनुसार ही किया जा सकता है। प्रबंधतंत्र को दी गई सीटें किस रीति से भरी जा सकती हैं उसे यहां इसके पश्चात् उपवर्णित किया गया है।

12. पैराग्राफ 68 में यह उपबंधित है कि गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्गों की संस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत विहित किया जा सकता है। यह कि अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों दोनों के व्यावसायिक महाविद्यालयों को एक जैसे मानदंड लागू नहीं किए जा सकते हैं यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि पैराग्राफ 68 भी मुख्य शीर्षक "प्राइवेट संस्थाओं के मामले में क्या सरकारी विनियम हो सकते हैं और यदि हो सकते हैं, तो किस सीमा तक?" पैराग्राफ 47, जो इस शीर्षक के प्रमुख पैराग्राफों में से एक है, में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित है :-

"यह समुचित होगा कि पहले उन प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं और प्राइवेट सहायता प्राप्त संस्थाओं जिनका प्रशासन भाषायी अथवा धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा नहीं किया जाता है के मामले पर विचार किया जाए। विनियम जो अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं के संबंध में विरचित किए जा सकते हैं के बारे में संविधान के अनुच्छेद 30 के गुणागुण और प्रभाव की परीक्षा करते समय विचार किया जाएगा।"

"सहायता प्राप्त प्राइवेट अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं को प्रशासित करने के अधिकार को किस सीमा तक विनियमित किया जा सकता है" शीर्षक के अधीन अनुच्छेद 30 की चर्चा करते समय बहुमत वाले निर्णय में केरल शिक्षा विधेयक², रैव. (आदरणीय) सिद्धजमाई बनाम मुंबई राज्य³, रैव. (श्रद्धेय) फादर प्रूस्ट बनाम बिहार राज्य⁴, केरल राज्य बनाम वैरी रैव. (परम श्रद्धेय) मदर प्रॉविशियल⁵, अहमदाबाद सेन्ट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य⁶ वाले मामलों के पूर्व निर्णय का अवलंब लिया गया। इन सभी मामलों में अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है और उन्हें कायम रखा गया है। इन मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विनियमों की आड़ में अनुच्छेद 30 के अधीन अधिकारों को निराकृत नहीं किया जा सकता है। सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं के संबंध में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उन्हें उस संस्था के प्रशासन की पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रशासन के अधिकार के अंतर्गत अपने स्वयं के समुदाय/भाषा के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार आता है। इस प्रकार गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग का

¹ (2002) 1 एस. सी. सी. 589.

² ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 956.

³ [1963] 3 एस. सी. आर. 837.

⁴ ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 465.

⁵ (1970) 2 एस. सी. सी. 417.

⁶ (1974) 1 एस. सी. सी. 717.

व्यावसायिक महाविद्यालय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग के व्यावसायिक महाविद्यालय से खराब स्थिति में नहीं हो सकता है। इस कारण से पैराग्राफ 68 में यह उपबंधित है कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग के व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए भिन्न प्रतिशत नियत किया जा सकता है। “अल्पसंख्यक-वर्ग की व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भिन्न प्रतिशत” पद का “गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए निश्चित प्रतिशत” पद से भिन्न अर्थ है। गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग के व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए प्रतिशत नियत करते समय राज्य को स्थानीय आवश्यकताओं के अलावा अपने यहां उस समुदाय के हित/आवश्यकता को भी ध्यान में रखना चाहिए। राज्य में उस समुदाय की आवश्यकता स्थानीय आवश्यकताओं की तुलना में सर्वोपरि होगी।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि अल्पसंख्यक-वर्ग का व्यावसायिक महाविद्यालय अपने प्रबंधतंत्र के कोटा के अंतर्गत किसी अन्य समुदाय के छात्र के अधिमानतः अपने स्वयं के समुदाय/भाषा के छात्र को प्रवेश दे सकता है चाहे वह अन्य छात्र अधिक मेधावी ही क्यों न हो। तथापि, अपने समुदाय/भाषा के छात्रों का चयन करते/प्रवेश देते समय उन छात्रों के बीच की परस्पर योग्यता की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, अपने स्वयं के समुदाय/भाषा के छात्रों का चयन करते/प्रवेश देते समय वे अपने समुदाय/भाषा के छात्रों के बीच की परस्पर योग्यता की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अपने समुदाय/भाषा के सदस्यों का प्रवेश भी, सिवाय इसके कि अपने निजी छात्रों के मामले में यह केवल उन छात्रों के बीच की परस्पर योग्यता के अनुसार हो, कड़ाई से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि सीटें उनके समुदाय/भाषा के सदस्यों से नहीं भरी जा सकती हैं, तब अन्य छात्रों को राज्य अभिकरणों द्वारा आयोजित की गई सामान्य प्रवेश परीक्षा पर आधारित योग्यता के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकता है।

14. अब प्रश्न यह उठता है कि अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों के व्यावसायिक महाविद्यालयों के प्रबंधतंत्र उस कोटे में जो उन्हें आबंटित किया गया है छात्रों को कैसे प्रवेश प्रदान करें। निस्संदेह बहुमत वाले निर्णय में इस कटु सत्य को ध्यान में रखा गया कि ऐसे व्यावसायिक महाविद्यालयों की संख्या बहुत अधिक है जो मुनाफाखोरी में लिप्त हैं और/या कैपिटेशन फीस ले रहे हैं। इसी कारण से बहुमत वाले निर्णय में यह उपबंधित है कि व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया जाना चाहिए। यह ठीक ही निवेदन किया गया कि मुनाफाखोरी/कैपिटेशन फीस लेने पर नियंत्रण करना तब तक असंभव है जब तक कि यह सुनिश्चित नहीं कर दिया जाता है कि प्रवेश योग्यता के आधार पर दिया गया। यह भी उचित ही कहा गया कि यदि किसी छात्र से एक से अधिक प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है तो इससे बड़ी कठिनाई होगी। प्रत्येक संस्था द्वारा प्रभारित आवेदन फीस से भले ही वह केवल 500 रु. से 1000 रु. तक क्यों न हो, ऐसे छात्रों पर भारी बोझ पड़ेगा जिनके लिए अनेकों महाविद्यालयों में आवेदन करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी उचित ही कहा गया कि यदि छात्रों को प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा आयोजित अलग-अलग परीक्षाओं में भाग लेना पड़ेगा तो इससे उन्हें विभिन्न स्थानों पर आने-जाने और ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। यदि किसी छात्रों को अलग-अलग संस्थाओं की परीक्षा में भाग लेने के लिए जाना पड़ेगा तो संभव है कि वह विशिष्ट संस्था के परीक्षा स्थल पर समय से न पहुंच पाए। हमारे विचार में योग्यता पर आधारित चयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है। पैराग्राफ 68 में यह उपबंधित है कि प्रबंधतंत्र “स्वयं या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा” आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दे सकता है। “सामान्य प्रवेश परीक्षा” शब्दों से स्पष्टतः यह उपदर्शित है कि प्रत्येक संस्था अलग-अलग परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती है। अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि प्रबंधतंत्र अपने कोटा के छात्रों का चयन या तो राज्य द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर या उस राज्य में स्थित विशिष्ट प्रकार के अर्थात् चिकित्सा, इंजीनियरी या तकनीकी आदि सभी महाविद्यालयों के किसी संगम द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के

आधार पर कर सकता है। किसी संगम द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा राज्य में स्थित उस तरह के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए होनी चाहिए। इन परीक्षाओं में से किसी को भी चुनने के विकल्प का प्रयोग विवरणिका जारी करने के पूर्व और संबंधित प्राधिकारी और इसमें इसके पश्चात् स्थापित समिति को सूचित करने के पश्चात् किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यावसायिक महाविद्यालय संगम द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में से प्रवेश न देने का विकल्प चुनता है तो उस महाविद्यालय को अवश्यमेव ही राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में से प्रवेश देना होगा। सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने और परिणाम घोषित करने के पश्चात् सभी महाविद्यालयों को उन छात्रों की जिनका चयन इस परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए किया गया है सूचना पट्ट पर तुरंत योग्यता सूची लगानी होगी। योग्यता सूची की प्रति तत्काल संबंधित प्राधिकारी और समिति को भी भेजी जाएगी। इसके पश्चात् छात्रों का चयन कड़ाई से उस योग्यता सूची के अनुसार योग्यता के आधार पर किया जाएगा। वास्तव में जैसाकि पहले उपदर्शित किया गया, अल्पसंख्यक-वर्गों के महाविद्यालय अपना कोटा अपने निजी छात्रों में से परस्पर योग्यता के आधार पर भरने के हकदार होंगे। छात्र द्वारा अभिप्राप्त रैंक संख्या ली गई फीस और सभी विशिष्टियों और ब्यौरे, जो संबंधित अधिकारी या समिति द्वारा अपेक्षित हैं, के साथ प्रवेश दिए गए छात्रों की सूची तत्काल उन्हें (छात्रों को) उपलब्ध करायी जाएगी। प्रश्न पत्र और उत्तर-पुस्तिकाएं ऐसी अवधि तक संरक्षित रखी जाएं जो संबंधित प्राधिकारी या समिति उपदर्शित करे। यदि यह पाया जाता है कि किसी छात्र को योग्यता से परे प्रवेश दिया गया है तो उस संस्था पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है और समुचित मामलों में मान्यता/संबद्धता भी प्रत्याहृत की जा सकती है।

15. इस प्रक्रम पर हमें यह बताया गया कि अनेकों संस्थाएं काफी समय से अपनी निजी प्रवेश प्रक्रिया अपना रही हैं और यद्यपि वे अपने प्राइवेट समुदाय के छात्रों को ही प्रवेश दे रही हैं फिर भी आज तक उसके विरुद्ध कोई अंगुली नहीं उठायी गई है और उनके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्षता या पारदर्शिता के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई है। इन संस्थाओं का यह कहना है कि उनकी अपनी विशेषता है और यह कि उनका स्तर अन्य अल्पसंख्यक-वर्गों की गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं से भिन्न है। यह निवेदन किया गया कि उनके मामले न केवल अनुच्छेद 30(1) से उद्भूत अधिकार पर आधारित हैं बल्कि इसके अलावा उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें दृष्टिगत करते हुए उन्हें उसी रीति से प्रवेश देने की अनुज्ञा दी जाए जिसे वे वर्षों से अपनाते आ रहे हैं। कुछ ऐसी संस्थाओं अर्थात् क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लौर, सेंट जॉन्स अस्पताल, इस्लामिक एकेडेमी आफ एजुकेशन आदि के प्रति निर्देश किया गया। इन संस्थाओं के दावे पर विवाद किया गया। तथापि, हम उन प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हम ऐसी संस्थाओं को जो स्थापित हैं और कम से कम पिछले 25 वर्षों से अपनी निजी प्रवेश प्रक्रिया अपना रही हैं इसमें इसके पश्चात् उपवर्णित समिति के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

16. अंततः यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसिल का यह तर्क था कि बहुमत वाले निर्णय के पैराग्राफ 68 में विश्वविद्यालयों/राज्य को केवल मान्यता/संबद्धता देते समय योग्यता पर आधारित चयन का उपबंध करने की अनुज्ञा दी गई है। यह भी निवेदन किया गया कि गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों को एक बार मान्यता/संबद्धता प्रदान कर दिए जाने पर तो ऐसा अनुबंध बाद में नहीं जोड़ा जा सकता है। हम यह निवेदन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ऐसा उपबंध मान्यता/संबद्धता प्रदान करते और ऐसी मान्यता/संबद्धता देने के पश्चात् भी किया जा सकता है।

17. अब हम यह निदेश देते हैं कि संबंधित राज्य सरकार एक स्थायी समिति नियुक्त करे जो यह सुनिश्चित करेगी कि महाविद्यालयों के संगम द्वारा संचालित परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हों। प्रत्येक राज्य

के लिए अलग-अलग समिति गठित की जाएगी। समिति का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश का नामनिर्देशन उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा किया जाएगा। न्यायाधीश द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य सदस्य प्रतिष्ठित चिकित्सक या इंजीनियर होगा (जो इस पर निर्णय करेगा कि क्या संस्था आयुर्विज्ञान या इंजीनियरी/तकनीकी है)। यथास्थिति, आयुर्विज्ञान या तकनीकी शिक्षा प्रभारी राज्य का सचिव भी सदस्य होगा और समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। समिति शिक्षा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त किसी निष्पक्ष व्यक्ति और उस राज्य के विश्वविद्यालय के एक उप कुलाधिपति को नामनिर्दिष्ट/सहयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगी ताकि समिति के सदस्यों की कुल संख्या पांच से अधिक न हो। समिति को संगम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के निरीक्षण की शक्ति होगी। इसके अंतर्गत प्रस्तावित प्रश्न पत्र/प्रश्नपत्रों को मंगाने, प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्तियों और परीक्षकों के नाम जानने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रश्न पत्र लीक न हो अपनाए जाने वाले तरीके की जांच करने की शक्ति होगी। समिति पर्यवेक्षण करके यह सुनिश्चित करेगी कि परीक्षा उचित और पारदर्शी ढंग से हो। समिति को ऐसी संस्था को जो स्थापित है और जिसे पिछले कम से कम 25 वर्षों से अपनी निजी प्रवेश प्रक्रिया अपनाने की अनुज्ञा दी गई है, अपनी निजी प्रवेश प्रक्रिया अपनाने की अनुज्ञा देने की शक्ति होगी और यदि समिति यह महसूस करती है कि ऐसी संस्था की राज्य सरकार द्वारा उसे आबंटित कोटा के अतिरिक्त अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने की आवश्यकता वास्तविक आवश्यकता है तो वह अनुज्ञात कर सकेगी। किसी संस्था को छूट प्रदान करने या राज्य द्वारा नियत कोटा के प्रतिशत में फेरफार करने से पूर्व समिति राज्य सरकार को सुनेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक-वर्ग या गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग के गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रबंधतंत्र द्वारा छात्रों के प्रवेश के लिए कोटे का भिन्न प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर पृथकतः नियत किया जाएगा और कोटा के प्रतिशत के नियतन के संबंध में किसी विवाद की दशा में प्रबंधतंत्र समिति के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी किसी भी संस्था, जो स्थापित नहीं है और जिसने पिछले कम से कम 25 वर्षों से अपनी निजी प्रवेश प्रक्रिया नहीं अपनायी है, यहां उपरिबर्णित रीति से छात्रों को प्रवेश देने से छूट के लिए आवेदन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी या उसे छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

18. राज्यों में दो प्रकार की समिति गठित करने का हमारा निदेश संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन पारित किया गया है जो संसद द्वारा समुचित विधान अधिनियमित किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा। प्रत्येक राज्य ऐसी समितियों के गठन पर उपगत व्यय वहन करेगा। अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के भत्ते और पारिश्रमिक भी संबंधित राज्य सरकार वहन करेगी।

19. जहां तक वर्ष 2003-2004 का संबंध है, समय बीतता जा रहा है क्योंकि प्रवेश की अंतिम अवधि समाप्त होने वाली है या समाप्त हो चुकी है। विभिन्न याचिकाओं/आवेदनों के विवादों पर विचार किए बिना अत्यावश्यक स्थिति से निपटने के लिए हम यह निदेश देते हैं कि सीटें संस्था और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में भरी जाएं। तथापि, यदि किसी अंतरिम आदेश द्वारा इस न्यायालय ने किसी संस्था को अधिक प्रतिशत सीटें भरने की अनुज्ञा दे रखी है और तदनुसार सीटें भरी जा चुकी हैं, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि कालावरोध विभिन्न लंबित मामलों में के परस्पर विरोधी विवादों को विनिश्चित किए बिना यह व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए की गई है।

20. इन स्पष्टीकरणों के साथ हम अब यह निदेश देते हैं कि सभी मामले गुणागुण के आधार पर निपटाए जाने के लिए नियमित न्यायाधीशों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

21. अंतरिम मामलों से संबंधित सभी अंतर्वर्ती आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा -

अंतर्वर्ती समीक्षा

22. शिक्षा प्रदान करना राज्य का कृत्य है। तथापि, राज्य अपनी वित्तीय और अन्य मजबूरियों के कारण सदैव अपना कर्तव्य करने की स्थिति में नहीं है। शिक्षा प्रदान करने का कृत्य काफी हद तक स्वयं नागरिकों ने अपने हाथ में ले लिया है। कुछ इसे विशुद्धतः दान स्वरूप करते हैं; कुछ इसे धर्म या भाषा पर आधारित अपने अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण के लिए करते हैं; और कुछ के लिए यह उनकी "उपजीविका" का आधार है। कुछ ऐसी संस्थाओं को राज्य सहायता प्रदान करता है और इनमें से कुछ को नहीं।

23. पिछली दशाब्दियों से चिकित्सा, दन्त चिकित्सा और इंजीनियरी के क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाली प्राइवेट प्रबंधनाधीन शिक्षा संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के निबंधनानुसार अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा अपनी रुचि की संस्था स्थापित करने के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है; इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन ऐसे नागरिक को अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है जो संस्था स्थापित करना चाहता है। तथापि, किसी नागरिक का शिक्षा संस्था और विशिष्टतया व्यावसायिक संस्था स्थापित करने का मूल अधिकार आत्यंतिक नहीं है। ये अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने वाले विनियम और विधियों के अधीन हैं। लोकहित में ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) और अनुच्छेद 30 के अधीन विनियमों के अधीन अधिरोपित किए जा सकते हैं। यद्यपि संविधान के अधीन शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार गारंटीकृत है लेकिन मान्यता गारंटीकृत नहीं है। व्यावसायिक संस्थाओं की मान्यता या संबद्धता कानून के निबंधनों के अनुसार होनी चाहिए।

24. संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 66 और सूची 3 की प्रविष्टि 25 में इस निमित्त विधायी क्षेत्र उपबंधित है। अनेक राज्यों ने प्रवेश को विनियमित करने और कैंपिटेशन फीस लेने का प्रतिषेध करने के लिए विधियां अधिनियमित की हैं। उक्त विधानों में अध्यापकों के नियोजन, उनकी सेवा शर्तें, संस्था में अनुशासन और कई अन्य विषयों का भी उपबंध है। ऐसे विनियामक उपाय इस न्यायालय के विभिन्न विनिश्चयों में सुझाए गए हैं।

पृष्ठभूमि

25. इस न्यायालय ने **उन्नीकृष्णन् जे. पी. और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य¹** वाले मामले में स्कीम अधिकथित की। उक्त स्कीम के निबंधनानुसार स्व-वित्तपोषित संस्थाएं अपनी रुचि के 50 प्रतिशत छात्रों को प्रवेश देने की हकदार हैं जबकि शेष सीटें राज्य द्वारा भरी जाएं। छात्रों के प्रवेश के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए। उसमें मुफ्त (निशुल्क) सीटों और भुगतान सीटों के लिए उपबंध किए गए। राज्य और विभिन्न कानूनी प्राधिकरणों जिनके अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् सम्मिलित है विनियम बनाए और/या संशोधित किए ताकि उन्हें उक्त स्कीम के अनुरूप बनाया जा सके।

26. इस्लामिक एकेडमी आफ एजुकेशन ने इसकी विधिमान्यता को प्रश्नगत करते हुए वर्ष 1993 में रिट याचिका फाइल की। संबद्ध मामलों के साथ उक्त रिट याचिका को पांच न्यायाधीशों के न्यायपीठ के समक्ष रखा गया जिसका प्रथमदृष्ट्या यह मत था कि संविधान का अनुच्छेद 30 अल्प संख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं को छात्रों का चयन करने की बाबत अपना प्राइवेट तरीका अपनाने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।

¹ (1993) 1 एस. सी. सी. 645.

27. इस न्यायालय ने टी. एम. पई फाउन्डेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य¹ वाले मामले में इस संबंध में यह उल्लेख किया:-

“3. इन मामलों की सुनवाई का इतिहास बड़ा ही निराला है। इस्लामिक शिक्षा एकेडमी द्वारा प्रस्तुत 1993 की रिट याचिका संख्या 350 फाइल की गई थी और इससे संबंधित याचिकाओं को पांच न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। चूंकि न्यायपीठ का प्रथमदृष्ट्या यह विचार था कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को अपने स्वयं के चयन की रीति को अंगीकृत करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है और इस न्यायालय द्वारा सेन्ट स्टीफन कालेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय [(1992) 1 एस. सी. सी. 558] वाले मामले में दिए गए विनिश्चय की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया गया था और यह निदेश दिया गया कि इस संबंध में जो प्रश्न उद्भूत हुए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर वृहत्तर न्यायपीठ द्वारा प्रामाणिक रूप से दिया जाना चाहिए। इसके पश्चात् इन मामलों को सात न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विरचित किए गए विवाद्यकों को नया रूप दिया गया था और न्यायालय ने तारीख 6 फरवरी, 1997 को यह निदेश दिया था कि इस मामले को कम से कम 11 न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए क्योंकि यह महसूस किया गया था कि संविधान के 42वें संशोधन को ध्यान में रखते हुए, जिसके द्वारा शिक्षा को सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 25 में सम्मिलित किया गया है, प्रश्न यह है कि अल्पसंख्यक किसको माना जाए, इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है क्योंकि पूर्विक निर्णयज विधि का संबंध संशोधन के पूर्व काल से है, जब शिक्षा केवल राज्य सूची में थी। जब यह मामला ग्यारह न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया तब तारीख 19 मार्च, 1997 को सुनवाई के दौरान निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-

“चूंकि हमारे समक्ष बहस के दौरान यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि क्या यह न्यायपीठ केरल शिक्षा विधेयक, 1957, [(1959) एस. सी. आर. 995] और अहमदाबाद सेन्ट जेवियर कालेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य, [(1975) 1 एस. सी. आर. 173] वाले मामलों में प्रतिपादित विनिश्चयाधार से आबद्ध है या नहीं इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आकार की न्यायपीठ स्वयं को उन मामलों में व्यक्त किए गए मतों से आबद्ध नहीं है क्योंकि वर्तमान प्रयास का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 30(1) के सत्य व्याप्ति और निर्वचन की विवेचना करना है कि मुख्य प्रश्न होने के कारण इसकी परीक्षा मूल रूप से शुद्धता से करना आवश्यक है। इस तथ्य को अभिलिखित किया जाता है।”

28. ग्यारह न्यायाधीशों के न्यायपीठ ने उसमें उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया।

29. हमारे समक्ष के याची/आवेदक प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं हैं। उनमें से अधिकांश समाज, न्यास या धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों द्वारा स्थापित किए गए हैं।

30. आक्षेपित विधान/सरकारी आदेश द्वारा राज्य सरकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में सरकारी कोटा अधिकथित करते हुए यह निदेश दिया कि इसे (कोटा) भरते समय, स्ववित्तपोषित संस्थाओं को बाह्य सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर तैयार की गई योग्यता सूची का अवश्य ही अनुसरण करना चाहिए। राज्य सरकारों ने ऐसी संस्थाओं द्वारा छात्रों से वसूल की जाने वाली फीस भी नियत/विनियमित की।

31. उक्त नियमों/विनियमों/सरकारी आदेशों की विधिमान्यता या अन्यथा का मुद्दा अनेक उच्च

¹ (2002) 8 एस. सी. सी. 481.

न्यायालयों के समक्ष विचारार्थ उठाया। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अन्तरिम अनुतोष मंजूर करते समय अपने आदेशों में उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भिन्न-भिन्न अर्थ निकाला। निर्णय को समझने की बाबत राज्यों और उच्च न्यायालयों की धारणाएं व्यापक रूप से अलग-अलग हैं। पूर्वोक्त स्थिति में, मामलों में अनेकों आवेदन फाइल किए गए जिनका निपटारा इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा किया गया। कुछ संस्थाओं और केरल राज्य ने भी उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के विरुद्ध विशेष इजाजत याचिकाएं फाइल कीं। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन भी कुछ रिट याचिकाएं फाइल की गईं। प्रश्न की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए।

32. विशेष इजाजत याचिकाओं और रिट याचिकाओं में कई अन्य प्रश्न भी उठाए गए लेकिन इस समय यह न्यायपीठ अपनी समझ में अन्य प्रश्नों को समुचित न्यायपीठों द्वारा विचार किए जाने के लिए खुला छोड़ते हुए स्वयं को उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के निर्वचन तक ही सीमित रखना चाहता है।

33. इन मामलों में इस न्यायालय को सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर अल्पसंख्यक-वर्गों की संस्थाओं के अधिकारों और उन पर राज्यों द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों पर कतई विचार नहीं कर रहा है। हमें अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा चलाई जाने वाली प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के अधिकारों और बाध्यताओं पर ही विचार करना है।

रिट याचिकाओं-आवेदकों की ओर से किए गए निवेदन

34. यह तर्क दिया गया कि निर्णय का निर्वचन करते समय इस न्यायालय को उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले के निष्कर्षों के महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए; अर्थात्

1. शिक्षा संस्थाओं के मूल अधिकार

(i) नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) 21, 26 और 30 के अधीन शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने और प्रशासित करने का मूल अधिकार है और इस प्रकार उक्त अधिकारों को न तो छीना जा सकता है और न ही निर्बंधित किया जा सकता है। (पैरा 25 और 26)

(ii) ऐसा मूल अधिकार व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी स्तरों की शिक्षा तक है। (पैरा 161)

(iii) शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार में निम्नलिखित से संबंधित अधिकार भी समाविष्ट हैं :-

(क) छात्रों को प्रवेश देना

(ख) युक्तियुक्त फीस ढांचा तैयार करना,

(ग) शासी निकाय गठित करना

(घ) कर्मचारियों की नियुक्ति करना और अनुशासनिक कार्रवाई करना। (पैरा 50)

(iv) यद्यपि ऐसे अधिकार युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन हैं तथापि ये संस्था की बेहतरी के लिए होने चाहिए और इस प्रकार अनुच्छेद 19(1)(छ) और अनुच्छेद 30 के अधीन अधिकार का ह्रास नहीं किया जा सकता है। (पैरा 135-138)

(v) संस्थाओं को मान्यता या संबद्धता प्रदान करते समय ही निर्बंधन अधिरोपित किए जा सकते हैं उसके पश्चात् नहीं।

(vi) अल्पसंख्यक समुदायों के देखने में नागरिकों के अधिकार का मूल्यांकन निम्नलिखित के बीच के भेद को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए -

(क) गैर-सहायता प्राप्त और सहायता प्राप्त संस्थाएं ।

(ख) अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाएं । (पैरा 46-73)

2. नियंत्रण की हद

35. यह दलील दी गई कि यद्यपि कुछ हद तक विनियम/नियंत्रण अनुज्ञेय है फिर भी उसकी विधिमान्यता पर विचार किया जाना आवश्यक है :-

(i) इस न्यायालय के इस विनिश्चय के आलोक में कि उपर्युक्त उन्नीकृष्णन् वाले मामले में विरचित स्कीम को उत्साहित कर दिया गया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद और राज्य सरकारों आदि द्वारा उसके आधार पर जारी पश्चात्वर्ती निदेशों को अविधिमान्य ठहराया गया । (पैरा 45)

(ii) नियंत्रण की शक्ति का प्रयोग करते समय, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना अल्प-संख्यक-वर्गों द्वारा अपने निजी समुदाय के सदस्यों को प्रवेश देने और फीस नियत करने से संबंधित उनके (अल्पसंख्यक-वर्गों के) अधिकारों में संबंधित अनुज्ञेय नहीं है । राज्य न तो अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता है और न ही उसके प्रति आर्थिक सहायता का कोई सिद्धान्त निकाला जा सकता है । (पैरा 38)

(iii) गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के मामले में, इन (गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं) पर अधिक नियंत्रण का प्रयोग करने की राज्य की शक्ति से भिन्न रूप में अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए किंतु इसके संबंध में भी सहायता प्राप्त संस्थाओं को राज्य या उसके विभागों द्वारा पूर्णतः स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं माना जाना चाहिए । (पैरा 55,61,62 और 72)

(iv) सहायता प्राप्त संस्थाओं पर नियंत्रण के ऐसे अधिकार में निरीक्षण और अवरोध के प्रयोजनार्थ अधिकार भी निहित है ताकि:-

(क) निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके । (पैरा 143)

(ख) सरकार अपनी आरक्षण नीति के अनुरूप कुछ सीटें सुरक्षित रख सके । (पैरा 42-44)

(v) यद्यपि सहायता प्राप्त संस्थाएं संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) और अनुच्छेद 28 के खंड (3) के अधीन हैं लेकिन गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाएं इस के अधीन न होने के कारण उस समय तक उसके अवरोधों से आबद्ध नहीं होंगी जब तक वे छात्रों को प्रवेश देने और चयन करने के अपने अधिकार का पारदर्शी और गैर-मनमाने रूप में प्रयोग करें ।

3. गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा छात्रों का प्रवेश

(i) गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं को छात्रों को प्रवेश देने का जिसके अंतर्गत अपनी रुचि के छात्रों के चयन के लिए परीक्षा लेना भी है अनियंत्रित अधिकार प्राप्त है । (पैरा 36, 40-41, 50)

यह अधिकार इस सिद्धान्त से प्राप्त है कि किसी भी संस्था के प्रत्येक प्राइवेट और पब्लिक स्वामी को अपनी प्राइवेट रुचि के अर्ह (योग्य) छात्रों को प्रवेश देने की शक्ति प्राप्त है । (पैरा 42-44)

(ii) चूंकि ऐसा अधिकार प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं के वातावरण और परंपराओं को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है, इसलिए गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए लागू सामान्य सिद्धान्त गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं को भी लागू होंगे। सरकारी सामान्य प्रवेश परीक्षा से या अपनी प्राइवेट परीक्षा के आधार पर अपने अभ्यर्थियों के चयन का विकल्प आत्यंतिक है और इस बाबत अंतिम विनिश्चय संस्थाओं का होता है जबकि सहायता प्राप्त संस्थाओं को सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा का अनुसरण करने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

(iii) गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं की परीक्षा और उनके द्वारा अपनायी गई प्रणाली को सनक और झुकाव पर आधारित नहीं कहा जा सकता है किंतु जब सामान्यतः योग्यता पर आधारित "कोई परिलक्षित और युक्तियुक्त प्रणाली" अपना ली जाती है तो उचित और सुस्पष्ट आधार पर अर्ह (योग्य) छात्रों के चयन के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। (पैरा 65)

4. गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए सरकारी कोटा की प्रकृति और सीमा

(i) यह दलील दी गई है कि सरकार का इस बाबत कोई कोटा नहीं हो सकता है क्योंकि संस्थाएं गैर सहायता प्राप्त हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यदि ऐसा सरकारी कोटा अनुज्ञात कर दिया जाता है तो इससे न केवल गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं की अवधारणा बल्कि अधिकतम स्वायत्तता अधिकार विशेषकर छात्रों के चयन से संबंधित नष्ट हो जाएगा और फीस में भी गड़बड़ हो जाएगी।

(ii) ऐसे अधिकार का अर्थान्वयन सहायता प्राप्त संस्था पर नियंत्रण की सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

(iii) अल्प प्रतिशत कमजोर वर्गों के लिए प्रवेश जिसकी गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं से विवक्षा द्वारा अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है राज्य की किसी आरक्षण नीति के प्रवर्तन को स्वीकार नहीं करता है क्योंकि यह अहमदाबाद सेन्ट जेवियर कालेज सोसाइटी और एक अन्य बनाम गुजरात राज्य और एक अन्य वाले (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल जाएगा।

(iv) किसी भी दशा में, समाज के कमजोर वर्गों के अल्प प्रतिशत व्यक्तियों का अवधारण करने के निदेश का पालन प्रबंधतंत्र पर छोड़ देना चाहिए और इसके अंतर्गत उस अल्पसंख्यक समुदाय का भी कमजोर वर्ग आएगा जिसके लिए संस्था की स्थापना की गई है।

(v) गैर-सहायता प्राप्त संस्था कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और फीस माफ करने के लिए स्वतंत्र है। (पैरा 37,53,61 और 68)

(vi) चूंकि कमजोर वर्ग एक विशेष वर्ग है, इसलिए उसका चयन निम्न के आधार पर नहीं किया जा सकता है :-

(क) राज्य की आरक्षण नीति

(ख) राज्य के भीतर क्षेत्रीय संबद्धता या निवास

(ग) धर्म

(vii) उक्त प्रयोजन के लिए भी, क्षेत्र या प्रदेशों के सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ेपन, जिसके कारण ऐसे क्षेत्र या प्रदेशों को उक्त रूप में पिछड़ा माना जाता है की कसौटी के लिए राज्य की आबद्धकर आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए।

(viii) किसी भी दशा में, कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को हिसाब में लेने के पश्चात् किसी बैच में कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है ।

(ix) गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं पर दुष्कर वित्तीय भार नहीं डाला जा सकता है और न ही उनसे राज्य के कृत्य करने के लिए कहा जा सकता है । (पैरा 61)

(x) किसी भी दशा में, गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं पर ऐसा युक्तियुक्त स्तर अधिकथित करने के लिए जिससे उसकी प्रक्रियागत स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता को आघात न पहुंचे कोटा नीति अधिरोपित नहीं की जा सकती है । (पैरा 36,40,43,53,59,65)

5. गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए फीस का नियत किया जाना

चूंकि गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं को फीस नियत किए जाने के मामले में अधिकतम स्वायत्तता प्राप्त है, इसलिए निम्नलिखित नहीं हो सकता है :-

(क) कठोर फीस ढांचा । (पैरा 54)

(ख) फीस गैर-सहायता प्राप्त संस्था द्वारा नियत की जाए । (पैरा 56,57)

(ग) इस बाबत एक मात्र अड़चन यह है कि कोई कैपिटेशन फीस प्रभारित नहीं की जा सकती है और न ही संस्था मुनाफा कमा सकती है क्योंकि शिक्षा देना पूर्ण कार्य है । अतः शिक्षा के विकास और प्रसार के प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त राजस्व आधिक्य अनुज्ञेय होगा । (पैरा 57)

कैपिटेशन फीस प्रभारित करने और मुनाफाखोरी को निर्बंधित करते हुए इस न्यायालय ने मात्र यह निदेश दिया कि ऐसी संस्थाएं कोई अनुचित, अत्यधिक या अवैध लाभ न कमाएं और तद्वारा युक्तियुक्त लाभ अनुज्ञेय है ।

(घ) मात्र इसलिए कि फीस युक्तियुक्त विकास लाभ के आधार पर प्रभारित की जानी है, इसके परिणामस्वरूप न तो स्तर में गिरावट आएगी और न ही यह कैपिटेशन की कोटि में आएगा । (पैरा 61)

(ङ) प्रवेश प्रदान किए गए कमजोर वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए और फीस माफ की जाए । (पैरा 53)

(च) यह पता चलाने के प्रयोजनार्थ कि कौन-कौन से छात्र समुदाय के कमजोर वर्गों से होंगे, स्थानीय आवश्यकताओं और अन्य आवश्यकताओं पर विचार किया जाना चाहिए ।

36. टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन (पूर्वोक्त) वाले मामले में के इस न्यायालय के निर्णय का अर्थान्वयन निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए :-

(क) इसका विनिश्चयाधार अंततः दिए गए उत्तरों में से निकाला जाना चाहिए ।

(ख) निर्णय का परिशीलन, समग्रतः और ऐसी रीति से किया जाना चाहिए ताकि विशिष्ट बिन्दु पर विचार किए जाने वाले निर्णय के सभी भागों का आशय स्पष्ट किया जा सके । निर्बंधन अधिरोपित करने वाले विनियमों का परिशीलन इस तरह किया जाना चाहिए ताकि गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं की अधिकतम स्वायत्तता संरक्षित रखी जा सके ।

राज्यों/केन्द्रीय सरकार/कानूनी प्राधिकारियों की ओर से किए गए निवेदन

37.(i) अनुच्छेद 19(1)(छ) और अनुच्छेद 30(1) में अंतर्विष्ट किसी धर्म या भाषा पर आधारित

अल्पसंख्यक समुदायों सहित नागरिकों का अधिकार आत्यंतिक नहीं है अपितु यह- युक्तियुक्त निर्बंधनों के अध्यधीन है ।

(ii) अल्पसंख्यक-वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार को निर्बंधित करने वाले विनियम उचित शैक्षणिक स्तर, वातावरण और अवसंरचना [अर्हता प्राप्त (योग्य) कर्मचारियों सहित] के अनुरक्षण और कुप्रशासन को रोकने के लिए आवश्यक हैं । (पैरा 54)

(iii) चूंकि शिक्षा को एक अर्थ में पूर्ण कार्य माना गया है, इसलिए गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं ऐसी भारी फीस प्रभारित नहीं कर सकती हैं जो उस उद्देश्य को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है जिसके लिए संस्थाएं स्थापित की गईं और न ही वे इसके कारण लाभोपार्जन कर सकता है । (पैरा 57)

(iv) चूंकि योग्यता प्रायः अर्हक परीक्षा या विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र के प्रक्रम पर छात्रों द्वारा अभिप्राप्त अंकों के पश्चात् साक्षात्कार द्वारा या संस्था द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा अवधारित की जाती है, इसलिए विनियम विरचित करते समय राज्य को इस बाबत आवश्यक निदेश जारी करने की अपेक्षित अधिकारिता प्राप्त है जिससे कि योग्यता की उपेक्षा न होने पाए । (पैरा 58-59)

(v) अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं का आशय यह अभिवाक् कि छात्रों को प्रवेश देने या न देने का उनका अधिकार पैरा 68 में जारी निदेशों के अनुरूप नहीं होगा । पैरा 658 में -

(क) प्रबंधतंत्र को पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान करते हुए योग्यता पर आधारित चयन प्रणाली का उपबंध है,

(ख) चूंकि सीटों का निश्चित प्रतिशत प्रबंधतंत्र के लिए आरक्षित होगा, इसलिए बकाया सीटें राज्य अभिकरणों द्वारा काउंसिलिंग के आधार पर भरी जा सकती हैं और उक्त अभिकरण समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के हितों का ध्यान रखेंगे । उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिशत विहित किए जाने की बात राज्य पर छोड़ दी जानी चाहिए । (पैरा 68)

(vi) व्यावसायिक संस्थाओं को अधिक कठोर कसौटी लागू करनी चाहिए और यह राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण विनियम के अध्यधीन हो (प्रश्न सं. 4 का उत्तर) ।

(vii) चूंकि राज्य को तात्त्विकता प्रमाण पत्र जारी करते समय स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करना होता है और इसके अतिरिक्त ऐसी संस्थाओं के सुचारु रूप से कार्य करते रहने की गारंटी देनी होती है जिसके कर पाने में असमर्थ रहने पर राज्य को ऐसे छात्रों को अपनी निजी संस्थाओं में समायोजित करना पड़ता है, इसलिए इसका मामले में पर्याप्त महत्व है । व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में छात्रों के चयन और उन्हें पसन्द करने का चिकित्सा शिक्षा का स्तर बनाए रखने से सीधा संबंध है ।

(viii) यदि अखिल भारतीय 15% क़ोटा में परीक्षाएं आयोजित करने के साथ-साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय सेकेन्दरी शिक्षा बोर्ड, जे. आई. पी. ई. आर., ए. एफ. एम. सी. आदि द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षाओं के संबंध में इस न्यायालय द्वारा विरचित समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए सभी निजी चिकित्सा, दंत शास्त्र, इंजीनियरी और अन्य व्यावसायिक महाविद्यालयों को अपनी निजी परीक्षा आयोजित करने की स्वच्छन्दता दे दी जाती है तो छात्र परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे क्योंकि छात्रों को सारे देश में परीक्षा देने के लिए दौड़ना पड़ेगा और उन्हें रु. 500/- से लेकर रु. 1000/- कीमत के आवेदन पत्र खरीदने में खर्च करने के अलावा इन विभिन्न परीक्षाओं में बैठने के लिए आने-जाने, खाने-पीने और ठहरने में भी बहुत खर्च करना पड़ेगा । एक से अधिक परीक्षाएं एक ही दिन या ऐसे कम अंतराल में हो सकती हैं कि छात्र के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना वस्तुतः असंभव हो

जाए। अतः ऐसा तरीका अपनाया जाए ताकि अधिकांश छात्रों को कम-से-कम असुविधा हो और वे युक्तियुक्त व्यय करके बहुत सी परीक्षाओं में भाग ले सकें।

(ix) यह सर्वसामान्य सी बात है कि अधिकांश गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं कैपिटेशन फीस के नाम से नहीं बल्कि अन्य रूप में अपनी सीटें बेच रही हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे कठोरता से निपटा जाना चाहिए।

(x) अनुच्छेद 38, 41 और 46 जिनके निबंधन अनुच्छेद 37 के जैसे हैं और जो देश के शासन के मूलाधार हैं को ध्यान में रखते हुए राज्य नीति के अपने उद्देश्य के अनुसरण में सामान्य परीक्षा का उपबंध करना आवश्यक है ताकि परस्पर अल्पसंख्यक-वर्गों और परस्पर कमजोर-वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा निर्णय के पैरा 68 के निबंधनानुसार हो सके।

(xi) पैरा 67 और 68 में अंतर्विष्ट गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं को इस न्यायालय द्वारा जारी निदेशों को प्रभावी बनाया जाए यद्यपि न्यायपीठ ने निर्णय के पैरा 58 और 59 में भी व्यावसायिक महाविद्यालयों के प्रति निर्देश किया है।

टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन के निर्णय का विहंगावलोकन

38. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) में संस्था स्थापित करने के अधिकार का उपबंध है। तथापि ऐसा अधिकार ऐसे युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन है जिनका वर्णन उसके खंड (6) में है।

39. तथापि चाहे धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासित करने का मूल अधिकार है। अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अधीन अधिकार आत्यंतिक (परिपूर्ण) नहीं है और यह उन युक्तियुक्त विनियमों के अधीन है जो, अन्य बातों के साथ-साथ, लोकहित और देश के राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए विरचित किए जा सकते हैं। कुप्रशासन को रोकने, शिक्षा, पढ़ाई का स्तर निर्धारित करने और अनुशासन, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, नैतिकता आदि बनाए रखने के लिए भी विनियम विरचित किए जा सकते हैं।

जे. पी. उन्नीकृष्णन् वाला मामला

40. इस न्यायालय ने उन्नीकृष्णन् वाले (पूर्वोक्त) मामले में स्कीम विरचित करते हुए यह निदेश दिया:-

(क) यह कि व्यावसायिक महाविद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 या राज्य के तत्समान अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या न्यास अधिनियम या वक्फ अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा ही स्थापित और/या प्रशासित किया जाना चाहिए और किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय को व्यावसायिक कालेज स्थापित करने और/या प्रशासित करने की अनुज्ञा न दी जाए।

(ख) प्रत्येक व्यावसायिक महाविद्यालय की 50 प्रतिशत सीटें सामान्य प्रवेश परीक्षा द्वारा अवधारित योग्यता के आधार पर चयनित सरकार या विश्वविद्यालय के नामनिर्देशितियों द्वारा भरी जाएं जिन्हें "मुक्त सीटें" कहा जाएगा; शेष 50 प्रतिशत सीटें (भुगतान सीटें) उन अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएं जो उनके लिए विहित फीस का संदाय करें और भुगतान सीट के लिए छात्रों का आबंटन उसी आधार पर जैसाकि मुक्त सीटों के संबंध में अपनाया जाता है अवधारित परस्पर योग्यता के आधार पर किया जाए।

(ग) यह कि प्रबंधतंत्र या किसी कुटुम्ब, जाति या समुदाय, जो ऐसा महाविद्यालय स्थापित करे, के लिए कोई कोटा आरक्षित नहीं होना चाहिए।

(घ) यह कि व्यावसायिक महाविद्यालय को संबद्ध विश्वविद्यालय के अनुमोदन से सांविधानिकतः अनुज्ञेय वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

(ङ) यह कि प्रत्येक व्यावसायिक महाविद्यालय में प्रभार्य फीस ऐसी अधिकतम सीमा के अध्यक्षीन होनी चाहिए जो समुचित प्राधिकारी या सक्षम न्यायालय द्वारा विहित की जाए।

(च) यह कि प्रत्येक राज्य सरकार को यथास्थिति, व्यावसायिक महाविद्यालय या व्यावसायिक महाविद्यालयों के वर्ग द्वारा प्रभार्य फीस की अधिकतम सीमा नियत करने के लिए समिति गठित करनी चाहिए। यह समिति व्यावसायिक महाविद्यालयों को सुनने के पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार या ऐसे अधिक अन्तरालों पर जैसा वह समुचित समझे फीस नियत करेगी।

(छ) यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए फीस विनियमित करते हुए अपने अधिनियम के अधीन ऐसे विनियमित विरचित करना उचित होगा जो गैर-अनुदान सहायता के आधार पर कार्य कर रहे संबद्ध महाविद्यालय प्रभारित करने के हकदार हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् और केन्द्रीय सरकार को भी इसी प्रकार की सलाह दी गई। उस रीति को भी उपदर्शित किया गया जिसके अनुसार सीटें सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरी जाएं।

41. उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं सहित प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रबंध करने से संबंधित नागरिक के अधिकार को निर्बंधित करते हुए इस न्यायालय द्वारा विरचित स्कीम को यह कहते हुए असांविधानिक ठहराया गया कि :-

(1) प्राइवेट तौर पर प्रबंधकृत संस्थाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित स्कीम संविधान के अनुच्छेद 19(6) के अर्थान्तर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं होगी क्योंकि इसके परिणामस्वरूप राजस्व में कमी आएगी जिससे शिक्षा संस्थाओं को कठिनाई उत्पन्न होगी ;

(2) मुक्त सीट और भुगतान सीट का उपबंध समाज के एक भाग को दूसरे की कीमत पर शिक्षा प्रदान किए जाने के संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोटि में आता है और यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अयुक्तियुक्त है कि उच्च शिक्षा को मूल अधिकार नहीं माना गया है।

42. इस प्रकार, उपर्युक्त उन्नीकृष्णन् वाले मामले में के निदेशों के अनुसरण या अग्रसर करने में राज्य द्वारा जारी सभी आदेश और निदेश भी असांविधानिक हैं।

सेन्ट स्टीफन कालेज वाला मामला

43. किसी अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था द्वारा चयन का अपना तरीका अपनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) के निर्बंधनों के अध्यक्षीन है यदि संस्था सहायता प्राप्त संस्था है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं को 50 प्रतिशत सीट की सीमा तक छात्रों के प्रवेश के लिए उनका चयन करने का अपना तरीका अपनाने की बाबत अनुज्ञा देने से संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन अधिकार का अतिक्रमण नहीं होगा। आगे जिसमें संस्था कार्य करना चाहती है के अल्पसंख्यक-वर्ग की आवश्यकता की बाबत अल्पसंख्यक प्रवर्गों की भर्ती के लिए विनियम अधिरोपित कर सकता है।

44. इसमें यह प्रश्न उठा कि क्या राज्य उस अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं पर जो प्रमुखतः अर्हक परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के बजाय साक्षात्कार आयोजित करके प्रवेश देती हैं विनियामक उपाय अधिरोपित कर सकता है? इस मामले में, राज्य ने अनन्यतः अर्हक परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश देने के लिए कालेज के प्रबंधतंत्र को विवश करते हुए निर्बंधन अधिरोपित किए थे। लेकिन

प्रबंधतंत्र ने छात्रों द्वारा अभिप्राप्त अंकों के अलावा महाविद्यालय में प्रवेश देने के लिए साक्षात्कार परीक्षा भी आयोजित की। इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि सेन्ट स्टीफन्स कालेज को प्रवेश देने के लिए अभ्यर्थियों के चयन के लिए साक्षात्कार परीक्षा लेने की शक्ति से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन गारंटीकृत अल्पसंख्यक-समुदाय के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं पर राज्य द्वारा अधिरोपित किसी प्रकार का विनियामक उपाय उसे संस्था के कल्याण के लिए या उन लोगों की बेहतरी के लिए जो इन संस्थाओं में प्रवेश लेते हैं, होना चाहिए।

45. उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में सेन्ट स्टीफन वाले (पूर्वोक्त) मामले के निर्णय को कायम रखते हुए निदेश के उस भाग को जिसके द्वारा अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं के अधिकार को 50 प्रतिशत सीटों तक सीमित रखा गया विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण ठहराया गया।

46. इस न्यायालय के उपर्युक्त विनिश्चयों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन वर्णित अधिकार अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा अपनी शिक्षा संस्थाएं प्रशासित करने के अधिकार पर कोई परिसीमा या निर्बंधन अधिकथित नहीं करता है, फिर भी अधिकार का आत्यंतिक और अयुक्तियुक्त रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन मामले में उद्भूत प्रश्न

47. उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में न्यायपीठ ने निम्नलिखित प्रश्न विरचित किए:-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 में "अल्पसंख्यक-वर्गों" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है और इसमें क्या निहित है ?

2. अनुच्छेद 30(1) में की "धर्म" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है ? क्या किसी विशिष्ट धर्म के पंथ अथवा सम्प्रदाय के अनुयायी अनुच्छेद 30(1) के अधीन इस आधार पर संरक्षण का दावा कर सकते हैं कि वे राज्य में अल्पसंख्यक-वर्ग गठित करते हैं यद्यपि उस धर्म के अनुयायी उस राज्य में बहुसंख्या में हैं ?

3(क). किसी शिक्षा संस्था को अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था मानने के क्या लक्षण हैं ? क्या किसी संस्था को इस कारण अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था माना जा सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति(यों) द्वारा स्थापित की गई जो किसी धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक-वर्ग से संबंध रखते हैं अथवा उस संस्था का प्रशासन ऐसे व्यक्ति(यों) द्वारा किया जा रहा है जो धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक-वर्ग के हैं ?

3(ख). वृत्तिक शिक्षा को अनुच्छेद 30 में दिए गए अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकारों के अधीन आने वाला विषय किस सीमा तक माना जा सकता है ?

4. क्या सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था में छात्रों का प्रवेश राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जिससे संस्था संबद्ध है विनियमित किया जा सकता है ?

5(क). क्या अल्पसंख्यकों-वर्गों द्वारा अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार में छात्रों के प्रवेश और चयन का तरीका और प्रक्रिया भी सम्मिलित है ?

5(ख). क्या अल्पसंख्यक संस्थाओं का छात्रों को प्रवेश प्रदान करने का अधिकार और प्रवेश की प्रक्रिया और तरीका, यदि कोई, अधिकथित किया जाता है राज्य सहायता प्राप्त करने पर किस प्रकार प्रभावित होगा ?

5(ग). क्या ऐसे कानूनी उपबंध जो शैक्षिक अभिकरणों, शासन करने वाले निकायों के ऊपर

नियंत्रण, संबद्धता की मान्यता/उसके वापस लेने की शर्तों, कर्मचारियों, शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों तथा फीस का विनियमन आदि सखीखे प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करते हैं अल्पसंख्यक-वर्गों के प्रशासन के अधिकार में हस्तक्षेप करेंगे ?

6(क). अल्पसंख्यक संस्था का कार्यक्षेत्र कहाँ हो सकता है ? यदि कोई धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यक संस्था राज्य 'क' में शिक्षा संस्था स्थापित करे, तो क्या शिक्षा संस्था अन्य राज्यों के धार्मिक/भाषाई वर्गों के सदस्यों को जहाँ वे गैर अल्पसंख्यक हैं अधिमान देते हुए प्रवेश/आरक्षण और अन्य फायदे प्रदान कर सकते हैं ?

6 (ख). क्या यह कहना सही होगा कि केवल उस अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को जो 'क' राज्य में निवास करते हैं ऐसी संस्था की बनिस्बत उस अल्पसंख्यक-वर्ग का सदस्य माना जाएगा ?

7. क्या एक राज्य में एक भाषाई गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग का सदस्य दूसरे राज्य में न्यास/सोसाइटी स्थापित कर सकता है और उस राज्य में अल्पसंख्यक हैसियत का दावा कर सकता है ?

8. क्या इस न्यायालय द्वारा सेन्ट स्टीफन कालेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय [(1992) 1 एस. सी. सी. 558] में अधिकथित विनिश्चय-आधार सही है ? यदि नहीं, तो क्या आदेश किया जाना चाहिए ?

9. क्या जे. पी. उन्नीकृष्णन् बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [(1993) 1 एस. सी. सी. 645] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया विनिश्चय (इस विनिश्चय के केवल उस भाग को छोड़ कर जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार है) और उसके अधीन विरचित स्कीम पर पुनर्विचार/उपांतरण किया जाना आवश्यक है और यदि हाँ, तो किस हद तक ?

10. क्या गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों को अनुच्छेद 14 और 15(1) के साथ पठित अनुच्छेद 21 और 29(1) के अधीन अल्पसंख्यक संस्थाओं की भांति और उसी रूप में शिक्षा संस्था स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार है ? और

11. संविधान के विभिन्न उपबंधों में "शिक्षा" और "शिक्षा संस्था" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है ? क्या शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार संविधान के अधीन प्रत्याभूत है ?

48. न्यायपीठ ने 11 प्रश्नों में से 4 प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । माननीय न्यायमूर्ति बी. एन. कृपाल ने बहुमत की ओर से निर्णय देते हुए निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन न्यायपीठ द्वारा उत्तर दिए गए प्रश्नों पर विचार किया :-

1. क्या शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करना मूल अधिकार है और यदि हाँ, तो किस उपबंध के अधीन?

2. क्या उन्नीकृष्णन् वाले मामले पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक है ?

3. क्या प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के संबंध में सरकारी विनियम हो सकते हैं और यदि हाँ, तो किस सीमा तक ?

4. अनुच्छेद 30 के संबंध में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक-वर्गों की विद्यमानता अवधारित करने के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए-राज्य अथवा सम्पूर्ण देश ? और

5. सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं के प्रशासित करने के अधिकार को किस सीमा तक विनियमित किया जा सकता है ?

49. हमें शीर्षक 1 के अंतर्गत आने वाले विषय पर विचार नहीं करना है। इस मामले में मुख्य विवादक पूर्वोक्त शीर्षक सं. 2,3 और 5 के संबंध में है।

50. अतः हमें इस मामले में प्रश्न सं. 3(ख), 4, 5(क), 5(ख), 5(ग) और 9 पर विचार करना है।

51. सुसंगत प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं :-

उत्तर सं. 3(ख) - अनुच्छेद 30(1) में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है। "अपनी रुचि की" शब्दों के प्रयोग से यह उपदर्शित होता है कि वृत्तिक शिक्षा संस्थाएं भी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आती हैं।

उ0 4: गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं अर्थात् विद्यालयों और स्नातकपूर्व महाविद्यालयों जिनमें योग्यता पर आधारित चयन की संभावना व्यावहारिक रूप से शून्य होती है, में छात्रों के प्रवेश को संबंधित राज्य अथवा विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक स्तरमान के हित में अर्हताएं और न्यूनतम शर्तें उपबंधित करने को छोड़कर विनियमित नहीं किया जा सकता है।

छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 30 में यथानुध्यात अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को प्रशासित करने के अधिकार का एक आवश्यक पहलू होने के कारण, राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय को, यदि गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पारदर्शी आधार पर प्रदान किया जाता है और योग्यता को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा जा रहा है, इस अधिकार में हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। प्रशासित करने का अधिकार पूर्ण न होने के कारण शैक्षिक स्तरमान सुनिश्चित करने और उसकी उत्कृष्टता को बनाये रखने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं और वृत्तिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में और भी आवश्यक है।

सहायता प्राप्त होते ही अल्पसंख्यक संस्था का अल्पसंख्यक अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता है। अतः सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था को अल्पसंख्यक-वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को प्रवेश प्रदान करने का हक है और साथ ही उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक युक्तियुक्त सीमा तक गैर-अल्पसंख्यक छात्रों को भी प्रवेश प्रदान करे ताकि अनुच्छेद 30(1) के अधीन के अधिकार सारवान् रूप से प्रभावित न हों और अनुच्छेद 29(2) के अधीन भी नागरिकों के अधिकारों का अतिलंघन न हो। युक्तियुक्त सीमा क्या होगी यह संस्था के प्रकार, शिक्षा के पाठ्यक्रम जिसके प्रवेश की ईप्सा की जा रही है और अन्य तथ्य जैसाकि शैक्षिक आवश्यकताओं, सरीखे अन्य कारकों पर निर्भर करता है। संबंधित राज्य सरकार को गैर अल्पसंख्यक-वर्ग के छात्रों जिन्हें प्रवेश प्रदान किया जाना है का प्रतिशत उपर्युक्त मताभिव्यक्तियों के आलोक में अधिसूचित करना चाहिए। अल्पसंख्यक-वर्ग से संबंधित आवेदकों के मध्य पारस्परिक योग्यता को सुनिश्चित किया जा सकता है। सहायता प्राप्त वृत्तिक संस्थाओं के मामले में यह अनुबद्ध किया जा सकता है कि प्रवेश प्राप्त करने के लिए राज्य अभिकरण द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है। जहां तक उन गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग के छात्रों का संबंध है जो बकाया सीटों के प्रवेश की ईप्सा करने के पात्र हैं, प्रवेश सामान्यतः राज्य अभिकरण द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा और उसके बाद काउंसिलिंग जहां भी यह प्रचलन में है के आधार पर होना चाहिए।

उ0 5(क): छात्रों के प्रवेश और चयन के संबंध में अल्पसंख्यक संस्था की अपनी स्वयं की प्रक्रिया और तरीका हो सकता है किंतु ऐसी प्रक्रिया उचित और पारदर्शी होनी चाहिए और वृत्तिक तथा उच्चतर शिक्षा महाविद्यालयों में छात्रों का चयन योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अपनायी गई प्रक्रिया अथवा किया जाने वाला चयन कुप्रशासन से प्रभावित नहीं होना चाहिए। गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था को भी पूर्वोक्त महाविद्यालयों में छात्रों के प्रवेश प्रदान करने के अपने अधिकार का

प्रयोग करते हुए प्रवेश के संबंध में छात्रों की योग्यता को अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि उस स्थिति में संस्था उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकेगी।

उ० 5(ख) : वृत्तिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करते हुए सहायता देने वाले प्राधिकारी के लिए गैर अल्पसंख्यक छात्रों को राज्य की आरक्षण नीति के साथ विनियम और उपनियम तथा उन शर्तों को जिनके आधार पर विभिन्न सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को योग्यता के कारण प्रवेश दिया जाएगा विहित करना अनुज्ञेय होगा। योग्यता का अवधारण या तो संबंधित विश्वविद्यालय अथवा सरकार द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के पश्चात् काउंसिलिंग द्वारा या अलग-अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जा सकता है और अनुसरण किए जाने वाले तरीके का विनिश्चय विश्वविद्यालय अथवा सरकार द्वारा किया जाएगा। प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी सहायता प्राप्त वृत्तिक संस्था में प्रवेश योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाए अन्य उपाय परिकल्पित कर सकता है। ऐसी संस्थाओं के मामले में सरकार अथवा विश्वविद्यालय के लिए समाज के कमजोर वर्गों के प्रति विचार किया जाना अनुज्ञेय होगा।

उ० 5(ग) : जहां तक प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले कानूनी उपबंधों का संबंध है, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के मामले में नियंत्रण के विनियामक उपाय कम-से-कम होने चाहिए और मान्यता और किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड के साथ संबद्धता और मान्यता की शर्तों का पालन किया जाना चाहिए किंतु कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षक व्यक्तियों की नियुक्ति, उनके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण सरीखे दिन-प्रति-दिन के मामलों में प्रबंधतंत्र को स्वतंत्रता होनी चाहिए और कोई बाह्य नियंत्रण अभिकरण नहीं होना चाहिए। तथापि प्रबंधतंत्र द्वारा शिक्षक वर्ग के चयन और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए युक्तिसंगत प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए।

सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों जिन्हें दंडित या जिनकी सेवासमाप्ति की जाती है एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और हमारी राय में समुचित अधिकरण गठित किए जाने चाहिए और तब तक ऐसे अधिकरणों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश के रैंक के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

तथापि राज्य अथवा अन्य नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी में किसी व्यक्ति की किसी शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य या शिक्षक के रूप में नियुक्ति किए जाने से संबंधित न्यूनतम अर्हता, अनुभव और उसकी योग्यता से संबंधित अन्य शर्तें सदैव विहित कर सकते हैं।

शिक्षक और अन्य कर्मचारियों जिनके लिए राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती है कर्मचारियों के उम्र प्रबंधतंत्र के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए बिना सेवा शर्तों को शासित करने के लिए विनियम विरचित किए जा सकते हैं।

गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस विनियमित नहीं की जा सकती है किंतु कोई भी संस्था को प्रतिव्यक्ति (कैपिटेशन) फीस वसूल नहीं करेगी।

उ० 9 : इस न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन् वाले मामले में विरचित स्कीम और उसको छोड़कर जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा एक मूल अधिकार है इसे अधिरोपित करने का निदेश असांविधानिक है। तथापि, यह सिद्धांत कि प्रतिव्यक्ति (कैपिटेशन) फीस अथवा मुनाफाखोरी नहीं की जानी चाहिए सही है। तथापि, प्रसुविधाओं के विस्तार और प्रसार के व्यय को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त अधिशेष मुनाफाखोरी नहीं है।

52. पूर्वोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विरोध दूर किया जाए।

मुख्य प्रश्न :

(i) गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं अपना निजी फीस ढांचा अधिकथित करने की हकदार हैं ?

(ii) क्या उपर्युक्त टी. एम. ए. पर्ई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए प्राइवेट और गैर-सहायताप्राप्त अपना निजी प्रवेश कार्यक्रम अपनाने की हकदार हैं ?

(iii) क्या राज्य सरकारें प्रबंधतंत्र द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों का कोटा अधिकथित करने की हकदार हैं ?

टी. एम. ए. पर्ई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय के सुसंगत निष्कर्ष

53. शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन नागरिकों का और अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक-वर्गों का गारंटीकृत अधिकार ठहराया गया।

54. हमारे में से एक (मुख्य न्यायमूर्ति खरे) ने बहुमत से सहमत होते हुए सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं तथा अनुच्छेद 29 के खंड (2) के देखने में अनुच्छेद 30 के खंड (1) के अधीन अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकार के निर्वचन के विषय में अलग राय व्यक्त की और यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसा अधिकार अनुच्छेद 29 के खंड (2) और अनुच्छेद 28 के खंड (3) में अधिकथित शर्तों द्वारा सीमित है।

न्यायमूर्ति कादरी ने पूर्वोक्त मत से सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा :-

“259. मान्यता और/अथवा सहायता की ईप्सा करने वाले अल्पसंख्यक-वर्गों के संबंध में उपर्युक्त केरल शिक्षा विधेयक [(1959) एस. सी. आर. 995] वाले मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि अल्पसंख्यक-वर्ग की ऐसी शिक्षा संस्थाओं के लिए जिनमें सक्षम अध्यापकों जिनके पास नाममात्र की अर्हता है का अभाव है, अवांछनीय परिवेश में चलाई जाने वाली शिक्षा संस्था और जो शिक्षा का उचित स्तर भी अनुरक्षित नहीं रख पा रही है या जिनमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो छात्रों के हितसाधन में सहायक नहीं है की मान्यता या सहायता के लिए कहना वास्तव में ठीक नहीं होगा। ऐसे मामलों में ‘राज्य यह आग्रह कर सकता है कि सहायता प्रदान करने के लिए वह (राज्य) सहायता दी जाने वाली संस्थाओं की उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त विनियम विहित कर सकता है।’ (बल देने के लिए रेखांकन किया गया)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मान्यता अथवा सहायता प्रदान करने के लिए अनुध्यात विनियम शिक्षा की उत्कृष्टता और प्रशासन की कार्यकुशलता के सम्बन्ध में होने चाहिए अर्थात् संस्थाओं के लिए कतिपय स्वास्थ्यवर्धक परिवेश बनाना, अपेक्षित अर्हता रखने वाले सक्षम शिक्षकों का होना और शिक्षण का समुचित स्तर अनुरक्षित रखना, ऐसे विनियम अधिकारों पर निर्बंधन नहीं हैं अपितु इनमें शिक्षा संस्था के उचित प्रशासन के पहलुओं शिक्षा की उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं में कुप्रशासन को रोकने की मात्र चर्चा है अतः वे अनुज्ञेय होंगे। यह इस सिद्धान्त पर है कि जब संविधान कोई अधिकार प्रदान करता है, तो राज्य द्वारा इस निमित्त विरचित कोई भी विनियम उस अधिकार के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए हो न कि उसे विफल बनाने के लिए।”

न्यायमूर्ति पाल ने भी उक्त मत से सहमत होते हुए यह कहा :-

“इसी प्रकार संविधान में भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक-वर्गों के रूप में विशेष वर्गों द्वारा अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने संबंधी अधिकारों को मान्यता देते हुए

अनुच्छेद 30(1) के रूप में अनुच्छेद 29(2) का एक और अपवाद भी सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार अन्य नागरिकों के साथ केवल धर्म या भाषा के आधार पर विभेद करने के रूप में प्रवर्तित नहीं होता। ऐसा वर्गीकरण अपने आप में केवल धर्म या भाषा के कारण नहीं है बल्कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक-वर्ग के कारण है। यद्यपि संविधान द्वारा किए गए वर्गीकरण को न्यायोचित ठहराना आवश्यक नहीं है तथापि 'अल्पसंख्यकता' संबंधी तथ्य विभेद करने के लिए स्पष्टतः युक्तिसंगत हैं क्योंकि ऐसे वर्गीकरण के लिए इस उपधारणा पर जोर दिया गया है कि अल्पसंख्यक-वर्ग अपनी संख्या के कारण राजनैतिक रूप से अलामप्रद स्थिति में है और उन्हें कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष संरक्षण दिया जाना अपेक्षित है।

अतः अनुच्छेद 15(4) 337 और 30 सारवान् समता के पहलू हैं जिनके द्वारा विशेष वर्गों के लिए विशेष कारणों से विशेष उपबंध किए गए हैं।”

55. हम में से एक (न्यायमूर्ति वरियावा) ने स्वयं और न्यायमूर्ति भान की ओर से निर्णय देते हुए बहुमत से तो सहमति व्यक्त की लेकिन इसके लिए एक तंत्र तैयार किया जाना उचित समझा और यह मत व्यक्त किया :-

“जहां तक प्रशासन के पहलुओं को विनियमित करने वाले कानूनी उपबंधों का संबंध है, गैर सहायता-प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था के मामले में नियंत्रण के विनियामक उपाय कम-से-कम होने चाहिए और किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड के साथ मान्यता और संबद्धता की शर्तों का पालन किया जाना चाहिए किंतु कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षक व्यक्तियों की नियुक्ति, उनके ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण सरीखे दिन-प्रतिदिन के मामलों में प्रबंधतंत्र को स्वतंत्रता होनी चाहिए और कोई बाह्य नियंत्रण अभिकरण नहीं होना चाहिए। तथापि प्रबंधतंत्र द्वारा शिक्षक वर्ग के चयन और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए युक्तिसंगत प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए। ऐसे कर्मचारियों की, जिन्हें दंडित किया जाता है या जिनकी सेवासमाप्ति की जाती है, शिकायतों के निराकरण के लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए और हमारी सय में समुचित अधिकरण गठित किए जा सकते हैं और तब तक ऐसे अधिकरणों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश के बैंक के न्यायिक अधिकारी द्वारा की जा सकती है। तथापि राज्य अथवा अन्य नियंत्रण करने वाले प्राधिकारीगण किसी व्यक्ति की किसी शिक्षा संस्था के प्रधानाचार्य या शिक्षक के रूप में नियुक्ति किए जाने से संबंधित न्यूनतम अर्हता, अनुभव और उसकी योग्यता से संबंधित अन्य शर्तें सदैव विहित कर सकते हैं।

शिक्षक और अन्य कर्मचारियों जिनके लिए राज्य द्वारा सहायता प्रदान की जाती है कर्मचारियों के ऊपर प्रबंधतंत्र के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तक्षेप किए बिना सेवा शर्तों को शासित करने के लिए विनियम विरचित किए जा सकते हैं। सरकार/विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि को चयन समिति से सहयुक्त किया जा सकता है और चयन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित किए जा सकते हैं। गैर-सहायता-प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं के संबंध में, ऐसे विनियम विरचित किए जा सकेंगे जो अत्ररजु आधार और सामान्य कल्याण पर नियंत्रण सुनिश्चित कर सकें।

यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित तंत्र विकसित किया जा सकेगा कि कोई कैपिटेशन फीस वसूल न की जाए और मुनाफाखोरी का आश्रय न लिया जाए।

ये विनियम सहायताप्राप्त और गैर-सहायताप्राप्त संस्थाओं को समान विस्तार तक लागू नहीं होंगे।”

56. बहुमत ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 29 के खंड (2) और अनुच्छेद 30 के खंड (1) के उपबंधों के बीच स्पष्ट विरोध है। अनुच्छेद 29 राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी

शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित न किए जाने की गारंटी देता है ; जबकि अनुच्छेद 30 का खंड (1) अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का मूल अधिकार प्रदान करता है ।

57. यह अनुबंध करते हुए एक उत्कृष्ट संतुलन स्थापित करने की ईप्सा की गई कि अल्पसंख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाएं "युक्तियुक्त सीमा" तक गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के छात्रों को प्रवेश प्रदान कर सकती हैं जिससे कि अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों दोनों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके । तथापि, किस सीमा तक ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए इस बात की अवधारणा राज्य द्वारा 'संस्था का प्रकार', 'शिक्षा का पाठ्यक्रम' 'अल्पसंख्यक-वर्गों की जनसंख्या और शैक्षिक आवश्यकता' जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए । यह भी अधिकथित किया गया कि अल्पसंख्यक-वर्गों की संस्थाओं से आवेदकों के बीच की परस्पर योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें (छात्रों) को प्रवेश देना अपेक्षित है । गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के छात्र जो परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, अपनी अलग संबंधित संचयी योग्यता के अनुसार "आबंटित सीटों" पर प्रवेश की ईप्सा करने के हकदार होंगे ।

58. तथापि, हम में से एक न्यायमूर्ति वरियावा ने स्वयं और न्यायमूर्ति भान की ओर से निर्णय सुनाते हुए स्पष्टतः यह अभिनिर्धारित किया कि जहां अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाएं राज्य से सहायता लेती हैं, वहां उन्हें अकेले अपने (अल्पसंख्यक) समुदाय के छात्रों को ही प्रवेश देने का कोई अधिकार नहीं है । उक्त निष्कर्ष निकालने के लिए विद्वान् न्यायाधीश ने उक्त उपबंध के इतिहास और संविधान निर्माताओं के आशय के प्रति निर्देश किया जो कि "ऐसा पथनिरपेक्ष राज्य जिसमें विभिन्न धर्मों के सभी व्यक्तियों को समता और भेदभाव न बरते जाने की अनुभूति हो" स्थापित करने की बाबत अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदत्त करने के बारे में था ।

59. विद्वान् न्यायाधीश ने आगे प्रारूप अनुच्छेद 6 में 'अपने निजी व्यय पर' शर्त खंड के महत्व के बारे में यह कहा :-

"धर्म अथवा भाषा पर आधारित राज्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक-वर्गों से संबंधित नागरिकों को, पूर्ण, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों और अन्य शिक्षा स्थापनों को अपनी भाषा का स्वतंत्र रूप में प्रयोग करने और अपने धर्म का पालन करने के साथ अपने स्वयं के खर्च पर बनाने, नियंत्रित करने और प्रशासित करने का अन्य नागरिकों के साथ समान अधिकार होगा ।

विद्यालयों को राज्य की सहायता प्रदान करने वाला कोई भी विधान धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक-वर्गों के प्रबंधनाधीन विद्यालयों के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा ।"

60. विद्वान् न्यायाधीश ने यह भी मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 30(1) के कारण अल्पसंख्यक-वर्गों को कोई 'विशेष' या 'अतिरिक्त' अधिकार नहीं प्रदान किया गया है ।

61. यद्यपि संविधान में 'अल्पसंख्यक-वर्गों' पद को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन हमारे में से एक मुख्य न्यायमूर्ति खरे ने अल्पसंख्यक-वर्गों के संरक्षण विषय से संबंधित ईयर बुक ऑन ह्यूमन राइट्स (1950) और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और कुछ अन्य मानक कृतियों का उल्लेख किया ।

62. यद्यपि पैरा 153 में योग्यता के बारे में मत व्यक्त किया गया लेकिन प्रश्न सं. 7 का उत्तर देते समय इसका उत्तर समुचित न्यायपीठों पर छोड़ दिया गया ।

63. बहुमत ने यह राय व्यक्त की कि व्यक्तियों के समूह की अल्पसंख्यक वर्गीय प्रास्थिति का अवधारण संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर किया जाए न कि सम्पूर्ण देश के

आधार पर। आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 30 के उपबंध के अर्थान्तर्गत शिक्षा से प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा भी है।

64. तथापि, न्यायपीठ ने उपर्युक्त उन्नीकृष्णन् वाले मामले में के आदेश को उलट दिया कि शिक्षा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अर्थान्तर्गत "कारबार" या "उपजीविका" नहीं है जिसमें मुंबई राज्य बनाम आर. एम. टी. चमारबागवाला¹ वाले मामले के प्रति निर्देश करते हुए और अति वाणिज्यिक विषय के सिद्धान्त को शामिल करते हुए न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया :-

"यद्यपि यह निष्कर्ष सही है कि "उपजीविका" में शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करना सम्मिलित है। पूर्वोक्त मताभिव्यक्ति से संबंधित इस प्रभाव का परंतु कि ऐसा उस समय के लिए उपबंध किया गया है जब राज्य से किसी प्रकार की मान्यता या संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता की ईप्सा न की गई हो। ससम्मान यह मत गलत है। शिक्षा संस्था स्थापित करने के मूल अधिकार को मान्यता या संबद्धता चाहने के अधिकार से नहीं जोड़ा जा सकता है।"

65. उपर्युक्त उन्नीकृष्णन् वाले मामले में विरचित स्कीम और प्राइवेट रूप से प्रबंधकृत शिक्षा संस्थाओं की बनिस्बत उक्त स्कीम को प्रभावी बनाने के लिए सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संबंधित निकायों को जारी निदेशों को असंवैधानिक घोषित करते हुए दो प्रतिपादनाओं अर्थात् (1) प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार है; और (2) संस्था किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस प्रभारित नहीं कर सकती है और न ही अन्यथा किसी प्रकार की मुनाफाखोरी कर सकती है, की अभिपुष्टि की।

यह मत व्यक्त किया गया :-

"उन्नीकृष्णन् वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा विरचित स्कीम और उसे छोड़कर जहां यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मूल अधिकार है इसे अधिरोपित करने का निदेश असांविधानिक है। तथापि, यह सिद्धान्त कि कैपिटेशन फीस या मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए, सही है। तथापि, सुविधाएं बढ़ाने और उन्हें विस्तारित करने, लागत को पूरा करने के लिए युक्तियुक्त अधिशेष मुनाफाखोरी की कोटि में नहीं आते हैं।"

66. न्यायपीठ ने प्राइवेट संस्थाओं की इस दलील से सहमति व्यक्त की कि ऐसी प्रत्येक संस्था को संबद्धता और मान्यता दी जानी चाहिए जो उसे मंजूर किए जाने की शर्तों को पूरा करती है और यह मत व्यक्त किया :-

"प्राइवेट संस्थाओं का यह निवेदन सही है कि न्यायालय को इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि कानूनी प्राधिकारियों को स्कीम की शर्तों को संबद्धता या मान्यता प्रदान करने की शर्त के रूप में स्कीम के निबंधनों को अधिरोपित करना चाहिए; इससे संस्था की संस्थागत स्वायत्तता और उसे स्थापित करने का उद्देश्य ही पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा।"

67. तथापि, न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि व्यावसायिक शिक्षा में योग्यता मानदंड होनी चाहिए।

68. यह मूल्यांकन करने के लिए उपर्युक्त उन्नीकृष्णन् वाले मामले में विरचित स्कीम का उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में किस सीमा तक समर्थन नहीं किया गया, हम उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय की मताभिव्यक्तियों को इस प्रकार उपवर्णित कर सकते हैं :-

¹ [1957] एस. सी. आर. 874.

1. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना

सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(छ) और 26 के अधीन शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है किन्तु यह अधिकार अनुच्छेद 19(6) और 26-क के उपबंधों के अधीन है। (प्रश्न सं. 10 और 11 के उत्तर देखें)

2. पाठ्यक्रमों में प्रवेश

(i) प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालय

(क) व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश सरकारी अभिकरणों द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में की योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए। (पैराग्राफ 59 देखें)

(ख) प्रबंधतंत्र द्वारा निश्चित प्रतिशत स्थान उन छात्रों में से जिन्होंने प्रबंधतंत्र द्वारा या राज्य अभिकरण द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है प्रवेश देने के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं और बकाया सीटें राज्य अभिकरण द्वारा काउंसिलिंग के आधार पर भरी जा सकती हैं। प्रतिशत विहित किए जाने का अवधारण सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। (पैराग्राफ 68 देखिए)

(ग) यदि संविधान न्यायपीठ के इन पूर्ववर्ती कथनों पर विचार किया जाए कि उच्च शिक्षा मूल अधिकार नहीं हैं, तो किसी नागरिक को दूसरे छात्र की शिक्षा के लिए संदाय करने की बाबत विवश करना अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है, वह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के इस अवास्तविक संसार में जिसमें केवल प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर ही प्रवेश के प्रयोजनार्थ योग्यता को आंका जाता है और जिसमें शहरी छात्र सदैव ग्रामीण छात्रों के ऊपर हावी रहते हैं। वे व्यक्ति जो व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए संदाय (भुगतान) करना चाहिए। (पैराग्राफ 37 और 70 देखिए)

(ii) प्राइवेट सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं

सहायता देने वाले प्राधिकारी के लिए नियमों या विनियमों द्वारा ऐसी शर्तें विहित करना अनुज्ञेय होगा जिनके आधार पर योग्यता के साथ राज्य की आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। योग्यता का अवधारण या तो विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा और बाद में काउंसिलिंग के आधार पर या प्रत्येक संस्था द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जा सकता है और अनुसरण किए जाने वाले तरीके का विनिश्चय सरकार या विश्वविद्यालय को करना चाहिए।

(iii) प्राइवेट सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाएं

राज्य सरकार अल्प संख्यक-वर्गों की शिक्षा संस्थाओं में अपनी रुचि के छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार में उस समय तक हस्तक्षेप करने की हकदार नहीं हैं जब तक प्रवेश पारदर्शी आधार पर है और योग्यता का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा गया है। अधिकार आत्यंतिक न होने के कारण, शिक्षा का स्तर सुनिश्चित करने और उसकी उत्कृष्टता, विशेषकर व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के मामले में बनाए रखने के लिए विनियामक उपाय किए जा सकते हैं। (देखें पृष्ठ 588 प्रश्न सं. 4)

2 (iv) अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं

ऐसी संस्थाओं को अल्पसंख्यक समूह के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार होगा और साथ ही वे राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के छात्रों को भी युक्तियुक्त सीमा तक प्रदान

करेंगी। व्यावसायिक संस्थाओं के मामले में यह भी अनुबंध किया जा सकता है कि प्रवेश प्राप्त करने के लिए राज्य अभिकरण द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। [देखें पृष्ठ 588, प्रश्न 4, 5(क) और 5(ख)]

3. सीटों का आरक्षण

राज्य को प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हताएं विहित करने का अधिकार तो है, फिर भी प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को चयन की उद्देश्यपूर्ण और युक्तियुक्त प्रक्रिया और उन शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए यदि कोई हों और जिनके द्वारा कमजोर वर्गों के छात्रों के एक निश्चित प्रतिशत की फीस माफ की जा सके या छात्रवृत्ति प्रदान की जा सके यदि वह सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गई है अपनी रुचि के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है।

4. फीस ढांचा

(i) "निःशुल्क" और "भुगतान (संदाय)" सीटों की स्कीम इस उपधारणा पर विरचित की गई कि प्रवेश पाने वाले पहले 50% छात्रों की आर्थिक हैसियत बकाया 50% छात्रों से सुदृढ़ होगी जबकि वास्तव में इसके विपरीत साबित हुआ है। इस स्कीम में "भुगतान (संदाय)" सीट पर प्रवेश पाने वाला छात्र न केवल अपने स्थान के लिए भुगतान करेगा बल्कि "निःशुल्क सीट" वाले सहपाठी का भी वित्त पोषण करेगा। यह अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है कि किसी नागरिक को विवश किया जाए कि वह दूसरे की शिक्षा के लिए भुगतान (संदाय) करे वह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के इस अवास्तविक संसार में जिसमें प्रवेश के प्रयोजनार्थ योग्यता को एकमात्र रूप में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर आंका जाता है और जिसमें शहरी छात्र सदैव ग्रामीण छात्रों के ऊपर हावी रहते हैं। व्यवहार्यतः सीमान्त रूप से कम योग्यता रखने वाले ग्रामीण अथवा गरीब छात्रों की यह समस्या रही है कि उन्हें अमीर और मलीभांति खुले हुए शहरी छात्रों का भार भी वहन करना पड़ता है। (पैराग्राफ 37 देखिए)

(ii) उपर्युक्त उन्नीकृष्णन् वाले मामले का विनिश्चय जहां तक उसका संबंध प्रवेश प्रदान करने और फीस नियत करने की बाबत स्कीम विरचित करने से है सही नहीं है और उस सीमा तक वह विनिश्चय और उस विनिश्चय के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इत्यादि को दिए गए निर्देश उलटे जाते हैं। (पैराग्राफ 45)

(iii) प्रबंधतंत्र को एक ऐसा युक्तिसंगत फीस ढांचा अंगीकृत करना चाहिए और उसे (प्रबंधतंत्र को) कैपिटेशन फीस वसूल करने का कोई हक नहीं है तथा राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित तंत्र स्थापित किया जा सकता है कि किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस वसूल न की जाए और न ही किसी प्रकार का लाभोपार्जन किया जाए, यद्यपि शिक्षा अग्रसर करने की दिशा में युक्तियुक्त अधिशेष अनुज्ञेय हैं। मान्यता अथवा संबद्धता प्रदान करने संबंधी शर्तों के अंतर्गत मोटे तौर पर छात्रों और शिक्षकों के कल्याण सहित शैक्षणिक और शिक्षा संबंधी मामले भी आ सकते हैं। (पैराग्राफ 69 प्रश्न सं. 9)

69. इन मामलों में उद्भूत समस्या का अवलोकन पूर्वोक्त परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए।

70. संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) और अनुच्छेद 30 दोनों के अधीन शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना मूल अधिकार है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उपर्युक्त उन्नीकृष्णन् वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा विरचित स्कीम संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के अर्थान्तर्गत कोई युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित

नहीं करती है। सहायता प्राप्त संस्थाओं की तुलना में गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं को संस्थाएं चलाने की अधिक स्वायत्तता होगी। तथापि, गैर-व्यावसायिक संस्थाओं के मामले में स्वायत्तता आत्यंतिक है जबकि व्यावसायिक संस्थाओं के मामले में ऐसा नहीं है।

71. संस्था स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार में निम्नलिखित अधिकार भी समाविष्ट हैं :-

(क) छात्रों को प्रवेश देना ;

(ख) युक्तियुक्त फीस ढांचा तैयार करना ;

(ग) शासी निकाय गठित करना ;

(घ) कर्मचारियों (शिक्षण और गैर-शिक्षण) की नियुक्ति करना ; और

(ङ) यदि किसी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य पालन में कोताही की जाती है तो कार्रवाई करना।

72. फीस ढांचा के बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया कि कठोर फीस ढांचा नियत करना, शासी निकाय की विरचना और संरचना का आदेश देना, अध्यापकों और कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति के लिए अनिवार्य नामनिर्देशन या प्रवेश के लिए छात्रों का नामनिर्देशन करना अस्वीकार्य निर्बंधन होंगे। कोई भी शिक्षा संस्था कारबार का स्थल नहीं हो सकती है। उस स्वतंत्रता की परीक्षा करने के लिए जो किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्था को किसी प्राइवेट अस्तित्व वाली ऐसी किसी संस्था की तरह दी जा सकती है जो सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करती है और जो अपने द्वारा व्युत्पन्न निधियों के आधार पर विद्यमान है जिसमें उनके ऋण और उधार भी सम्मिलित हैं, यह अवेक्षा करना महत्वपूर्ण है कि प्राइवेट संस्था के प्रबंधन के आवश्यक घटकों के अंतर्गत छात्रों का प्रवेश और कर्मचारियों की भर्ती और प्रभारित की जाने वाली फीस की प्रमात्रा भी सम्मिलित है।

73. शिक्षा संस्था उस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ स्थापित की जाती है जो उस संस्था द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। शिक्षकों द्वारा प्रायः विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं और इन शिक्षकों की नियुक्ति विहित अर्हता के अनुसार की जाती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि कार्य करने का बेहतर परिवेश बेहतर शिक्षकों को आकर्षित करता है। अधिक सुख-सुविधाएं किसी शिक्षा संस्था में बेहतर छात्रों के प्रवेश को सुनिश्चित करती हैं। इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि सक्षम शिक्षण संकाय और अन्य अवसंरचना के रूप में छात्रों को अच्छी सुख-सुविधाएं उपलब्ध करवाने में धन व्यय होता है। यदि संस्था सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं करना चाहती है तो यह संस्था के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह फीस की प्रमात्रा अवधारित करे जो वह छात्रों से वसूल करना चाहती है। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि हम ऐसे प्रतिस्पर्धा वाले युग में रह रहे हैं जिसमें व्यावसायिक शिक्षा की मांग है। हमें इस बाबत अवगत कराया गया कि प्राइवेट लोगों द्वारा बड़ी संख्या में ऐसी व्यावसायिक और अन्य संस्थाएं आरंभ की जा चुकी हैं जो सरकार से कोई सहायता नहीं लेती हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक भावी छात्र के पास ऐसे अनेक विकल्प होते हैं जिनमें सामान्य रूप से आर्थिक कारण ही भूमिका अदा करते हैं। प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में विनिश्चय करने का अधिकार अवश्वमेव ही उस प्राइवेट शिक्षा संस्था पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो सरकार से किसी निधि की ईप्सा नहीं करती है और न ही इसके लिए उस पर आश्रित है।

74. चूंकि शिक्षा संस्था स्थापित करने का उद्देश्य पूर्ण प्रकृति का है, इसलिए कैपिटेशन फीस और मुनाफाखोरी की अनुमति नहीं दी जा सकती है :-

(क) यद्यपि संस्थाएं शिक्षा के विकास और संस्था के प्रसार के प्रयोजनार्थ युक्तियुक्त राजस्व आधिक्य पैदा कर सकती हैं।

(ख) व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए योग्यता की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और योग्य अभ्यर्थियों के साथ कम योग्य किन्तु अधिक प्रभावशाली आवेदकों को अधिमानता देकर अनुचित व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।

75. व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्टता की यह मांग है कि प्रवेश चाहने वाले छात्र की योग्यता पर अधिक जोर दिया जाए और इस संबंध में समुचित विनियम बनाए जा सकते हैं।

योग्यता के अवधारण के संबंध में, यह कहा गया :-

“व्यावसायिक और उच्चतर शिक्षा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए योग्यता का अवधारण प्रायः उस अंकों के जो छात्र अर्हक परीक्षा अथवा स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र के प्रक्रम पर प्राप्त करते हैं और तत्पश्चात् साक्षात्कार के आधार पर या संस्था द्वारा अथवा व्यावसायिक महाविद्यालयों के मामले में सरकारी अभिकरणों द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है।”

76. शिक्षा संस्थाएं अपनी सनक या तरंगवश प्रवेश प्रदान नहीं कर सकती हैं और उन्हें छात्रों के प्रवेश के लिए एक परिलक्षित अथवा युक्तियुक्त प्रणाली को अपनाना चाहिए। कोई भी स्कीम, नियम या विनियम, जो संस्था को उन अभ्यर्थियों को जो अन्यथा अर्थात् प्रवेश परीक्षा में अपने प्राप्तांकों के आधार पर अर्हित हैं, अस्वीकार करने का अधिकार नहीं देता है। अनुच्छेद 19(6) के अधीन अयुक्तियुक्त निर्बंधन होंगे यद्यपि उचित रीति में प्रवेश परीक्षा करवाने के लिए समुचित दिशा-निर्देश/रीति विहित की जा सकती है। तब भी जब योग्यता के आधार पर छात्रों का चयन करने की अपेक्षा की जाती है, तो भी उन छात्रों को जिन्होंने प्रवेश पाने के लिए अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है प्रवेश प्रदान करने का अंतिम निर्णय शिक्षा संस्था पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तथापि, जब संस्था ऐसे छात्रों को अस्वीकार करती है, तो ऐसी अस्वीकृति सनकपूर्ण अथवा बाह्य कारणों के आधार पर नहीं होनी चाहिए।

77. प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों को शासित करने वाले सिद्धान्तों पर अलग से पैराग्राफ 67, 68 और 69 में विचार किया गया है। इनके सुसंगत भाग इस प्रकार हैं :-

“यह अनुचित होगा कि सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं, दोनों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए समान नियमों और विनियमों को लागू किया जाए। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाएं अपने प्रशासन में स्वायत्तता की हकदार हैं जबकि इसके साथ-साथ योग्यता के सिद्धान्त को छोड़ नहीं सकती या उसे त्यक्त नहीं कर सकती। अतः विश्वविद्यालय या सरकार के लिए मान्यता प्रदान करते समय किसी प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त संस्था से यह अपेक्षा करना अनुज्ञेय होगा कि वह योग्यता पर आधारित चयन के लिए उपबंध करें जबकि इसके साथ-साथ प्रबन्ध तंत्र को छात्रों को प्रवेश प्रदान करने के संबंध में पर्याप्त विवेकाधिकार भी प्रदान करने होंगे। यह विभिन्न पद्धतियों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक निश्चित प्रतिशत स्थान प्रबन्ध तंत्र द्वारा उन छात्रों में से प्रवेश देने के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं जिन्होंने प्रबन्ध तंत्र या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और संबद्ध महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन किया हो जबकि बकाया सीटें राज्य अभिकरण द्वारा काउंसिलिंग के आधार पर भरी जा सकती हैं। यह आनुषंगिक रूप से समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के हित में होगा। इस प्रयोजन के लिए एक निश्चित प्रतिशत सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विहित किया जाना है और अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक गैर सहायता प्राप्त और व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत निर्धारित किए जा सकते हैं। यही सिद्धान्त अन्य गैर व्यावसायिक किन्तु गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं अर्थात् स्नातक और स्नातकोत्तर गैर

व्यावसायिक महाविद्यालयों या संस्थाओं के संबंध में भी लागू किए जा सकते हैं।

ऐसी व्यावसायिक गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रबन्ध तंत्र को यह अधिकार होगा कि वह चयन की युक्तिसंगत प्रक्रिया को अंगीकृत करने के अध्याधीन राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित अर्हता और पात्रता की शर्तों के आधार पर शिक्षकों का चयन करें। प्रबन्ध तंत्र को एक युक्तिसंगत फीस ढांचे को अंगीकृत करना चाहिए जो कैपिटेशन फीस वसूल करने का हकदार नहीं होगा। राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित तंत्र स्थापित किया जा सकता है कि कोई कैपिटेशन फीस वसूल न की जाए और लाभोपार्जन न किया जाए, यद्यपि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक युक्तियुक्त अधिशेष अनुज्ञेय है। मान्यता अथवा संबद्धता प्रदान करने संबंधी शर्तों के अंतर्गत व्यापक रूप से शैक्षणिक और शिक्षा संबंधी मामले भी आ सकते हैं, जिनमें छात्रों और शिक्षकों का कल्याण भी सम्मिलित है।”

क्षेत्र के क्रियाशील कानून

78. संसद ने संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 66 के अधीन प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम अधिनियमित किए। उसमें अंतर्विष्ट विनियमन बनाने की शक्ति के अनुसरण में या अग्रसर करने में विनियम भी विरचित किए गए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 10(1)(i) इस प्रकार है :-

“10. परिषद् के कृत्य

(1) परिषद् का कर्तव्य होगा कि वह सभी उपाय करे जो वह तकनीकी शिक्षा का समन्वित और एकीकृत विकास सुनिश्चित करने तथा स्तरमानों को बनाए रखने के लिए ठीक समझे और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए परिषद् -

(क) तकनीकी शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर सकेगी, सभी संबंधित विषयों पर आंकड़ों का संग्रह कर सकेगी और तकनीकी शिक्षा में आवश्यक वृद्धि और विकास का पूर्वानुमान कर सकेगी ;

(ख) देश में सभी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा के विकास का समन्वय कर सकेगी ;

(ग) परिषद् की निधि में से, -

(i) तकनीकी संस्थाओं को

.....

ऐसे अनुदानों का आबंटन और संवितरण ऐसे निर्बंधन और शर्तों पर कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।”

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12क इस प्रकार है :-

“12क. फीसों का विनियमन और कुछ दशाओं में सदान का प्रतिषेध - (1) इस धारा में,-

(क) उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित, सहबद्ध करना के अन्तर्गत, किसी महाविद्यालय के संबंध में, किसी विश्वविद्यालय के साथ ऐसे महाविद्यालय के सहयोजन द्वारा ऐसे महाविद्यालय को मान्यता देना और ऐसे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय जन्य विशेषाधिकार देना है ;

(ख) 'महाविद्यालय' से कोई ऐसी संस्था, चाहे वह उस नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात है, अभिप्रेत है जो किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है और जिसे ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए, ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार, सक्षम माना गया है और जो ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को ऐसी अर्हता के किए जाने के लिए परीक्षा में बिठाती है;

(ग) किसी पाठ्यक्रम के संबंध में, अध्ययन करना के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के एक भाग या प्रक्रम से पाठ्यक्रम के किसी अन्य भाग या प्रक्रम के लिए प्रोन्नति है ;

(घ) 'अर्हता' से किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उपाधि या कोई अन्य अर्हता अभिप्रेत है ;

(ङ) 'विनियम' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(च) 'विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम' से ऐसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिसकी बाबत उपधारा (2) में वर्णित प्रकृति के विनियम बनाए गए हैं ;

(छ) 'छात्र' के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो छात्र के रूप में प्रवेश लेना चाहता है ;

(ज) 'विश्वविद्यालय' से ऐसा विश्वविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जो धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है ।

(2) धारा 12 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि -

(क) किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम की प्रकृति को ;

(ख) उस प्रकार के क्रियाकलापों की, जिनमें ऐसी अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के ऐसी अर्हता के आधार पर लगाए जाने की संभावना है ;

(ग) ऐसे न्यूनतम स्तरमानों को, जिन्हें ऐसी अर्हता रखने वाला व्यक्ति ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित अपने काम में बनाए रखने में समर्थ हो और जहां तक हो सके, यह सुनिश्चित करने की पारिणामिक आवश्यकता को कि कोई अभ्यर्थी आर्थिक शक्ति के कारण ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त न कर ले और ऐसा करके किसी अधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थी को ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने से निवारित न करे;

(घ) अन्य सभी सुसंगत बातों को, ध्यान में रखते हुए, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह संबंधित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों से परामर्श करने के पश्चात्, विनियमों द्वारा, वे विषय जिनकी बाबत फीसें भारित की जा सकती हैं और फीसों का वह मापमान विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके अनुसार उन विषयों की बाबत ऐसी तारीख से ही जो विनियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाले किसी महाविद्यालय द्वारा किसी छात्र से, या उसके संबंध में, उसके ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश या उसके अनुसार अध्ययन करने के संबंध में फीसें भारित की जाएंगी ;

परन्तु भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों या भिन्न-भिन्न प्रवर्ग के महाविद्यालयों या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के संबंध में भिन्न-भिन्न विषय और फीसों के भिन्न-भिन्न मापमान इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ।

(3) जहां किसी पाठ्यक्रम के संबंध में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के विनियम बनाए गए हैं वहां ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाला कोई भी महाविद्यालय, किसी छात्र से या उसके संबंध में, उसके ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश या उसके अनुसार अध्ययन करने के संबंध में,-

(क) ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी विषय की बाबत फीस उद्गृहीत या भारित नहीं करेगा ;

(ख) ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट फीसों के मापमान से अधिक कोई फीस उद्गृहीत या भारित नहीं करेगा; या

(ग) (फीस से भिन्न) कोई संदाय अथवा कोई संदान या दान (नकद या वस्तु रूप में) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वीकार नहीं करेगा ।

(4) यदि किसी विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाले किसी महाविद्यालय के संबंध में, विनियमों द्वारा उपबंधित रीति से जांच करने के पश्चात् और ऐसे महाविद्यालय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे महाविद्यालय ने उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिससे ऐसे महाविद्यालय को, किन्हीं ऐसे छात्रों को, जो उस समय उस महाविद्यालय में ऐसा पाठ्यक्रम कर रहे हैं, संबंधित अर्हता के दिए जाने के लिए किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बिठाने से प्रतिषिद्ध किया जाए ।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन अपने द्वारा किए गए आदेश की एक प्रति संबंधित विश्वविद्यालय को भेजे गए और ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से ही, ऐसे महाविद्यालय का ऐसे विश्वविद्यालय से सहबद्ध किया जाना, जहां तक कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम का संबंध है, समाप्त हो जाएगा, और ऐसी सहबद्धता की समाप्ति की तारीख से ही और उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक ऐसे महाविद्यालय को, उस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे ही या समरूप पाठ्यक्रम के संबंध में सहबद्ध नहीं किया जाएगा ।

6. उपधारा (5) के अधीन किसी महाविद्यालय से सहबद्धता को समाप्ति पर, आयोग संबंधित छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगा जो वह उपयुक्त समझे ।

7. इस धारा के उपबंध और इस धारा के प्रयोजनों के लिए बनाए गए विनियम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।”

79. छात्रों का प्रवेश, गैर-अल्पसंख्यक संस्थाओं में अल्पसंख्यक-वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने से संबंधित प्रतिशत, फीस अवधारण और उससे आनुषंगिक और प्रासंगिक विषयों को विनियमित करते हुए पूर्वोक्त तीनों अधिनियमों के अधीन विस्तृत विनियम विरचित किए गए । उक्त विनियमों के कारण राज्य सरकार को व्यावसायिक संस्थाओं की बाबत फीस ढांचा नियत करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई और इसके लिए अपेक्षित दिशा-निर्देश जारी किए गए । इनके अनुसरण में और इन्हें अग्रसर करने के लिए प्रयोजनार्थ समितियां गठित की गई ।

80. तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों ने कौपिटेशन फीस वसूल करने का प्रतिषेध करते हुए और व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश को विनियमित करते हुए कानून अधिनियमित किए । उक्त अधिनियमों के उपबंधों के निबंधनानुसार व्यावसायिक महाविद्यालयों का प्रबंध उक्त अधिनियमों के अधीन अवधारित फीस के अलावा कोई फीस प्रभारित नहीं कर सकता है । तद्द्वारा संविधान के अनुच्छेद 30 के अधीन प्रदत्त अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकार को संरक्षित किया गया है । संबंधित राज्य सरकारों ने स्व-वित्तपोषित प्राइवेट संस्थाओं, अल्पसंख्यक वर्गों या अन्यथा की बाबत उक्त कानूनों को प्रवृत्त किया । उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में के निर्णय के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे विभिन्न सरकारी आदेश जारी किए गए । विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ने उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में विषय को प्रभावित करने वाले मुख्य कानूनों के उपबंधों के अनुसार तात्पर्यित उसी विषय पर अनंतिम/तदर्थ दिशानिर्देश जारी किए। राज्य सरकारों ने भी इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों के निबंधनानुसार विभिन्न आदेश जारी किए या अपनी आरक्षण नीति के प्रवर्तन के साथ ही फीस ढांचा अवधारित करने का उपबंध करते हुए संकल्प अंगीकृत किए।

81. आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिका फाइल करके अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे सरकारी आदेशों की सांविधानिकता को भी चुनौती दी गई। इसमें कतिपय अंतरिम आदेश पारित किए गए जिन्हें अनेक विशेष इजाजत याचिकाओं में चुनौती दी गई।

82. जैसाकि यहां पहले उल्लेख किया गया, उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में केवल उन्नीकृष्णन् वाले मामले के अनुसरण में जारी आदेशों और निदेशों को असांविधानिक घोषित किया गया।

83. तथापि, उक्त कानूनों, नियमों और विनियमों की सांविधानिकता या अन्यथा से संबंधित प्रश्न की परीक्षा नहीं की गई थी। विशिष्टतः संसदीय अधिनियमों और उसके अधीन विरचित विनियमों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या उच्च शिक्षा से संबंधित विषय संसदीय विधान के अंतर्गत आता है या नहीं। संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 66 और सूची 3 की प्रविष्टि 25 के अर्थान्तर्गत संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी सक्षमता के विस्तार और व्याप्ति का भी उल्लेख नहीं किया गया था। पूर्वोक्त आधार पर हम में से एक न्यायमूर्ति वरियावा ने यह कहा :-

“विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति ने बारम्बार इस बात पर जोर दिया है कि प्रतिव्यक्ति फीस प्रभारित नहीं की जा सकती है और यह कि किसी प्रकार की मुनाफाखोरी नहीं होनी चाहिए। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संबंधित प्राधिकारी अधिनियमिति द्वारा अथवा विनियम द्वारा अतिशय फीस अथवा प्रतिव्यक्ति फीस प्रभारित करने को रोकने के संदेव हकदार होंगे। इस प्रकार की अनेक अधिनियमितियां पहले से प्रवर्तन में हैं। हमने ऐसी किसी अधिनियमिति की विधिमान्यता पर अथवा अन्यथा विचार नहीं किया है। ऐसी किसी अधिनियमिति की विधिमान्यता के विषय में हमारे समक्ष कोई दलील नहीं दी गई है। अतः उन अधिनियमितियों के विषय में यह नहीं समझा जाएगा कि वे इस निर्णय के द्वारा अपास्त कर दी गईं। वास्तव में अब इस निर्णय के कारण किसी विनियम अथवा अधिनियमिति के अधीन नियत फीस संरचना पर पुनर्विचार किया जाएगा ताकि शिक्षा संस्थाओं को इस योग्य बनाया जा सके कि वे न केवल फीस संरचना को तोड़ सकें अपितु भविष्य में विकास/विस्तार के लिए कुछ अधिक धनराशि भी उत्पन्न कर सकें और स्वतंत्र सीटें भी उपलब्ध करवा सकें।”

84. यद्यपि पक्षकारों ने पूर्वोक्त कानूनों के कुछ उपबंधों की सांविधानिकता के संबंध में अपनी-अपनी दलीलें दी लेकिन उस सीमित प्रयोजन, जिसके लिए इस संविधान पीठ का गठन हुआ, को ध्यान में रखते हुए हम उन पर विचार करना नहीं चाहेंगे। इन पर समुचित मामलों में विचार किया जाएगा।

क्या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) और अनुच्छेद 30(1) के अधीन अधिकार समान हैं ?

85. उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में पहली बार “उपजीविका” के रूप में शिक्षा की अवधारणा उभर कर सामने आई। सुस्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि भारत के सभी नागरिकों को इस तथ्य के बावजूद कि क्या वे अल्पसंख्यक समूह के हैं या नहीं; संस्था स्थापित करने और

चलाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के निबंधनानुसार भारत के नागरिकों को प्रदत्त अधिकार निर्विवादतः ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधनों के अधीन है जो इसके खंड (6) के अधीन लोक हित में अधिरोपित किए जा सकते हैं। निस्संदेह अनुच्छेद 30 अधिनियमित करते समय संविधान निर्माताओं का आशय अल्पसंख्यक वर्गों को बहुसंख्यक-वर्ग के जैसे ही अधिकार प्रदान करना था। किंतु प्रश्न यह है क्या इसका यह अर्थ है कि सभी आशय और तात्पर्य के कारण अल्पसंख्यक समुदाय कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं है।

86. निर्णय के पैराग्राफ 54, 65, 138, 139, 224-229 की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रत्यर्थियों के विद्वान् वरिष्ठ काउंसिल श्री वेणुगोपाल और श्री वैद्यनाथन् ने निवेदन किया कि अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार बहुसंख्यक वर्ग के समान हैं न कि इसके विपरीत। विद्वान् काउंसिल के अनुसार, यदि यह अभिनिर्धारित किया जाए कि अल्पसंख्यक-वर्ग बहुसंख्यक वर्ग से अधिक उच्च अधिकार का प्रयोग करते हैं; तो यह भारतीय प्रकृति के प्रतिकूल होगा। इसलिए विद्वान् काउंसिल ने दलील दी कि व्यावसायिक महाविद्यालय में अपनी रुचि के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार आत्यंतिक नहीं है।

87. दूसरी ओर, रिट याची-आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउंसिल ने यह दलील दी कि उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले की चर्चा इस प्रश्न पर केन्द्रित थी कि क्या अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यक-वर्गों को प्रदत्त अधिकार अनुच्छेद 29 के खंड (2) के अधीन हैं या नहीं। हमारा ध्यान निर्णय के पैराग्राफ 31 से 45 तक की ओर और विशेषकर निर्णय के पैराग्राफ 31, 45 और 459 की ओर आकृष्ट किया गया। विद्वान् काउंसिल ने निवेदन किया कि इस प्रश्न पर विचार करते हुए कि क्या इस न्यायालय द्वारा उन्नीकृष्णन् वाले मामले में विरचित स्कीम युक्तिसंगत थी, सुस्पष्टतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसमें इस विस्तार तक उपबंध थे कि 50 प्रतिशत सीटें निःशुल्क सीटें होंगी और उसकी 50 प्रतिशत भुगतान सीटें होंगी और सभी परीक्षाएं सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएंगी और फीस की अधिकतम सीमा को संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) का अतिक्रमणकारी होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया। यह निवेदन किया गया कि यदि यह अभिनिर्धारित किया जाए कि उक्त उपबंध अनुच्छेद 19 के खंड (6) के प्रयोजन के लिए अधिकारातीत हैं तो संविधान के अनुच्छेद 30 के अर्थान्वयन के भी यही परिणाम निकलेंगे। यह दलील दी गई कि इस न्यायालय के बहुमत वाले विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यदि संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड (2) को ध्यान में रखकर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि किसी व्यावसायिक संस्था को सहायता दिए जाने की दशा में वह उन्हीं निर्बंधनों के अधीन होगी जो संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) के निबंधनानुसार किसी अन्य स्व-वित्तपोषित स्कीम के अधीन किसी संस्था को झेलने पड़ते हैं तो यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि संविधान निर्माताओं का संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) को अधिनियमित करने का कोई प्रयोजन पूरा होता है।

88. भारत का नागरिक चाहे वह अल्पसंख्यक-वर्ग का हो या नहीं, को अनुच्छेद 19 के अधीन अधिकार होगा। अनुच्छेद 19(1)(छ) के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को अपनी रुचि की संस्था स्थापित करने और प्रशासित करने का अधिकार है। टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अल्पसंख्यक संस्थाएं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें अपनी रुचि की संस्था स्थापित करने का अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड (1) के निबंधनानुसार व्यावसायिक संस्था स्थापित कर सकती हैं और चला सकती हैं।

89. भारत का नागरिक गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्था स्थापित करने के लिए उपजीविका संबंधी अपने अधिकार का प्रयोग करता है। स्वीकृततः, उक्त विस्तार तक अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग के अधिकार समान हैं। तथापि, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक-वर्गों को और संरक्षण प्रदान करना चाहता है ताकि वे अपने द्वारा स्थापित संस्था में छात्रों को प्रवेश दे सकें। यह विशेषाधिकार गैर-

अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं है। उन्हें भी टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले के निर्णय के पैराग्राफ 68. के निबंधनानुसार अपनी रुचि की संस्था स्थापित करने और छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है लेकिन उन्हें विशिष्ट परिक्षेत्र के या विशिष्ट भाषा बोलने वाले छात्रों को प्रवेश देने का कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार ऐसी संस्थाएं उक्त प्रयोजन को पूरा करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मामले में अंतर्वलित प्रश्न को ध्यान में रखते हुए सभी आशय और तात्पर्य से इसका अधिक महत्व नहीं हो सकता है जैसा यहां इसमें इसके पश्चात् की गई चर्चा से प्रकट होता है।

90. न्यायपीठ ने अभिनिर्धारित किया :-

"36. प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं शिक्षा प्रदान करती हैं और यह अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों के चयन और फीस के नियतन के मामलों में उनकी रुचि को अनदेखा करने का कारण नहीं हो सकता। सहबद्धता और मान्यता प्रत्येक उस संस्था को उपलब्ध होनी चाहिए जो ऐसी सहबद्धता और मान्यता प्रदान करने संबंधी शर्तों को पूरा करती हो। प्राइवेट संस्थाओं का यह निवेदन सही है कि न्यायालय को इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि कानूनी प्राधिकारियों को स्कीम की शर्तों की सहबद्धता या मान्यता प्रदान करने की शर्त के रूप में अधिरोपित करना चाहिए; इससे संस्था की संस्थागत स्वायत्तता और उसे स्थापित करने का उद्देश्य ही पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है।"

91. उन्नीकृष्णन् वाले मामले में विरचित स्कीम को इस न्यायालय ने असंवैधानिक अभिनिर्धारित किया और केवल उसी संदर्भ में यह मत व्यक्त किया गया :-

"38. उन्नीकृष्णन् [(1993) 1 एस. सी. सी. 645] वाले मामले में विरचित स्कीम का प्रभाव महत्वपूर्ण लक्षणों, अर्थात् प्रवेश देने और फीस नियत करने के लिए प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्था के अधिकार के संबंध में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना है। इस स्कीम को विरचित करने से जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को स्कीम के अनुरूप विधान बनाने पड़े, प्राइवेट संस्थाएं सरकारी संस्थाओं से भिन्न नहीं हैं; जो एक प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त शिक्षा संस्था को प्रशासित करने के अधिकार संबंधी सभी आवश्यक लक्षणों को कम करने को न तो उचित और न ही युक्तियुक्त कहा जा सकता है। उन्नीकृष्णन् वाले मामले में न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी द्वारा पृष्ठ 794, पैरा 194 पर यह मत व्यक्त किया गया :-

"इससे जो कटु वास्तविकता प्रकट होती है, वह यह है कि प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं वर्तमान संदर्भ में एक आवश्यकता हैं। उनके बिना शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है क्योंकि सरकारें विशेष रूप से चिकित्सा और प्राविधिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं जिसमें पर्याप्त परिव्यय अपेक्षित हैं। जबकि शिक्षा भारतीय राज्य का एक अत्यंत आवश्यक कार्य है तथापि उसका उसमें कोई एकाधिकार नहीं है। प्राइवेट शिक्षा संस्थाओं को भी, जिनमें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं भी सम्मिलित हैं, इसमें भूमिका निभानी है।"

तथापि, यह भी उल्लेख किया गया :-

138. जैसाकि हमने इस पर विचार किया कि अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक संस्थाओं द्वारा अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के उनके अधिकार की एक प्रकार से प्रत्याभूति अथवा आश्वासन हैं। पंथ (धर्म) निरपेक्षता और समता संविधान की दो आधारभूत विशिष्टताएं हैं। अनुच्छेद 30(1) भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण सुनिश्चित करता है और इस प्रकार देश की पंथ (धर्म) निरपेक्षता को परिरक्षित करता है। तथापि, समता के सिद्धांतों को अवश्यमेव ही इन अधिकारों के उपभोग को लागू किया जाना चाहिए। ऐसी कोई भी विधि विरचित नहीं की जा सकती

जो अन्य शिक्षा संस्थाओं के मुकाबले में शिक्षा संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित करने के संबंध में ऐसे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध विभेद करे। ऐसी किसी भी विधि या नियम अथवा विनियम को जो अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं को अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं की तुलना में हितकर न हो, अभिखंडित कर दिया जाना चाहिए। साथ ही कोई उल्टा विभेद नहीं किया जा सकता है। सेन्ट जेवियर कालेज [(1974) 2 उम. नि. प. 1303 = (1975) 1 एस. सी. आर. 173] वाले मामले में पृष्ठ 192 पर यह मत व्यक्त किया गया कि "अनुच्छेद 30 के अधीन अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान किए जाने का सम्पूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के मध्य समता हो। यदि अल्पसंख्यकों को ऐसा विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो वे समता से वंचित रहेंगे।" दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 30(1) का सारतत्त्व बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थाओं के मध्य समान व्यवहार सुनिश्चित करना है। किसी भी प्रकार या प्रवर्ग की संस्था की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए अथवा इस संबंध में किसी एक के मुकाबले में दूसरी संस्था के साथ अधिक पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। नियमों और विनियमों सहित देश की विधि बहुसंख्यक संस्थाओं के साथ ही अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी समान रूप से लागू होनी चाहिए। अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी वही करने की अनुज्ञा प्राप्त होनी चाहिए जो करने की अनुज्ञा गैर-अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्राप्त है।

139. किसी भी अन्य प्राइवेट गैर सहायता प्राप्त संस्था की भांति, भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित उसी प्रकार की गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं को शिक्षकों की भर्ती के तरीके, फीस प्रभारित करने और छात्रों के प्रवेश के संबंध में अधिकतम स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। उन्हें मान्यता की शर्तों का अनुपालन करना होगा और ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे कि अनुच्छेद 30 में दिए गए अधिकार का हनन हो।

92. पूर्वोक्त पैराग्राफों में इस न्यायालय के निष्कर्षों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। यद्यपि अनुच्छेद 19(1)(छ) और अनुच्छेद 30 का विस्तार और व्याप्ति भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी वे एक ही प्रयोजन पूरा करते हैं। किसी भी अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्था को कोई अतिरिक्त अधिकार तो प्राप्त नहीं है किंतु उसे धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रवेश देने का सांविधानिक संरक्षण प्राप्त है। इस बाबत सभी विनियमों को अनुच्छेद 30 की अपेक्षा को अवश्य पूरा करना चाहिए। जब एक बार संस्थाएं स्थापित हो जाती हैं, तब भी समता का सिद्धान्त लागू होता है।

93. हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस न्यायालय ने उपर्युक्त अहमदाबाद सेन्ट जेवियर कालेज वाले मामले में यह कहा :-

“उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दो बातें विशिष्टतया आवश्यक मानी गई थीं और इन पुस्तकों में उनका उल्लेख किया गया है।

पहला, यह सुनिश्चित करना है कि मूलवंशीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के नागरिकों को प्रत्येक तरह से राज्य के अन्य नागरिकों के समान पूर्ण समता के धरातल पर रखा जाएगा। दूसरा यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी मूलवंशीय विशिष्टताओं, अपनी परंपराओं और अपनी राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के संरक्षण के लिए यथोचित साधन उपलब्ध हों।

वंस्तुतः ये दो अपेक्षाएं बहुत ही परस्पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक-वर्ग और बहुसंख्यक वर्ग के बीच तब तक कोई सही समता नहीं होगी यदि अल्पसंख्यक-वर्ग को उसकी प्राइवेट संस्थाओं से वंचित कर दिया जाता है परिणामतः वे उन विशिष्टताओं को छोड़ने के लिए मजबूर कर दी जाती हैं जो उनके अल्पसंख्यक-वर्ग होने का आधारभूत सार गठित करती हैं।”

94. उस तात्पर्य और उद्देश्य की अनदेखी नहीं की जा सकती है जिसके लिए अनुच्छेद 30(1) को संविधान में अंतःस्थापित किया गया। न्यायमूर्ति खरे (जैसे कि मुख्य न्यायमूर्ति खरे उस समय थे) और न्यायमूर्ति वरियावा के निर्णयों में संविधान सभा की बहस भरी पड़ी हैं।

95. यह तर्क कि अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं के प्रबंधन को अधिगृहीत नहीं किया जा सकता है जबकि गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं को अभिगृहीत किया जा सकता है अनुचित है और बिल्कुल असंगत है। इस न्यायालय ने सुस्पष्ट शब्दों में यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य मान्यता प्रदान करते समय शर्तें अधिरोपित करके ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता है जो शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की कोटि में आता हो। यह अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों को लागू होता है।

96. संविधान विधि के अनुसरण के सिवाय भारत के किसी भी नागरिक की संपत्ति के अर्जन का प्रतिषेध करता है। अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्था की सम्पत्ति का अधिग्रहण के लिए राज्य की ओर से की गई किसी भी कार्रवाई को विधान-कार्य द्वारा अवश्य ही विधिक मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए अन्यथा नहीं।

97. संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1क के आधार पर यह दलील देना विधि की सही प्रतिपादना नहीं होगी कि अल्पसंख्यक-वर्ग की सम्पत्तियों का बिल्कुल भी अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। उन्हें केवल युक्तियुक्त प्रतिकर पाने का अधिकार है ताकि वे किसी अन्य स्थान पर एक अन्य शिक्षा संस्था स्थापित कर सकें। ऐसे किसी मुद्दे को साबित करने के लिए जिसका अधिक महत्व नहीं है काल्पनिक प्रश्न उठाना आवश्यक नहीं है। जब विधियां बनाई जाती हैं तो उनकी सांविधानिकता की परीक्षा उनकी निजी गुणवत्ता के आधार पर की जानी चाहिए। काल्पनिक प्रश्नों का पहले से ही अधिकृत उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए।

98. इसके अतिरिक्त, यदि अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्था को राष्ट्रहित या विनियमों की अनुज्ञेय सीमाओं के प्रतिकूल पाया जाता है, तो इसका नैतिकता, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और राष्ट्रहित अक्षुण्ण रखने के लिए अधिग्रहण किया जा सकता है। ऐसे समरूप आधारों पर राज्य को संस्था को बंद करने या उसके प्रबंधन को अधिग्रहण करने की शक्ति होगी यद्यपि ऐसा विरल मामलों में ही किया जा सकता है।

99. घोर कुप्रबंध और तात्त्विकता प्रमाणपत्र-की शर्तों के अतिक्रमण की दशा में भी राज्य को संस्था को बंद करने की शक्ति होगी।

100. दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यक-वर्ग संस्था को अपने निजी छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार केवल अल्पसंख्यक-वर्ग के हित के संरक्षण के लिए है ताकि वे समता खंड का फायदा पा सकें। ऐसे संरक्षणों को अधिकार समझकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय के पैराग्राफ 138 और 139 से ही नहीं बल्कि पैरा 371 (न्यायमूर्ति रुमापाल की राय) से भी स्पष्ट है।

101. पैराग्राफ 138 और 139 में व्यक्त विधि का कथन पूर्णतः स्पष्ट और असंदिग्ध है और उसका कोई अपवाद नहीं निकाला जा सकता है। इस बाबत संदेह, यदि कोई हो, कि अल्पसंख्यक-वर्गों को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के निबंधनानुसार उच्चतर अधिकार है, को स्पष्ट शब्दों में दूर किया जा सकता है क्योंकि अल्पसंख्यक-वर्गों और गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकार समान हैं। संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यक-वर्गों को धर्म या भाषा पर आधारित अपने निजी समुदाय के सदस्यों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ शिक्षा संस्था स्थापित करने और प्रशासित करने के संबंध में उन्हें गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों के समान स्तर पर लाने के लिए केवल कतिपय अतिरिक्त संरक्षण दिए गए हैं।

102. जनसांख्यिकीय दृष्टि से प्रत्येक भारतीय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक हो सकता है कि हिन्दू भी जम्मू-कश्मीर, पंजाब और भारत के उत्तर-पूर्व के कुछ अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। उत्तरी भारत को छोड़कर हिन्दी बोलने वाले लोग भी देश के अन्य भागों में अल्पसंख्यक हैं।

103. अतः, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारणीय प्रश्न यह है कि प्रत्येक भारतीय देश के एक या अन्य भाग में, धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है। देश के एक भाग में किसी नागरिक का अल्पसंख्यक के रूप में अधिकार देश के किसी अन्य भाग में बहुसंख्यक-वर्ग के सदस्य के रूप में उसके अधिकार से उच्चतर नहीं हो सकता है।

104. इसके अतिरिक्त, हमारे में से एक (न्यायमूर्ति वरियावा) ने स्वयं और न्यायमूर्ति भान की ओर बोलते हुए स्पष्टतः यह कहा :-

“अनुच्छेद 30 मात्र अल्पसंख्यक-वर्ग के शिक्षा संस्था स्थापित करने और प्रशासित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अर्थात् उन्हें (अल्पसंख्यक-वर्गों को) बहुसंख्यक-वर्ग जैसा ही अधिकार है। अनुच्छेद 30 राज्य से सहायता पाने का कोई अधिकार नहीं देता है। यह संस्था को विनिश्चित करना है कि उसे सहायता चाहिए। यदि वह राज्य की सहायता पाने का विनिश्चय करती है तो अनुच्छेद 30(2) मात्र यह उपबंध करता है कि राज्य उसके प्रति विभेद नहीं करेगा। जब राज्य सहायता प्रदान करते समय अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था से सांविधानिक-अधिदेश का पालन करने के लिए कहता है तो कतई यह नहीं कहा जा सकता है कि राज्य उस संस्था के प्रति विभेद कर रहा है। राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए आबद्ध है कि सभी शिक्षा संस्थाओं को सांविधानिक अधिदेश का पालन करना चाहिए चाहे वे अल्पसंख्यक-वर्ग की हो या बहुसंख्यक-वर्ग की।” (अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

105. छात्रों के प्रवेश के मामले में अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकार को गैर-अल्पसंख्यक-वर्गों की तरह निर्बंधित किया जा सकता है उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में भी यही कहा गया है।

106. निर्विवादतः व्यावसायिक संस्थाएं कानूनों यथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम द्वारा शासित हैं। कानूनों और तद्घीन विरचित विनियमों के उपबंधों के निबंधनानुसार प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाओं से कतिपय स्तरमान बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। वे इससे विचलन नहीं कर सकती हैं और न हट सकती हैं। मेधावी छात्रों को प्रवेश देने के संदर्भ में यह नहीं कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को योग्यता के प्रतिनिर्देश किए बिना प्रवेश दिया जाए।

107. अभिलेख पर यह लाना सुसंगत है कि न्यायालय व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले छद्म अल्पसंख्यक-वर्गों की संस्थाओं की स्थापना को प्रोत्साहित न करें। अतः, सभी व्यावसायिक संस्थाओं को चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त, चाहे अल्पसंख्यक-वर्गों द्वारा चलाई जा रही हो या गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा कानूनी नियम और विनियम समान रूप से लागू होने चाहिए। स्तरमान बनाए रखने के मामले में इन संस्थाओं के साथ समान बर्ताव किया जाना चाहिए।

108. यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाएं अपने निजी समुदाय के सभी छात्रों को प्रवेश दे सकती हैं जबकि गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाएं नहीं दे सकती हैं; तो मेरी राय में यह निर्णय को फिर से लिखने के समान होगा।

109. यदि इस बाबत दिए गए तर्कों को स्वीकार किया जाए, तो उससे स्पष्टतः यह निष्कर्ष निकलता है कि उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में बहुमत का विनिश्चय गलत है।

110. अनुच्छेद 15(3), 15(4), 16(1) और 16(4) के निबंधनों के अनुसार विधि अधिकथित करने का उद्देश्य भी समता लाना है। बहुमत वाले निर्णय में भी प्रतिकूल विभेद के संबंध में अप्रसन्नता प्रकट की गई।

क्या हम यह कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार अन्य असुविधाग्रस्त समूहों से उच्चतर है ? संविधान के भाग 3 को देखते हुए संभवतः नहीं ।

111. यह उल्लेख करना सुरुचिपूर्ण है कि जेन्निफर ग्रेट्ज एंड पैट्रिक हैमचर बनाम ली बालिंगर¹ वाले मामले में अभी हाल ही में चयन के तरीके जिसके अधीन कम प्रतिनिधित्व वाले मूलवंशीय या जातीय अल्पसंख्यक समूहों के प्रत्येक आवेदक को प्रवेश की गारण्टी के लिए आवश्यक 100 अंकों में से 20 अंक स्वतः दिए जाने थे के लिए उपबंधित दिशा-निर्देशों को समता संरक्षण खंड का अधिक्रमणकारी होने के कारण अभिखंडित कर दिया गया था । यह मत व्यक्त किया गया :-

“जातीय विविधता के आधार पर अंक देने की महाविद्यालय की अनुज्ञेय प्रक्रिया की प्रकृति का अभिप्राय यह है कि उस जाति को ऐसा माना जाए जिससे उस जाति के कुछ आवेदकों को प्रवेश का अवसर अधिक मिले । चूंकि महाविद्यालयों में प्रवेश को सम्पूर्णतः अव्यक्त अंतर्बंध पर नहीं छोड़ा गया है, इसलिए यह समझ पाना कठिन है कि सुसंगत विशिष्टताओं, चाहे यह तर्क क्षमता, लिखने की शैली, दौड़ने की गति या अल्पसंख्यक जाति हो, को कुछ कथित अंक प्रदान करने में अनुचित क्या है। निश्चित ही न्यायमूर्ति पावे के प्लस फैक्टर को कुछ महत्व दिया जाना चाहिए । महाविद्यालय केवल अंकों का मापदंड अपनाते हैं जैसा कि ला स्कूल ने अपने ग्रेटर पोस्ट “हालिस्टिक रिव्यू” पृष्ठ 25 पर संपादित किया है ; सुभिन्नता से यह विवक्षित नहीं है कि पूर्व स्नातक महाविद्यालय के आवेदकों को व्यक्तिगत गुण या विभिन्न सभी योग्यताओं जो उनके आवेदन पत्रों से प्रकट हैं के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने के उचित अवसर से वंचित किया जाए ।”

अल्पमत राय व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति गेन्सवर्ग ने स्वयं और न्यायमूर्ति सौटर की ओर से यह कहा :-

“हमारा विधिशास्त्र मूलवंश (जाति) को “संदेह” प्रवर्ग में रखता है, “इसलिए नहीं कि (मूलवंश) अपरिहार्यतः अननुज्ञेय वर्गीकरण है बल्कि इसलिए कि यह हमारे राष्ट्र के लिए कलंक है और जिसका प्रयोग प्रायः मूलवंशीय असमानता बनाए रखने के लिए किया जाता है ।” नोखाक कोर बनाम नोखाक रिडेवलपमेंट एजेन्सी, 395 एफ, दूसरा 920, 931-932 (सीए2 1968) (पाद टिप्पण लोप किया गया)। किन्तु जहां मूलवंश का प्रयोग ‘समानता पाने के प्रयोजनार्थ’ किया जाता है (वही, पृष्ठ 932), वहां किसी प्रकार का स्वतः निषेधन उचित नहीं है । जैसाकि गहन विचार से स्पष्ट है संविधान वर्णान्ध और वर्ण सचेत दोनों हैं । समान संरक्षण खंड के विरोध से बचने के लिए ऐसा वर्गीकरण जो फायदे से वंचित करे अपहानि कारित करे या भार अधिरोपित करे मूलवंश पर आधारित नहीं होगा । इस अर्थ में संविधान वर्णान्ध है । किन्तु संविधान विभेद जारी रखने को रोकने और विगत के विभेद के प्रभावों को समाप्त करने की बाबत वर्ण सचेत है । यूनाइटेड स्टेट्स बनाम जेफरानन काउन्टी बोर्ड आफ ईड.[372 एफ.दूसरा, 836, 876 (सीए 5-1966)] (न्यायमूर्ति विज़डम): वेचसल, नेशनलाइजेशन आफ सिविल लिबर्टीज एंड सिविल राइट्स सप्ली., टू 12 टेक्स. क्यू. 10,23(1968) (न्या. ब्राउन के मत पर ध्यान दिया जा सकता है जिसमें ऐसे मूलवंशीय वर्गीकरणों को जिनमें ‘पक्षपातपूर्ण निर्धारण विवक्षित है’ अनुज्ञात न करते हुए भी ऐसा वर्गीकरण स्वीकार्य है जिससे ‘पक्षपात तो विवक्षित नहीं’ हैं किन्तु जिससे ‘असमताओं का सुधार करना’ आशयित है) । समकालीन मानव अधिकार दस्तावेजों में इसी प्रकार का उल्लेख है; वे उत्पीड़न की नीतियों और तथ्यतः समता बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बीच के अन्तर को दर्शित करते हैं (देखिए ग्रेटर पोस्ट, पृष्ठ 1) (न्यायमूर्ति गिन्सवर्ग ने सहमत होते हुए सभी प्रकार के मूलवंशीय विभेद को समाप्त करने और स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार

¹ अमरीकी उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 23 जून, 2003 को विनिश्चित ।

के विभेद को समाप्त करने से संबंधित प्रारंभ की गई संयुक्त राष्ट्र संघ की कन्वेंशनों को उद्धृत किया।”

112. इस निर्णय पर एक या अन्य प्रकार से कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं है लेकिन इसे इसलिए निर्दिष्ट किया गया है क्योंकि इससे दो भिन्न दृष्टिकोण परिलक्षित होते हैं। तथापि एक बात स्पष्ट है कि संविधान का अंतिम लक्ष्य समता प्राप्त करना है।

113. मानव इतिहास से यह ज्ञात होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मानव का संघर्ष लोगों के लिए समता करने की वांछा से प्रेरित हुआ था। वस्तुतः विश्व के कुछ संविधानों ने अपनी उद्देशिका में असमानता का विरोध किया और सभी प्रकार से समता लाने की घोषणा की। पिछड़े और पददलित लोगों के पक्ष में विशेष उपबंध करने की राज्य और राज्य प्राधिकारियों की चाहे जो भी शक्ति और अधिकारिता हो, जब न्यायालय ऐसी सुभिन्न राज्य कार्रवाई की व्यक्तिगतता की परीक्षा करे, तो उसे इस प्रश्न को आधार मानकर करना चाहिए कि क्या ऐसी राज्य कार्रवाई सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक दुर्व्यवस्था को सुधारने के लिए है और चाहे जो भी कारण हों क्या इससे समता के घोषित लक्ष्य की प्राप्ति में विलंब होता है। यदि कोई उपाय असमानता को जारी रखने वाला है और समता के लक्ष्य को साकार नहीं करता है, तो न्यायालय को ऐसे उपाय का अनुमोदन नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय के पास अनुतोष का ऐसा कोई उपादान नहीं होता है जिससे यह उपदर्शित हो कि व्यक्तिगत उपाय या कार्रवाई क्या हो सकती है जो समता प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। समता की संकल्पना सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नहीं है। यह ऐसा बांधने वाला धागा है जो संपूर्ण संविधान पाठ में व्याप्त है। इसलिए, सकारात्मक कार्रवाई अनुच्छेद 15(4) और 16(4) और राज्य के विभिन्न नीति निदेशक तत्वों के आधार पर सांविधानिकतः विधिमान्य तो है, तथापि न्यायालय सांविधानिक नैतिकता जो स्वयं में समता के सिद्धान्त से ओत-प्रोत है की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यक-वर्गों के सांविधानिक अधिकारों तथा पिछड़े वर्गों और पददलितों के सांविधानिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के बहाने देश के बहुसंख्यक लोगों के बीच असमानता फैलाना सांविधानिक अनैतिकता होगी। इन समूहों के सभी अधिकार उस सामाजिक विकास के अधिकार के भागरूप हैं जो राष्ट्रहित और लोक हित को व्यक्तिगत अधिकार या समुदाय के अधिकार के अधीन नहीं कर सकता है।

114. यदि अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और अपने समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार नहीं दिया जाता है तो समता के अधिकार का संपूर्ण प्रयोजन और इसकी संगति ही समाप्त हो जाएगी। इस अर्थ में बहुसंख्यक-वर्ग और अल्पसंख्यक-वर्ग के अधिकारों को समान ठहराया जाना चाहिए। मेरी राय में, अनुच्छेद 19(1)(छ), 29(2) और 30 का इसी प्रकार अर्थान्वयन किया जाना चाहिए।

युक्तियुक्त विनियम

115. जहां तक संस्थाओं द्वारा व्यावसायिक शिक्षा देने का संबंध है, वे लोकहित को ध्यान में रखते हुए शिक्षा स्तर में उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए आबद्ध हैं। उस सीमा तक कोई समझौता नहीं किया जा सकता है और राज्य संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) और अनुच्छेद 30 के निबंधनानुसार निर्बंधन अधिरोपित करने और विनियम बनाने दोनों का हकदार है। गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं, चाहे बहुसंख्यक-वर्ग की हों या अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा चलाई जा रही हो, के अधिकारों और उनकी परिसीमाओं का विस्तार उत्कृष्टता बनाए रखने के अनुरूप होना चाहिए। उक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निर्विवादतः राज्य विनियम बना सकता है।

116. प्रशासन के अधिकार के अंतर्गत प्रशासन का अधिकार नहीं आता है और यह अधिकार विनियम से मुक्त नहीं है। सुव्यवस्थित, कुशल और उत्तम प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए नियामक-उपाय

आवश्यक हैं। राज्य अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं के प्रशासन के लिए नियामक उपाय अधिकथित कर सकती है।

विनियम का विस्तार

117. संविधान का अनुच्छेद 30(1) कोई आत्यंतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। ऐसे अधिकार का प्रयोग कुप्रशासन रोकने की दृष्टि से अनुज्ञेय राज्य विनियमों के अधधीन है। मोटे तौर पर कहें, तो “अनुज्ञेय विनियम” और “अननुज्ञेय विनियम” हैं।

118. संविधान के अनुच्छेद 30(1) उपभोग को शासित करने वाले कुछ अनुज्ञेय विनियम/निर्बंधन इस प्रकार हैं :-

(i) शिक्षा स्तर की दक्षता और उत्कृष्टता के मार्गदर्शक सिद्धान्त (देखिए - सिद्धराज भाई बनाम गुजरात राज्य¹, केरल राज्य बनाम मदर प्राविन्शियल², आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश³ वाले मामले) ;

(ii) अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले विनियम (देखिए - उपर्युक्त केरल एजूकेशन बिल वाला मामला और आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश वाले मामले) ;

(iii) कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विषय में बाहरी प्राधिकारी या नियंत्रण अधिकार को शामिल करना (देखिए - उपर्युक्त आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश वाला मामला) ;

(iv) अध्यापकों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों और उनके वेतन और भत्तों को शासित करने वाले नियम और विनियम विरचित करना (देखिए - उपर्युक्त केरल राज्य बनाम मदर प्राविन्शियल और आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश वाले मामले) ;

(v) इस प्राधिकार और दिशा-निर्देश के साथ उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति करना कि वह यह निरीक्षण करे कि सेवा शर्तों से संबंधित नियमों का अतिक्रमण न हो लेकिन ऐसे प्राधिकारी को बेरोक-टोक, अनियंत्रित और मनमानी शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए (देखिए - उपर्युक्त सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश वाला मामला) ;

(vi) पाठ्यक्रम या पाठ्य विवरण या किताबें विहित करना (देखिए - उपर्युक्त केरल राज्य मदर प्राविन्शियल और आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश वाले मामले) ; और

(vii) शिक्षण, अनुशासन, स्वास्थ्य, सफाई, नैतिकता, लोक-व्यवस्था और अन्य इसी प्रकार के विषयों की दक्षता के हित में विनियम (देखिए - उपर्युक्त सिद्धराज भाई बनाम गुजरात राज्य वाला मामला) ।

119. उपर्युक्त टी. एम. ए. पीई फाउन्डेशन वाले मामले में व्यक्त विचार के अधधीन रहते हुए कुछ अननुज्ञेय विनियम इस प्रकार हैं :-

(i) पर्याप्त कारणों के बिना संबद्धता से इनकार (उपर्युक्त सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ

¹ [1963] 3 एस. सी. आर. 837.

² (1970) 2 एस. सी. सी. 2079.

³ (1980) 2 एस. सी. सी. 478.

आंध्र प्रदेश वाला मामला) ;

(ii) ऐसी शर्तें जो शिक्षा संस्था के स्वायत्त प्रशासन को पूर्णतः नष्ट कर देंगी (उपर्युक्त आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश वाला मामला)

(iii) संस्था के क्रिया-कलापों के संचालन के लिए अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्था के शासी निकाय या प्रबंध समिति में प्रत्यक्षतः या अपने नामनिर्देशिनी के माध्यम से बाहरी प्राधिकारी को शामिल करना (उपर्युक्त आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश वाला मामला) ;

(iv) व्यथित कर्मचारिवृन्द द्वारा बर्खास्तगी या हटाए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण का उपबंध या माध्यस्थम अधिकरण के लिए उपबंध (उपर्युक्त सेन्ट जेवियर कालेज बनाम गुजरात राज्य, लिली कुरियन बनाम एस. आर. लेबिना¹ और उपर्युक्त आल सेन्ट्स हाई स्कूल बनाम गवर्नमेंट आफ आंध्र प्रदेश वाले मामले दृष्टव्य हैं) ।

राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रवृत्त करने के अपने अधिकार के तात्पर्यित प्रयोग में किसी स्ववित्त पोषित संस्था पर आरक्षण अधिरोपित कर सकता है ?

120. अपने नामनिर्देशितियों जिनके अंतर्गत आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी भी हैं, के लिए कतिपय प्रतिशत सीट विहित करने का राज्यों का तात्पर्यित अधिकार निम्न से उद्भूत हुआ कहा जा सकता है :-

(i) राज्य तात्त्विकता प्रमाण-पत्र मंजूर करता है जिसके निबंधनानुसार संस्था के बंद होने की दशा में राज्य उसका अधिग्रहण करने का वचन देता है ।

(ii) राज्यों का संविधान के अनुच्छेद 38, 41, 45 और 47 के निबंधनानुसार राज्य के नीति निदेशक तत्वों को प्रवृत्त करने का कर्तव्य है ।

121. संविधान के भाग-4 में अंतर्विष्ट राज्य के नीति निदेशक तत्व न्याय्य नहीं हैं ।

122. संविधान के भाग-3 में अंतर्विष्ट समता खंड अनुच्छेद 14, 15 और 16 में पाए जाते हैं । अनुच्छेद 14 में जनता के सभी वर्गों के बीच समता का अधिदेश है तथा अनुच्छेद 15 और 16 में विनिर्दिष्ट विषयों अर्थात् धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान और लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के बारे में वर्णन है ।

123. हमें इस मामले में अनुच्छेद 15 पर विचार करना है । संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3) और (4) इस प्रकार हैं :-

“(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।

(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी ।”

124. उक्त उपबंध संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा अंतःस्थापित किए गए थे । इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 और अनुच्छेद 29 के खंड (2) के भी अपवाद हैं । राज्य को भी संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड (3) के निबंधनानुसार स्त्रियों और बालकों के लिए कुछ आरक्षण करने का

¹ (1979) 2 एस. सी. सी. 124.

अधिकार है। अनुच्छेद 15 के खंड (3) और (4) में भी साधारण नियम के अपवाद का उपबंध है। राज्य को किसी विधान या कार्यपालिक आदेश द्वारा खंड (3) और खंड (4) के निबंधनानुसार स्त्रियों और बालकों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध करना चाहिए। ऐसा विधान या कार्यपालिक आदेश राज्य कार्यवाही के संबंध में होना चाहिए। उक्त उपबंधों का विस्तार ऐसे निर्बंधन या विनियम अधिरोपित करके नहीं किया जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) या अनुच्छेद 30 के अधीन भारत के नागरिक के अधिकार को क्षीण करें। यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या राज्य (उदाहरणार्थ) आरक्षण प्रवर्ग के व्यक्ति को नौकरी देने के लिए किसी उद्योग या कारखाने को आदेश दे सकता है? आवश्यक नहीं, फिर भी परिणाम यह होगा कि ऐसा निर्बंधन या विनियम "उपजीविका" चला रहे किसी नागरिक पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के निबंधनानुसार नागरिक का अधिकार चाहे यह "कोई वृत्ति करने" या "कोई कारखाने/उपजीविका करने" का हो समान या समरूप होना चाहिए। खंड (6) के निबंधनानुसार युक्तियुक्त निर्बंधन उक्त उप-खंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर होने चाहिए। यद्यपि सांविधानिक स्कीम के निबंधनानुसार ऐसे अधिकार के प्रयोग पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित तो किए जा सकते हैं, तथापि राज्य किसी नागरिक पर अपने कर्तव्यों और बाध्यताओं को अधिरोपित नहीं कर सकता है।

125. इसके अलावा, अनुच्छेद 15 के खंड (3) और (4) समर्थकारी उपबंध हैं। राज्यों के सीमाओं के भीतर अर्थात् कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए ही न कि उन्हें अधिमानतः अधिकार देने के सीमित प्रयोजनार्थ उसके लिए अपेक्षित समुचित कदम उठाने चाहिए। अन्य बातों के साथ-साथ आरक्षण अप्रतिरोध्य राज्य की बाध्यकर आवश्यकता के आधार पर किया जा सकता है। किसी भी हालत में राज्य की कार्यपालिक नीति किसी विधिमान्य विधान के बिना नागरिकों पर थोपी नहीं जा सकती है।

126. इस प्रक्रम पर उपर्युक्त केरल एजुकेशन बिल, 1957 वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चयों के प्रति निर्देश करना उपयुक्त रहेगा। इस मामले में न्यायमूर्ति एस. आर. दास ने संविधान पीठ की ओर से निर्णय देते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :-

"केरल राज्य के विद्वान् काउन्सेल ने अनुच्छेद 45 में अंतर्विष्ट नीति निदेशक तत्वों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जिनके अनुसार राज्य से संविधान के प्रारंभ से वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करने की अपेक्षा की गई है तथा अत्यंत भावुकता और दृढ़तापूर्वक यह कहा कि देश के बालकों को राज्य द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने की बाबत उसे (राज्य को) सौंपे गए पावन कर्तव्य पालन के मार्ग में किसी अल्पसंख्यक-वर्ग को आड़े आने की अनुज्ञा नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि तभी उनका उचित प्रकार से पालन पोषण हो सके और उन्हें अच्छे नागरिक के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के योग्य बनाया जा सके। विद्वान् काउन्सेल के अनुसार इन अल्पसंख्यक-वर्गों के स्वार्थपूर्ण दावों का समर्थन करने से प्रगति को गहरा आघात पहुंचेगा। विद्वान् काउन्सेल ने कहा कि क्या इन अल्पसंख्यक-वर्गों को लोगों के साम्प्रदायिक अलगाववाद को स्थायी बनाए रखने और उन्हें (अल्पसंख्यक-वर्गों को) स्थायी रूप से अलग-थलग और एकाकी सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में बने रहने और फलस्वरूप राष्ट्र की एकता में बाधा डालने की अनुज्ञा दी जाए? अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं के विद्वान् काउन्सेल ने भी उसी दृढ़ता के साथ अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति राज्य की पावन बाध्यता के बारे में दलील दी। इस न्यायालय के लिए देश की सर्वोच्च विधि की प्रज्ञा को प्रश्नगत करना उचित नहीं होगा। हम भारत के लोगों ने संविधान को आत्मार्पित किया है और हमारा संविधान विशिष्ट समुदाय या वर्ग के लिए नहीं बल्कि सब के लिए है। इसके उपबंधों से

अल्पसंख्यक-वर्गों और बहुसंख्यक समुदायों सभी के लिए संरक्षण आशयित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे संविधान ने अल्पसंख्यक-वर्गों, भाषा, संस्कृति और धर्म से संबंधित कुछ पुनीत अधिकारों को गारंटीकृत किया है। उन्हें ये रियायतें उचित और विधिमान्य कारणों से दी गई हैं। निस्संदेह, अनुच्छेद 45 में राज्य से सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को इस पुनीत बाध्यता का सरकार और सहायता प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से निर्वहन करने से रोके और अनुच्छेद 45 की यह अपेक्षा नहीं है कि बाध्यता का निर्वहन अल्पसंख्यक समुदायों के व्यय पर किया जाए। हम यह समझते हैं कि जब तक संविधान वर्तमान रूप में है और इसे बदला नहीं जाता है, तब तक मूल अधिकारों की रक्षा करना और तद्द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के जो हमारे अपने हैं के प्रति अपनी बाध्यता का पालन करना इस न्यायालय का कर्तव्य है। सदियों से निरंतर विविध मूलवंशों, पंथों, संस्कृतियों और जातियों-आर्य और अनार्य, द्रविड़ और चीनी, सीथियन, हूण, पठान और मुगल के असंख्य लोगों का कारवां दूरदराज के क्षेत्रों और जलवायु प्रदेश से इस प्राचीन भूमि पर आया है। भारत ने उस सब का स्वागत किया है। ये लोग आपस में मिलते चले गए, यहां बस गए, उनमें आदान-प्रदान हुआ, घुल-मिल गए और इस प्रकार एकाकार हो गए। इस प्रकार भारत की परम्परा को संक्षेप में निम्न उत्कृष्ट पंक्तियों में व्यक्त किया जा सकता है :-

“किसी को भी मानवता के इस विशाल महासागर से लौटाया नहीं जाएगा ;

जो कि भारत है के तट से

लौटाया नहीं जाएगा” (रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता)।

वास्तव में भारत ने राष्ट्र गान में सन्निहित और उद्घोषित सद्भावना के अपने संदेश को सम्पूर्ण विश्व को इस प्रकार दिया :-

“दिन और रात

तेरे सिहांसन से

हिन्दू, बौद्ध, सिक्ख, जैन,

पारसी, मुसलमान और ईसाइयों की आवाज

चहुं ओर पूर्व-पश्चिम

गूंजती रहे

प्रेम से गुंथी माला की पुष्पांजलि

तेरे चरणों से अर्पित

सब लोगों के हृदय में

समरसता का संचार हो

भारत भाग्य विधाता,

जय हो, जय हो, तेरी जय हो !”

(रविन्द्रनाथ टैगोर)

इस प्रकार सभी पंथों और संस्कृतियों के सर्वोत्तम सम्मिलन द्वारा विविधता में एकता भारत की विशिष्टता रही है। तदनुसार हमारे संविधान में भी अल्पसंख्यक-वर्गों के प्रति हमारी पावन बाध्यताओं को मान्यता प्रदान की गई है। हमारे संविधान द्वारा अल्पसंख्यक-वर्गों को गारंटीकृत अधिकारों का उपर्युक्त दृष्टिकोण से परिशीलन करने पर हमारी यह राय है कि खंड 7 (उपखंड 1 और 3 जो केवल सहायता प्राप्त विद्यालयों को लागू होते हैं के सिवाय) और खंड 10 को ऐसे अनुज्ञेय विनियम माना जा सकता है जिन्हें राज्य किसी शिक्षा संस्था को मान्यता देने की शर्त के रूप में अधिरोपित करने का हकदार है किंतु खंड 20 जो खंड 3(5) द्वारा नए स्थापित मान्यता प्राप्त विद्यालयों को विस्तारित किया गया है, जहां तक यह अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थाओं को प्रभावित करता है, वहां तक यह अनुच्छेद 30(1) का अतिक्रमणकारी है।¹

127. उपर्युक्त सेन्ट जेवियर कालेज सोसाइटी वाले मामले में इस न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की न्यायपीठ की ओर से निर्णय देते हुए न्यायमूर्ति मैथ्यू ने यह अधिकथित किया कि राज्य की आवश्यकता अल्पसंख्यक-वर्ग पर थोपी नहीं जा सकती है। यह अभिनिर्धारित किया गया :-

“हम इस प्रस्थापना का समर्थन नहीं कर सकते हैं कि राज्य की आवश्यकता इस बात का विनिश्चय करने की कसौटी है कि क्या किसी शिक्षा संस्था पर अधिरोपित विनियम द्वारा अनुच्छेद 30(1) के अधीन के अधिकार को छीना जा सकता है या उसे न्यून बनाया जा सकता है। यदि कोई विधानमंडल ऐसा विनियम अधिरोपित करता है जिसे वह अपनी दृष्टि में राज्य या समाज के हित को संरक्षित करने के लिए आवश्यक समझता है, तो यह विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार को जिसे संविधान निर्माता आत्यंतिक बनाना चाहते थे ऐसे विनियमों के अध्यधीन किया जा सकता है जिन्हें केवल राज्य की आवश्यकता की मामूली सी और लचीली कसौटी पर परखा जाता है। अन्य मूल अधिकार के ठीक विपरीत इस अधिकार को संविधान के भाग-3 में इस अधिकार को आत्यंतिक शब्दों में समाविष्ट करने का प्रयोजन इसे बहुसंख्यक-वर्ग की पहुंच से बाहर रखना था। बहुसंख्यक-वर्ग द्वारा यथाकल्पित रूप में इस अधिकार को आज राज्य की परिवर्तनशील आवश्यकता से प्रेरित होकर विनियमों के अध्यधीन करने से वह प्रयोजन ही विफल हो जाएगा जिसके लिए यह अधिकार दिया गया है।”

128. इस न्यायालय ने सुनील जैतली और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य¹ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए आरक्षण विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण होगा।

स्थानीय आवश्यकताएं

129. संक्षिप्त और सारगर्भित रूप से यह परिभाषित करना कठिन है कि “स्थानीय आवश्यकताओं” के संघटक क्या हैं। श्री वेणुगोपाल ने तात्विकता प्रमाणपत्र देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने के लिए जरूरी अपेक्षाओं को दर्शित करने के प्रयोजनार्थ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियम, 1999 निर्दिष्ट किए। अकेले राज्य सरकार स्थानीय आवश्यकताओं को अवधारित करने की स्थिति में होगी जो उदाहरणार्थ चिकित्सकों के मामले में राज्य की जनसंख्या के अनुसार चिकित्सकों के अनुपात पर निर्भर हो सकती है। श्री वेणुगोपाल ने यह दलील दी कि अन्य कारक यथा राज्य में सुसंगत अल्पसंख्यक-वर्गों का प्रतिशत, राज्य में उस विशिष्ट भाषाया/धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्ग के व्यावसायिक महाविद्यालयों की संख्या, राज्य में गरीब और पिछड़े वर्गों का प्रतिशत, उसमें स्थित व्यावसायिक महाविद्यालयों की कुल संख्या सुसंगत होंगे। यह ऐसा हो सकता है किंतु इसी प्रकार के और भी बहुत से कारक हो सकते हैं जो स्थानीय आवश्यकताएं

¹ (1984) 4 एस. सी. सी. 296.

गठित करें। निस्संदेह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् विनियम में अधिकथित कसौटी में स्थानीय आवश्यकताओं के अवधारण के प्रयोजनार्थ कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्तों का उपबंध है किंतु उन्हें व्यापक (संपूर्ण) नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक राज्य की स्थानीय आवश्यकताएं अलग-अलग हो सकती हैं। किसी पिछड़े क्षेत्र का विकास भी स्थानीय आवश्यकता हो सकती है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में अच्छी शिक्षा संस्थाओं का अभाव भी स्थानीय आवश्यकता हो सकती है। राज्य के लिए लोगों के विकास की अपनी नीति के अनुसरण में स्थानीय लोगों के फायदे के लिए दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना समीचीन हो सकता है। इसलिए, राज्य की किसी एक इकाई के प्रति निर्देश द्वारा स्थानीय आवश्यकता परिभाषित नहीं की जा सकती है। हो सकता है राज्य बेहतर कारणों से अपनी राजधानियों में व्यावसायिक महाविद्यालय या संस्था स्थापित न करना चाहें।

तात्त्विकता प्रमाण पत्र

130. इस प्रकार, यद्यपि इसमें उपवर्णित कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं का अवधारण किया जा सकता है किंतु इसकी भी अवेक्षा की जानी चाहिए कि राज्य द्वारा इंजीनियरी और अन्य व्यावसायिक महाविद्यालयों के संबंध में किसी प्रकार का तात्त्विकता प्रमाणपत्र दिया जाना आवश्यक नहीं है। संविधान और निर्णय के निर्वचन पर आधारित विधि अधिकथित करते हुए हम संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाते यह अभिनिर्धारित नहीं कर सकते कि “स्थानीय आवश्यकताएं” चिकित्सा शिक्षा से संबंधित होती हैं। इसके अतिरिक्त “स्थानीय आवश्यकता” पद को निर्बंधित अर्थ नहीं दिया जा सकता है अर्थात् इसे उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा जा सकता है जहां शिक्षा संस्था स्थापित की जानी ईप्सित है क्योंकि अल्पसंख्यक-वर्ग के अधिकार का संबंध सम्पूर्ण राज्य से होता है और इस प्रकार, राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं का भी सीधा संबंध हो सकता है।

131. महाराष्ट्र राज्य बनाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अन्य¹ वाले मामले में इस न्यायालय ने इस प्रश्न का विनिश्चय नहीं किया कि क्या संविधान के अनुच्छेद 371(2)(ग) में आया “तकनीकी शिक्षा” पद “चिकित्सा शिक्षा” से सुभिन्न और पृथक् है। इसमें जिन प्रश्नों पर विचार करना है उसमें वे प्रश्न उद्भूत नहीं हुए थे।

132 उपर्युक्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वाले मामले में इस न्यायालय ने महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 पर विचार किया था। इस मामले में प्रश्न यह था कि क्या सरकार द्वारा संचालित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य को तात्त्विकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

हम उक्त निर्णय का परिशीलन प्रसंग से परे नहीं कर सकते हैं।

निर्णय का निर्वचन

133. यह बात बार-बार कही जाती रही है कि निर्णय को कानून की तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए। किसी निर्णय का विनिश्चयाधार उसकी तार्किकता होती है जिसे संपूर्ण निर्णय को पढ़कर ही निकाला जा सकता है। किसी मामले का विनिश्चयाधार या वे सिद्धान्त और तर्क जिन पर निर्णय आधारित होता है अंतिम रूप से मंजूर अनुतोष या इसके निपटारे के लिए अंगीकृत रीति से सुभिन्न होते हैं [देखिए — कार्यपालक इंजीनियर, धनकनाल लघु सिंचाई प्रभाग, उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम एन. सी. बुधराज

¹ (2002) 1 एस. सी. सी. 580.

(मृतक) विधिक प्रतिनिधियों द्वारा और अन्य¹ वाला मामला] ।

134. पद्मासुन्दराराव (मृत) और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य² वाले मामले में यह कहा गया :-

“भाषण या निर्णय के शब्दों को समझ पाना हमेशा कठिन होता है क्योंकि वे विधायी अधिनियमिति के शब्द होते हैं और यह स्मरण रहे कि किसी विशिष्ट मामले के तथ्यों की परिधि में ही निर्णय सुनाए जाते हैं । जैसाकि लार्ड मोरिस ने हैरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड, [(1972) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 537 = 1972 ए. सी. 877 (एच. एल.)], सब नोम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड बनाम हैरिंगटन, [(1972) 1 आल इंग्लैंड रिपोर्टर 749 (एच. एल.)] मामले में कहा । एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य के रूप में पारिस्थितिक लचीलापन दो मामलों के निष्कर्षों के बीच काफी भिन्नता पैदा कर सकते हैं ।”

[देखिए – हरियाणा वित्तीय निगम बनाम जगदम्बा आइल मिल्स और एक अन्य³ वाला मामला भी दृष्ट्य है] ।

135. जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी बनाम रेणुसागर पावर कंपनी⁴ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

“जैसाकि हमने बहुत बार बताया है किसी निर्णय में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का उसी रीति में अर्थान्वयन नहीं किया जाता है जैसा कि उन शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों को कानूनों में परिभाषित किया गया है । हमें इस बाबत कोई संदेह नहीं है कि जब इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जानकी शरण कैलार्श चन्द्र, [(1974) 1 एस. सी. आर. 31 = (1973) 2 एस. सी. सी. 96 = ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 2071] वाले मामले में ‘वाद में के संविवाद का गुणागुण के आधार पर न्यायनिर्णयन’ शब्दों का प्रयोग किया तो वे शब्द इस रूप में प्रयुक्त नहीं किए गए थे कि उसके अंतर्गत हरेक न्यायनिर्णयन आ जाएगा जिससे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही किसी भी रीति में समाप्त हो जाएगी बल्कि उनसे यह अभिप्रेत था कि उनके अंतर्गत केवल ऐसा न्यायनिर्णयन आता है जो पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद से संबंधित हो जिसके कारण कार्यवाही उद्भूत हुई । किसी भी आधार पर पक्षकारों के बीच विवादों के न्यायनिर्णयन के प्रति आक्षेप वास्तव में वाद की प्रगति में सहायक नहीं हैं बल्कि ऐसी प्रगति में बाधक हैं । ऐसे आक्षेपों के न्यायनिर्णयन को वाद में के संविवाद का गुणागुण के आधार पर न्यायनिर्णयन नहीं कहा जा सकता है । जैसाकि इसके पूर्व हमने कहा है कि अंतर्वलित सिद्धान्तों के प्रति विशद दृष्टिकोण अपनाना होगा और उस संकीर्ण और तकनीकी निर्वचन से बचना होगा जो विधायन के उद्देश्य को विफल बनाता हो ।”

136. राजेश्वर प्रसाद मिश्र बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य और एक अन्य⁵ वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया :-

“अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय को विधि घोषित करने और इसे अधिनियमित करने के लिए सशक्त बनाता है । इसलिए, उच्चतम न्यायालय की मताभिव्यक्ति को कानूनी अधिनियमितियों के रूप

¹ (2001) 2 एस. सी. सी. 533.

² (2002) 3 एस. सी. सी. 533.

³ (2002) 3 एस. सी. सी. 496.

⁴ [1988] 1 उम. नि. प. 447 = (1987) 4 एस. सी. सी. 137.

⁵ ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1887.

में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। यह भी सुविदित है कि विनिश्चयाधार उसमें समनुदेशित तर्क है।¹

(देखिए — मैसर्स अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य¹ और हमीद जोहरन (मृत) और अन्य बनाम अब्दुल सलाम (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से और अन्य² वाला मामला)

137. श्री नरीमन की यह दलील कि प्रश्नों के उत्तर इस निर्णय के विनिश्चयाधार होंगे सही नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर मात्र निष्कर्ष हैं। संदेह या विवाद की स्थिति में इन प्रश्नों का निर्वचन निर्णय के अन्य पैराग्राफों में इनके समर्थन में दिए गए कारणों के साथ किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ निर्णय के अन्य पैराग्राफों का भी परिशीलन आवश्यक है। इसके लिए (कुछ मामलों में ही और जहां ठोस और अकाट्य कारण हों) पक्षकारों के अभिवचनों का परिशीलन भी किया जा सकता है।

138. केशव चन्द्र जोशी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य³ वाले मामले में जब इस न्यायालय को सीधी भर्ती वर्ग 2 इंजीनियरी अधिकारी एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य⁴ वाले मामले में ज्येष्ठता के अवधारण के लिए अधिकथित विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसने तो यह अभिनिर्धारित किया कि निष्कर्षों को संपूर्ण निर्णय की गई चर्चाओं और दिए गए कारणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

139. यह भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं कि जो बात किसी निर्णय में विनिश्चित की जाती है उसके लिए विनिश्चय प्रामाणिक होता है न कि उन बातों के लिए जो तर्कसंगत रूप में उससे निकाली जा सकती है। (भारत संघ बनाम छज्जू राम⁵ वाला मामला दृष्टव्य है)।

140. अतः उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अर्थान्वयन या निर्वचन पूर्वोक्त सिद्धान्तों के आधार पर करना होगा। न्यायालय को विनिश्चय के आशय और तात्पर्य का पता लगाने के लिए न केवल यह विचार करना होगा कि उसमें क्या कहा गया है अपितु उस पाठ और प्रसंग का भी परिशीलन करना होगा जिसमें यह कहा गया है। यहां और वहां से कुछ वाक्यों का परिशीलन नहीं कर सकता है। उक्त प्रयोजनार्थ न्यायालय सांविधानिक या सुसंगत कानूनी उपबंधों के साथ-साथ इसके पूर्व के उन विनिश्चयों जिनका अवलंब लिया गया पर भी विचार कर सकता है।

फीस ढांचा

141. इस निर्णय के उपरिनिर्दिष्ट पैराग्राफों को पढ़ने मात्र से इस बाबत किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि फीस ढांचा के अवधारण के मामले में गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं अधिक स्वायत्ता का प्रयोग करती हैं। वे भी उपजीविका चला रहे किसी अन्य नागरिकों की तरह शिक्षा के विकास और संस्था के प्रसार के लिए युक्तियुक्त अधिशेष की हकदार हैं। युक्तियुक्त अधिशेष के सिद्धान्त को केवल तभी प्रभावी बनाया जा सकता है यदि संस्थाएं अपने विनिधानों से लाभ कमाती हैं। जैसाकि पैराग्राफ 56 में कहा गया, आर्थिक शक्तियां भूमिकाएं निभाती हैं। इस प्रकार, निर्विवादितः उन्हें ऐसी रीति से अपने विनिधान और व्यय की योजना बनानी चाहिए ताकि वे कुछ लाभ कमा सकें। यद्यपि (क) कैपिटेशन फीस और (ख) मुनाफाखोरी निषिद्ध है।

¹ (1985) 1 एस. सी. सी. 345.

² (2001) 7 एस. सी. सी. 573.

³ (1992) सप्ली. 1 एस. सी. सी. 272.

⁴ (1990) 2 एस. सी. सी. 715.

⁵ (2003) 5 एस. सी. सी. 568.

142. तथापि, भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों ने फीस की भिन्न-भिन्न रकमों विहित की हैं जैसाकि निम्न से प्रकट होता है :-

राज्य	फीस
आन्ध्र प्रदेश	22,000/- रु. प्रति वर्ष
दिल्ली	45,000/- रु. प्रति वर्ष
गुजरात	सरकारी सीटें - 21,000/- रु. प्रबंधतंत्र की सीटें - 50,000/- रु.
हरियाणा	40,000/- रु. प्रति वर्ष
कर्नाटक	47,590/- रु. गैर-कर्नाटक के लोगों के लिए 75,590/- रु.
केरल	37,100/- रु.
तमिलनाडु	प्रबंधतंत्र की सीटें - 30,000/- रु.
उत्तर प्रदेश	योग्यता सूची में स्थान प्राप्त छात्र - 25,000/- रु. 45,000/- रु. प्रति वर्ष

143. "कैपिटेशन फीस" पद का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। तथापि, कुछ राज्यों के विधानमंडलों ने कैपिटेशन फीस को परिभाषित किया है। यह ध्यातव्य है कि तमिलनाडु शिक्षा संस्था (कैपिटेशन फीस के संग्रहण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1992 में कैपिटेशन फीस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-

*"कैपिटेशन फीस धारा 4 के अधीन विहित फीस से अधिक प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संदत्त या संगृहीत कोई भी रकम, चाहे जिस नाम से पुकारा जाए, अभिप्रेत है।"

144. उक्त अधिनियम की धारा 4 में यह कथित है कि इस प्रकार विहित फीस से अधिक संगृहीत किसी भी प्रकार की रकम को निम्नलिखित रूप में प्रतिषिद्ध किया गया है :-

*"फीस आदि का विनियम - (1) सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में की किसी बात के होते हुए भी अधिसूचना द्वारा ट्यूशन फीस या कोई अन्य फीस या जमा-राशि जो छात्रों की किसी कक्षा या कक्षाओं के संबंध में किसी शिक्षा संस्था या ऐसी शिक्षा संस्थाओं की कक्षा या कक्षाओं द्वारा प्राप्त की जाए या संगृहीत की जाए को विनियमित करे :

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है -

"Capitation fee means any amount by whatever name called, paid or collected directly or indirectly in excess of the fee prescribed under Section 4."

** "Regulation of fee, etc. - (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Government, by notification, regulate the tuition fee or any other fee or deposit that may be received or collected by any educational institution or class or classes of such educational institutions in respect of any or all class or classes of students :

परन्तु इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने के पूर्व जिसका प्रारूप तमिलनाडु सरकार राजपत्र में यह कहते हुए प्रकाशित किया जाएगा कि किसी भी आपत्ति या सुझाव जो सरकार को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त होगा, पर उसके द्वारा विचार किया जाएगा।

(2) कोई भी शिक्षा संस्था उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रकम से अधिक कोई फीस प्राप्त या संगृहीत नहीं करेगी और न कोई जमा-राशि स्वीकार करेगी।

(3) प्रत्येक शिक्षा संस्था प्राप्त की गई या संगृहीत फीस या जमा-राशि के लिए कार्यालयीय रसीद जारी करेगी।”

145. यदि एक बार यह अभिनिर्धारित कर दिया जाता है कि ऐसा उपबंध अनुच्छेद 19 के खंड (6) के अर्थान्तर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन गठित नहीं करता है, तो यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि ऐसा उपबंध इसके अनुच्छेद 30 के अर्थान्तर्गत अनुज्ञेय विनियमनों की कसौटी पर खरा नहीं उतरा।

146. तथापि, जमीनी वास्तविकता की अनदेखी नहीं की जा सकती है। आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान् काउन्सेल की यह दलील सही है कि केन्द्र सरकार ने संसद में उठाए गए प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की बाबत राज्य द्वारा उपगत व्यय काफी अधिक है। ये तीन लाख से पांच लाख के बीच हैं। कुछ राज्य अपने महाविद्यालयों में लगभग पांच हजार रुपए प्रति वर्ष प्रभारित करते हैं, जबकि गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं दो लाख से पांच लाख रुपए के बीच रकम की मांग करते हैं।

147. दुर्भाग्यवश कुछ राज्य सरकारों ने इसका अनुसरण करते हुए फीस बढ़ायी है और बहुत सी प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं की तरह हरियाणा राज्य ने भी संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए फीस की संपूर्ण रकम की मांग की है।

148. इस प्रकार, प्रत्येक महाविद्यालय के संबंध में फीस ढांचे का अवधारण उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध अवसंरचना, संस्था कितनी पुरानी है, किए गए विनिधान, शिक्षा स्तर के विस्तार और बेहतरी से संबंधित भावी योजना आदि बातों को ध्यान में रखते हुए अलग से किया जाना चाहिए। इस बाबत प्रत्येक संस्था के मामले पर समुचित समिति द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रयोजनार्थ, संस्था की लेखा बहियों का भी परिशीलन किया जाना चाहिए। समिति द्वारा उन सुसंगत बातों को जिनमें से कुछ को इसमें पहले उपवर्णित किया जा चुका है को ध्यान में रखते हुए फीस के ढांचे के रूप में जो भी अवधारित किया जाए, संस्था का प्रबंधतंत्र उससे कुछ भी अधिक प्रभारित करने का हकदार नहीं होगा।

149. फीस ढांचा अवधारित करते समय सुरक्षोपाय बरते जाने चाहिए ताकि व्यावसायिक संस्थाएं सीटें बेचने के प्रयोजनार्थ नीलामी केन्द्र न बन जाएं। निर्णय के पैराग्राफ 56 में अधिकथित विधि-कथन को ध्यान में रखते हुए, यह बेहतर होता यदि पर्याप्त दिशा-निर्देश अधिकथित किए जाते। यह कार्य कठिन है और इसे

Provided that before issuing a notification under this sub-section, the draft of which shall be published, in the Tamil Nadu Government Gazette stating that any objection or suggestion which may be received by the Government, within such period as may be specified therein, shall be considered by them.

(2) No educational institution shall receive or collect any fee or accept deposit in excess of the amount notified under sub-section (1).

(3) Every educational institution shall issue an official receipt for the fee or deposit received for collected by it.”

समिति पर छोड़ दिया जाना चाहिए। फीस ढांचा नियत करते समय समिति को, अन्य बातों के साथ-साथ, संकाय के सदस्यों और अन्य कर्मचारिवृन्द को संदत्त वेतन और पारितोषिक, उनके द्वारा किए गए विनिधान, मुहैया करायी गई अवसररचना और संस्था के भावी विकास की योजना तथा शिक्षा संस्था के प्रसार पर भी विचार करना होगा। भावी योजना और सुविधाओं में सुधार की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। कोई भी संस्था (चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंध में) किसी महंगे उपकरण या (तकनीकी महाविद्यालय के संबंध में) अच्छे कम्प्यूटर के लिए विनिधान के बारे में सोच सकती है। इन बातों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। राज्य को समिति के गठन और उसके सुचारु रूप से कार्य करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए।

150. मेरी राय में, जब इस न्यायालय ने फीस के ढांचे से संबंध में कोई निश्चित दिशा-निर्देश अधिकथित नहीं किए हैं, तो युक्तियुक्त अधिशेष सामान्यतः 6% से 15% तक घट-बढ़ सकते हैं और इस प्रकार इन अधिशेषों का उपयोग शिक्षा प्रणाली के प्रसार और विकास के लिए किया जाए।

151. संस्थाएं नियमों के अनुसार एक वर्ष की ही फीस प्रभारित करेंगी और पूरे पाठ्यक्रम के लिए फीस प्रभारित नहीं करेंगी।

152. मुनाफाखोरी को ब्लैक ला डिक्शनरी के पांचवें संस्करण में इस प्रकार प्रेरिभाषित किया गया है:-

“अत्यधिक लाभ कमाने के लिए असामान्य या आपवादिक परिस्थितियों से फायदा उठाना।”

153. यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा संस्था अपनी सीमा में रहे और मुनाफाखोरी या अन्यथा वित्तीय रूप से अपने छात्रों का शोषण न करने पाए, जब तक इस निमित्त समुचित कानूनी विनियम नहीं बना दिए जाते हैं तब तक कानूनी प्राधिकारी और इसके न होने पर राज्य समुचित निकाय गठित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

154. तथापि, संबंधित संस्थाओं को पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ समिति के समक्ष अवश्य ही समुचित आवेदन फाइल करना होगा और अपने पक्षकथन के समर्थन में अपने सभी दस्तावेजों और लेखा-बहियों को उसके समक्ष रखना होगा।

155. एक बार फीस नियत हो जाने पर सामान्यतः इसमें तीन वर्ष की अवधि तक परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए जब तक कोई विशेष कारण न हो। प्रस्तावित फीस प्रवेशार्थ जारी विवरणिका में उपदर्शित किए जाने से पूर्व अनुमोदन संबंधित प्राधिकारी/स्थापित निकाय द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ आवेदन सुसंगत शिक्षा सत्र के पूर्ववर्ती वर्ष के अप्रैल तक फाइल किया जाना चाहिए। प्राधिकारी/निकाय अधिक-से-अधिक संबंधित वर्ष के अक्टूबर तक प्रभारित की जाने वाली फीस के बारे में विनिश्चय कर लेगा जिससे कि इसे विवरणिका में शामिल किया जा सके। किसी भी संस्था को नियत रकम से अधिक फीस प्रभारित नहीं करनी चाहिए और प्रभारित की गई फीस राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी। दूसरे शब्दों में, कोई भी कर्मचारी या प्रबंधतंत्र द्वारा नियोजित कोई अन्य व्यक्ति सीधे-संबंधित छात्रों से नकद फीस लेने का हकदार नहीं होगा। कानूनी प्राधिकारी, अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय के समुचित विनियम विरचित करने की वांछनीयता पर विचार कर सकता है कि यदि यह पाया जाता है कि किसी प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्था के प्रबंधतंत्र ने समिति द्वारा विहित फीस के अलावा कोई रकम ली है, तो इस प्रकार संगृहीत रकम की दस से पन्द्रह गुना शास्ति संदत्त करनी पड़ सकती है और उपयुक्त मामले में वह अपनी मान्यता या संबद्धता भी खो सकता है।

156. तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ऐसा कोई आदेश पारित किए जाने से पूर्व संबंधित संस्था सुनवाई के अवसर की हकदार होगी। पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ राज्य ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए जहां अनुज्ञात सीमा से अधिक रकम संग्रह की गई है एक तंत्र गठित करेगा क्योंकि यह सामान्य अनुभव की बात है कि छात्र भारी रकम देते हैं।

157. यदि किसी कारणवश फीस लंबी अवधि के लिए पहले ही संगृहीत कर ली गई है, तो इस प्रकार संगृहीत रकम को राष्ट्रीयकृत बैंक में नियत कालिक (सावधि) जमा के रूप में रखा जाएगा और इस पर किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम राशि मंजूर नहीं की जाएगी और उस उद्भूत ब्याज का फायदा संबंधित छात्रों को दिया जाएगा। साधारणतः प्रबंधतंत्र संबंधित छात्रों से एक बंध पत्र भरवाएगा।

सामान्य प्रवेश परीक्षा और सीटों का प्रतिशत

158. पैराग्राफ 48 से 66 “प्राइवेट गैर-सहायताप्राप्त गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्था” शीर्षक के अंतर्गत हैं जबकि पैराग्राफ 67, 68 और 69 “प्राइवेट प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालय” शीर्षक के अंतर्गत हैं। पैराग्राफ 58 और 59 को ध्यान में रखते हुए न्यायपीठ द्वारा व्यक्त विचार अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं दोनों के संबंध में हैं। पैराग्राफ 68 में स्पष्ट शब्दों में व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के प्रयोजनार्थ योग्यता पर बल दिया गया है।

159. तथापि, पैराग्राफ 58 और 59 में भी व्यावसायिक संस्थाओं के संबंध में उल्लेख है यद्यपि चर्चा विभिन्न शीर्षकों के अधीन की गई है। फिर भी, इसमें किए गए विधि के कथन का महत्व कम नहीं होगा।

160. पैराग्राफ 68 में यह नहीं कहा गया कि इसमें किया गया विधि का कथन केवल अल्पसंख्यक वर्गों को लागू होता है। जहां तक स्थानीय आवश्यकताओं के प्रयोजन का संबंध है इसमें अल्पसंख्यक-वर्ग की सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग के गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालय दोनों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत दिए गए हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि पैराग्राफ 68 को अकेले पढ़ा जाए और निर्णय के पैराग्राफ 58 और 59 उक्त प्रयोजनार्थ असंगत हैं। यदि उक्त पैराग्राफों को संयुक्त रूप से पढ़ा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि योग्यता को सर्वोपरि स्थान प्रदान किया गया है। उक्त प्रयोजनार्थ व्यावसायिक और उच्च शिक्षा संस्थाओं को एक ही वर्ग में रखा गया है।

161. एक ओर निर्णय के पैराग्राफ 58 और 59 और दूसरी ओर इसके पैराग्राफ 68 के निष्कर्षों के दृष्टिगत मतभेद उत्पन्न हो गया है। पैराग्राफ 68 में प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों का उल्लेख है और इनके अंतर्गत अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों के महाविद्यालय शामिल हैं जैसाकि निम्नलिखित से प्रकट है :-

“इस प्रयोजनार्थ प्रतिशत सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विहित किया जाना चाहिए और अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त और व्यावसायिक महाविद्यालयों के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत निर्धारित किए जा सकते हैं।” (अधोरेखांकित पर बल दिया गया है)

162. पैराग्राफ 68 में स्पष्टतः यह कहा गया है कि योग्यता की भूमिका अवश्य ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में यह निदेश दिया गया :-

“किसी व्यावसायिक संस्था में प्रवेश की ईप्सा करने और एक सक्षम वृत्तिक बनने के लिए यह आवश्यक है कि कम योग्य किन्तु अधिक प्रभावशाली आवेदकों को अधिमानता देकर योग्य अभ्यर्थियों के साथ न तो अनुचित व्यवहार किया जाए और न ही उन्हें अहितकर स्थिति में रखा जाए। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह अपेक्षित है कि प्रवेश की ईप्सा करने वाले छात्रों

की योग्यता पर विशेष बल दिया जाए। गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में प्रवेश के संदर्भ में इस निर्णय में समुचित मताभिव्यक्तियों की गई हैं।" (अधोरेखांकित पर बल दिया गया है)

163. अतः इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग छात्रों के बीच की परस्पर योग्यता आती है।

164. पैराग्राफ 59 में ऐसा दृष्टांत है कि योग्यता का अवधारण सामान्यतः किस प्रकार किया जाए। यह सही है कि पैराग्राफ 59 निदर्शी प्रकृति का होने के कारण, अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाएं उपलब्ध अन्य विकल्पों से अपवर्जित नहीं हैं किंतु निश्चित ही उलझन पैदा हो गई है क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों को एक साथ मिला दिया गया है।

165. पैराग्राफ 59 में यह उल्लेख है कि दृष्टांत देकर योग्यता का अवधारण कैसे किया जाए। इस प्रकार, इसमें योग्यता अवधारित करने के लिए किसी अन्य रीति को अस्वीकार नहीं किया गया है और इसमें अर्हक परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों को भी शामिल किया जा सकता है। मेरी-राय, में उक्त प्रयोजनार्थ पैराग्राफ 58, 59 और 68 को अवश्यमेव ही प्रभावी बनाया जाए और इन्हें संयुक्त रूप से पढ़ा जाए।

166. पैराग्राफ 68 को पांच भागों में पढ़ा जाए :-

(1) सहायता प्राप्त संस्थाओं की तुलना में गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं को लागू नियमों और विनियमों के संबंध में भिन्नता रखने की ईप्सा की गई। (इससे यह दर्शित होता है कि सहायता प्राप्त संस्थाओं की तुलना में गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश विषयक विनियम कम कठोर होंगे) ;

(2) गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं (अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों) की स्वायत्ता प्रदान करते समय यह आज्ञापक है कि योग्यता के सिद्धान्त को न तो छोड़ा जा सकता है और न ही उसे अनदेखा किया जा सकता है। (इससे यह दर्शित है कि, योग्यता को सम्यक् महत्व दिया जाना चाहिए) ;

(3) मान्यता प्रदान करने का अधिकार रखने वाले विश्वविद्यालय या अन्य कानूनी निकाय योग्यता पर आधारित चयन का उपबंध करने की शर्तें अधिकथित कर सकते हैं। (मेरी राय में, इसका यह अर्थ नहीं है कि मान्यता प्रदान करते समय उन अधिरोपित शर्तों के अलावा कोई अन्य शर्त विधान या अन्यथा द्वारा अधिरोपित नहीं की जा सकती है क्योंकि व्यावसायिक संस्थाओं में शिक्षा प्रदान करने का विषय कानूनों द्वारा शासित होता है। उक्त विस्तार तक यही अर्थ लगाना चाहिए।)

(4) छात्रों को प्रवेश देने के प्रयोजन के लिए प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक महाविद्यालयों के प्रबंधतंत्र को :- (क) स्वयं सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने ; या (ख) राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा को मानने का विकल्प होगा। प्रबंधतंत्र कोटा के छात्रों का प्रवेश प्रबंधतंत्र द्वारा या राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है, यद्यपि एक ही परीक्षा हो सकती है। जहां तक गरीब या समाज के पिछड़े वर्ग के छात्रों का संबंध है, उनकी सीटें राज्य अभिकरण द्वारा काउंसिलिंग के आधार पर भरी जानी चाहिए। (जैसा इसमें इसके पश्चात् की गई चर्चा से प्रकट है, इसे तार्किक निष्कर्ष नहीं माना जा सकता है) ;

(5) प्रबंधतंत्र के कोटा और शेष सीटों का प्रतिशत स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विहित किया जाना आवश्यक है। (तथापि, अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर सहायता प्राप्त, और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं का प्रतिशत भिन्न-भिन्न हो सकता है)।

167. यह कहना सही नहीं कि पैराग्राफ 68 में दो स्थानों पर दो भिन्न-भिन्न पद “निश्चित” और “भिन्न-भिन्न” अर्थ वर्णित होने के कारण इनके दो भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। उन्हें उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। जिसमें उनका प्रयोग किया गया है। तार्किक परिणाम के तौर पर यह कहना भी गलत होगा कि अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त संस्थाएं सभी सीटें अपने समुदाय के छात्रों से भर सकती हैं जबकि गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस तथ्य से कि अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत नियत किया जाए, स्पष्टतः यह दर्शित होना है कि यद्यपि उसके लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत तो विहित किए जा सकते हैं, फिर भी अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायता प्राप्त और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों प्रकार की संस्थाएं योग्यता मानदंड को नजरअंदाज किए बिना इस विहित प्रतिशत तक अपनी रुचि के छात्रों को प्रवेश दे सकती हैं।

168. इस प्रकार, उन अभ्यर्थियों में से आरक्षण किया जा सकता है जिन्हें उपरिवर्णित आधार पर योग्य पाया जाए। उदाहरणार्थ, यदि विद्यालय छोड़ने की परीक्षा या सामान्य प्रवेश परीक्षा के द्वारा 100 छात्र योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण होते हैं, तो निश्चित प्रतिशत छात्रों के लिए आरक्षण किया जा सकता है। तब शेष सीटें उन छात्रों के लिए उपलब्ध हो सकती हैं जो निर्णय के पैरा 68 में यथावर्णित गरीब या समाज के पिछड़े वर्गों के छात्रों को सम्मिलित करते हुए गैर-अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं। इससे न केवल अल्पसंख्यक-वर्ग के उन अभ्यर्थियों जिनके लिए आरक्षण किया गया है, सहित योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश मिल जाएगा अपितु अन्य छात्रों को भी राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार फायदा प्राप्त होगा।

169. यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्था के मामले में सभी सीटें उनके द्वारा अपने समुदाय/भाषा के सदस्यों द्वारा यदि उपलब्ध हो, भरी जा सकती हैं तो यह निर्णय के पैराग्राफ 68 के प्रतिकूल होगा जिसमें निश्चित प्रतिशत का उल्लेख है जो कभी भी शत-प्रतिशत नहीं हो सकता है। पैराग्राफ 68 में प्रयुक्त “भिन्न-भिन्न प्रतिशत” पद से स्पष्टतः यह अभिप्रेत है कि कोई स्थिर नियत प्रतिशत नहीं हो सकता है। किसी मामले में यह 90 प्रतिशत से अधिक हो सकता है जबकि किसी दूसरे में यह 50 प्रतिशत से कम हो सकता है। संस्था की आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न होने चाहिए। इसका अल्पसंख्यक-वर्ग या गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग, सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त से कुछ लेना देना नहीं है।

170. इस संदर्भ में उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले की बनिस्बत उपर्युक्त स्टीफन वाले मामले में न्यायालय का परीशीलन इस संदर्भ में किया जाना चाहिए। विधिक प्रतिपादना के रूप में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्येक मामले में अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाएं योग्यता पर ध्यान दिए बिना अपनी रुचि के छात्रों में से 50 प्रतिशत से अधिक सीटें भरने की हकदार होंगी। इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र भी राज्य द्वारा चलाए जाने वाले या राज्य से सहायता प्राप्त महाविद्यालयों या अन्य प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। सभी सुसंगत मानदंडों पर विचार करते हुए ही प्रतिशत निकाला जाना चाहिए। मेरी सुविचारित राय में, गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं की हमेशा सहायता प्राप्त संस्थाओं से तुलना करना गलत होगा। सेन्ट स्टीफन वाले मामले को उचित परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। उपर्युक्त टी. एम. ए. पई वाले मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि कोई स्थिर (नियत) प्रतिशत नहीं हो सकता है। प्रत्येक मामले पर उसके स्वयं के गुणांगुण के आधार पर विचार करना होगा। संस्था की आवश्यकता पर मुख्य रूप से विचार किया जाना चाहिए। केवल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिशत स्थिर किया जाना चाहिए।

171. व्यावसायिक संस्था में उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ निर्विवादतः योग्यता सुसंगत मानदंड होना चाहिए। जैसाकि निर्णय में देखने में आया, योग्यता विभिन्न तरीकों से अवधारित की जा सकती है (पैरा 59)। फिर भी, ऐसा कोई सुस्पष्ट तरीका नहीं हो सकता है जिसके द्वारा और जिसके अधीन हमेशा के लिए किसी छात्र की योग्यता का निर्धारण सदैव के लिए किया जा सके। तथापि, मात्र इस कारण कि किसी छात्र की प्रगति भिन्न स्थिति में भिन्न समय पर भिन्न हो सकती है, इसे भिन्न समय पर उसकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए भिन्न स्तरमान अपनाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। किसी प्रयोजन के लिए और विशेषकर किसी व्यावसायिक महाविद्यालय में प्रवेश प्रयोजन के लिए योग्यता का निर्धारण यथासंभव रूप में एक ही या समरूप परीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समान रूप से स्थित छात्रों के मध्य परस्पर योग्यता का निर्धारण इसी मानक या स्तरमान को लागू करते हुए किया जाना चाहिए। एक ही छात्र के मामले में भिन्न-भिन्न तरह की परीक्षाएं भिन्न-भिन्न तरह के प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के भिन्न-भिन्न तरीकों से भिन्न-भिन्न परिणाम निकल सकते हैं।

172. तथापि, अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं द्वारा अपने समुदाय के सदस्यों के लिए भी छात्रों का चयन योग्यता के बिना नहीं किया जा सकता है। किसी दी गई स्थिति में ही सामान्य प्रवर्ग की बनिस्बत अल्पसंख्यक समुदाय के कम योग्य अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है; लेकिन उसके लिए प्रतिमान तय करना होगा। उक्त प्रयोजनार्थ विधितः समता के बजाय तथ्यतः समता का सिद्धान्त लागू किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक तरह का विभेद समता खंड का अतिक्रमणकारी नहीं हो सकता है (देखिए प्रदीप जैन बनाम भारत संघ¹ वाला मामला)।

173. यह सत्य है कि कुछ स्व-वित्तपोषित व्यावसायिक संस्थाओं को अपनी प्राइवेट परीक्षा आयोजित करने की अनुज्ञा इसलिए दी गई है ताकि प्रबंधतंत्र राज्य सरकार द्वारा यथानियत अपने प्राइवेट कोटा से अपनी सीटें भर सके। यद्यपि संबंधित सरकारों से अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है फिर भी यह संभव हो सकता है कि इसके लिए उपयुक्त समय नहीं है। जैसे ही निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हों, राज्य/विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षा की जाए। फिर भी, हम अभिलेख पर लाना चाहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य ने हमारे समक्ष एक चार्ट प्रस्तुत किया है जिससे यह दर्शित है कि कुछ छात्र दो परीक्षाओं में शामिल हुए थे और वह छात्र जिसने राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में केवल 8 प्रतिशत अंक प्राप्त किए प्रबंधतंत्र द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। महाराष्ट्र राज्य द्वारा हमारे समक्ष उपरिवर्णित चार्ट से यह प्रकट है कि केवल तीन छात्रों ने जो राज्य और प्रबंधतंत्र दोनों द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे, राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण किया था जबकि प्रबंधतंत्र द्वारा आयोजित परीक्षा में काफी छात्र उत्तीर्ण हुए थे यद्यपि वे सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सके थे। इस प्रकार, अल्पसंख्यक समुदाय या अन्यथा से संबंधित छात्रों की योग्यता की परख और कठोर परीक्षा के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

174. इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें इस तथ्य को अनदेखा नहीं करना चाहिए कि ऐसे छात्र को जो किसी व्यावसायिक महाविद्यालय में प्रवेश लेने की अभिलाषा रखता है। उन प्रतियोगिताओं जिनका उसे सामना करना पड़ता है को देखते हुए यथासंभव कई परीक्षाओं में बैठना पड़ेगा, उक्त प्रयोजनार्थ वह एक राज्य का चयन नहीं कर सकता है/सकती है। कर्नाटक जैसे राज्य में भी, जैसाकि उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में उल्लेख किया गया, बड़ी संख्या में प्राइवेट संस्थाएं मौजूद हैं। किन्तु यदि उन्हें अपनी प्राइवेट परीक्षाएं आयोजित करने की अनुज्ञा दे दी जाती है तो जैसा कि इसमें पहले कहा गया है छात्रों को न केवल भिन्न-भिन्न प्रवेश फार्म जो 500/- रु. से 1000/- रु. के बीच हो सकते हैं खरीदने होंगे,

¹ (1984) 3 एस. सी. सी. 654.

बल्कि उसे उसी दिन या अगले दिन विभिन्न स्थानों पर परीक्षा में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है और दूरी, परिवहन सुविधा और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वह इन परीक्षाओं में भाग नहीं ले सकेगा। एक के बाद एक होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने के प्रयोजनार्थ एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पर भी काफी खर्च करना पड़ेगा। यह निदेश भी नहीं दिया जा सकता है कि ऐसी परीक्षाएं पर्याप्त अन्तराल पर आयोजित की जाएं। तथ्य यह शेष रह जाता है कि इस निर्णय के निबंधनानुसार प्रत्येक राज्य अपनी प्राइवेट परीक्षाएं आयोजित करने का हकदार होगा। हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये अभिकथन किए गए कुछ संस्थाएं तब तक प्रवेश फार्म नहीं बेचती हैं जब तक वे प्रवेश के समय भारी रकम कमाने की बाबत आश्वस्त न हों। यह ठीक है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं को अपनी रुचि के छात्रों को प्रवेश देने के प्रयोजनार्थ अपनी प्राइवेट परीक्षाएं आयोजित करने की अनुज्ञा दे दी है। कुछ संस्थाओं ने यह बताया कि वे ऐसी परीक्षाएं अखिल भारतीय स्तर पर काफी समय से आयोजित करते आ रहे हैं और किसी राज्य या कानूनी प्राधिकारी ने ऐसी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर कभी सवाल खड़ा नहीं किया है। हम उक्त अभिवाक् के औचित्य या अन्यथा की बाबत विचार करना नहीं चाहते हैं। तथापि, यदि ऐसा कोई अवसर आया, तो समुचित निकाय द्वारा उनके मामलों पर अलग से विचार किया जाएगा। अर्हक परीक्षा में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर या अपनी प्राइवेट परीक्षा या राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता अवधारित करने का अधिकार देते हुए योग्यता को तिलांजलि नहीं दी जा सकती है। परस्पर योग्यता निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ भी यथासाध्य अवश्य ही कोई तारीका निकाला जाना चाहिए।

175. इसके अतिरिक्त, प्रश्न सं. 5(क) और (ग) के उत्तरों से यह दर्शित होता है कि अल्पसंख्यक-वर्ग की गैर-सहायताप्राप्त संस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देने के लिए अपनी प्राइवेट प्रक्रिया (तंत्र) विकसित करने का अधिकार है। गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग की व्यावसायिक संस्थाओं के भी ऐसे अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो प्रत्येक गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता या पारदर्शिता सुनिश्चित करे। एक सुझाव पर विचार किया गया कि प्राइवेट संस्थाओं का संगम/परिसंघ बनाया जाए इस प्रकार, यदि संगम/परिसंघ उक्त प्रयोजन के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के बारे में कानूनी प्राधिकारियों या संबंधित राज्य से परामर्श करके इस बाबत विनिश्चय करे, तो अल्पसंख्यक-वर्ग के अधिकार का संरक्षण संभव हो सकता है।

176. यह ध्यातव्य है कि विद्वान् अपर महासालिसिटर श्री आर. एन. त्रिवेदी ने यह निवेदन किया कि केन्द्र सरकार ऐसी अखिल भारतीय परीक्षाएं आयोजित कर सकती है लेकिन जैसाकि श्री वेणुगोपाल ने ठीक ही कहा कि इस बाबत व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। प्रत्येक राज्य की आवश्यकता, का आकलन अलग-अलग किया जाना चाहिए। अनेकों छात्र एक से अधिक राज्य में प्रवेश लेने के अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं। जब तक उसके लिए उचित तंत्र और अपेक्षित अवसरचना सृजित नहीं की जाती है तब तक जैसाकि इस समय सलाह दी गई है, केन्द्र सरकार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं हो सकता है। मामले का एक अन्य पहलू भी है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। एक ऐसा अभिकरण होना चाहिए जो अनेकों परीक्षाओं की समतुल्यता का अवधारण करे। अनेकों विश्वविद्यालयों ने इस तंत्र को अपनाया है। शिक्षा का स्तर एक राज्य से दूसरे राज्य में, विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में और एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में भिन्न-भिन्न होता है। ऐसी स्थिति में, उक्त प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा डिग्री की समतुल्यता पर विचार किया जाना चाहिए।

177. पूर्वोक्त आधार पर, मेरी यह राय है कि अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकार को संरक्षित किया जाए और ऐसी परीक्षाओं को आयोजित करने में निष्पक्षता और पारदर्शिता भी बनाई रखी जाए। यदि

अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाएं अपने या परिसंघ के माध्यम से एक मानीटरिंग समिति के पर्यवेक्षण के अधीन सामान्य परीक्षा आयोजित करने पर एकमत हो जाती हैं, तो (1) रिपोर्ट प्रेषण प्रणाली ; (2) सभी उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखी जाएं और (3) विवाद की दशा में कोई स्वतंत्र अभिकरण इसका अवधारण करे, इन बातों पर गौर करते हुए बाद के प्रक्रम पर सत्यापन किया जाना चाहिए ।

178. यह कोई कहने की बात नहीं है कि स्थानीय आवश्यकताओं के प्रतिनिर्देश करते हुए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में संस्थाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य/विश्वविद्यालय, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा विहित कट-आफ (निश्चित) अंकों से अधिक अंक नियत करने के लिए स्वतंत्र होंगे । जहां तक प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं के परिसंघ/संगम द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित सामान्य प्रवेश परीक्षा का संबंध है, उसके लिए तरीका और विस्तृत प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए जिससे कि छात्रों या संस्थाओं को कोई असम्यक् असुविधा कारित न हो । उदाहरणार्थ, हम यह कह सकते हैं कि यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा परिसंघ/संगम के तत्वाधान में आयोजित की जाती है तो इससे स्पष्टतः यह परिणाम निकलता है कि पहली नजर में धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य इन समुदायों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में ही प्रवेश पाएंगे न कि अन्य समुदायों द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं में । सीटें न भरी जाने की दशा में ही, इन सीटों को उन छात्रों सहित जो संस्था चलाने वाले विशिष्ट समुदाय से संबंध नहीं रखते हैं सामान्य प्रवर्ग के छात्रों द्वारा स्पष्टतः भरी जाएंगी । इसी प्रकार, समिति परीक्षाएं आयोजित करने पर होने वाले खर्चों का ढंग और तरीका, प्रवेश फार्म आदि के बेचने से उपार्जित रकम के संवितरण और प्रभाजन का निर्धारण करेगी ।

179. व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाली अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं को अपनी प्राइवेट परीक्षा आयोजित करने का विधिक या सांविधानिक अधिकार हो सकता है ; लेकिन यह गंभीर रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता है, कि क्या योग्यता आंकने के प्रयोजनार्थ उन्हें राज्य द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा का विकल्प चुनना चाहिए । यदि इस विकल्प को अपनाया जाता है तो यह न केवल छात्रों/अभ्यर्थियों के बीच परस्पर योग्यता के अवधारण में सहायक होगा बल्कि इस को भी उपदर्शित करने के लिए पर्याप्त होगा कि क्यों और किस हद तक अल्पसंख्यक-वर्ग के छात्र बहुसंख्यक-वर्ग के छात्रों से पीछे हैं जिससे कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए विशेष-प्रयास किए जा सकें ।

180. समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए राज्य द्वारा भरी जाने वाली सीटों का कोटा संबंधित राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर नियत किया जा सकता है । समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के संबंध में मानदंड अवधारित करने के लिए मेधावी छात्र की आर्थिक निर्योग्यता सर्वप्रथम आधार होनी चाहिए ।

181. तथापि, यह कहना उपयुक्त नहीं है कि समुचित कानूनी प्राधिकारी विषय पर गंभीरता से विचार करके योग्यता अवधारित करने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त तरीका विहित करने के साथ-साथ ऐसा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीका विहित कर सकते हैं जिसके अनुसार ऐसी परीक्षाएं आयोजित की जा सकें । ऐसी शक्ति विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के अधीन विद्यमान है । सुसंगत अधिनियमितियों, जिनमें इन कानूनी प्राधिकारियों का सृजन किया गया है, में ऐसी विधि का उपबंध है । तथापि, यह मान लें कि ऐसे तंत्र को विकसित नहीं किया जाता है, तो राज्य एक ऐसे निकाय का गठन कर सकता है जिसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो । किसी भी कीमत पर शिक्षा के स्तर की तिलांजलि नहीं दी जाएगी ।

182. इसके अतिरिक्त, कोई भी संस्था यदि वह उचित और समीचीन समझती है, छूट मंजूर करने के

लिए आवेदन कर सकती हैं ताकि वह अपनी प्राइवेट परीक्षा आयोजित कर सके। इस बाबत आवेदन उस पूर्ववर्ती वर्ष के अप्रैल के अंत तक फाइल कर दिया जाना चाहिए जिसमें ऐसी परीक्षा आयोजित की जानी ईप्सित है। पूर्वोक्त निकाय संबंधित संस्था को सुनवाई और अपने पक्षकथन के समर्थन में सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करके ऐसे अभ्यावेदन की प्राप्त की तारीख से तीन मास के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा।

183. तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जैसे अनेक राज्यों ने शिक्षा संस्थाओं को उनके कोटा के अंतर्गत छात्रों को प्रवेश देने के प्रयोजन से अपनी प्राइवेट परीक्षाएं आयोजित करने की अनुज्ञा दे दी है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों से सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने पर जोर दिया है। निम्नलिखित चार्ट से इस बात की झलक मिलती है कि विभिन्न राज्यों ने इस न्यायालय के निर्णय को किस प्रकार अलग-अलग समझा है -

राज्य	सरकार	प्रबंधतंत्र
आंध्र प्रदेश	85%	15%
दिल्ली	95%	15% अधिकतम
गुजरात	85%	15%
हरियाणा	15% अखिल भारतीय इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा	15%
कर्नाटक	75%	70% संयुक्त इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा, 2003
केरल	50%	25%
उड़ीसा	85%	50%
तमिलनाडु	85%	50%
उत्तर प्रदेश	60%	15%
छत्तीसगढ़	85%	40%
महाराष्ट्र	85%	15% (ये सीटें राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा सूची से भी भरी जा सकती हैं)

184. जब तक कोई अत्यावश्यकता न हो सामान्यतः संस्थाओं को अपनी आवश्यकता के आधार पर उच्चतर प्रतिशत पाने वाले छात्रों का प्रवेश देने का अधिकार होगा। तथापि, ऐसे सभी छात्रों को प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। यदि कुछ सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उन्हें नियम निष्तरूप से योग्यता के आधार पर सामान्य प्रवर्ग के छात्रों द्वारा भरा जाए।

185. जैसा कि यहां ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न राज्यों और विभिन्न न्यायालयों ने प्रबंधतंत्र और राज्य के लिए भिन्न-भिन्न प्रतिशत सीटें अधिकथित की हैं। पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान्, काउन्सेलों ने यह निवेदन किया कि यह न्यायालय भविष्य में किसी प्रकार का संविवाद उत्पन्न न हो इस दृष्टि से प्रयोजनार्थ निश्चित प्रतिशत नियत कर सकता है। हमें खेद है कि यह संभव नहीं है। भिन्न-भिन्न

अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा भिन्न-भिन्न संस्थाएं स्थापित की जा सकती हैं। अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकता एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकती है। अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकता का उस राज्य के उस समुदाय के लोगों से संबंध हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह अन्य विभिन्न सुसंगत कारकों पर भी निर्भर होगा। उदाहरणार्थ, हम यह कह सकते हैं कि ऐसे राज्य से जहां विशिष्ट धर्म के लोगों की संख्या 30 या 35 प्रतिशत हैं, वहां उस धर्म के सदस्यों द्वारा स्थापित अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्था में, उस धर्म के लोगों के देखने में जिसकी जनसंख्या नगण्य है उस धर्म को मानने वाले समुदाय के सदस्यों का दावा अधिक होगा। यही बात भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं के मामले में है।

186. सीटों का प्रतिशत किसी विशिष्ट राज्य में समुदाय की आवश्यकता के साथ-साथ स्वयं संस्था की आवश्यकता पर भी आधारित होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति का भी महत्व है। समुचित समिति या निकाय द्वारा इन सभी कारकों पर जब तक इस बाबत कानूनी विनियम विरचित न कर दिए जाएं विचार किया जाना चाहिए।

187. इसके अलावा स्थानीय आवश्यकताओं की बनिस्बत समुदाय की आवश्यकता का निर्णय सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए और असंगत बातों को छोड़ते हुए किया जाना चाहिए। निर्णय के पैराग्राफ 68 के निबंधनानुसार, ऐसे छात्रों जिन्हें गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग के कोटा के अधीन प्रवेश दिया जाना है का प्रतिशत अवधारित करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय आवश्यकता सुसंगत कारक होगा। स्थानीय आवश्यकता यदि यह विशेष राज्य हित में है, तो अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकता के देखने में प्राथमिकता प्राप्त होगी और विषय को ध्यान में रखते हुए विधि की यह प्रतिपादना अधिकथित करना सही नहीं होगा कि राज्य में उस समुदाय की आवश्यकता सर्वोपरि है। इस प्रकार, प्रत्येक मामले पर उसके प्राइवेट गुणागुण के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और इसके लिए कोई कठोर नियम अधिकथित नहीं किया जा सकता है।

188. पूर्वोक्त प्रयोजनार्थ भी, प्रत्येक राज्य को अपना-अपना तंत्र विकसित करना चाहिए और इस तंत्र का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

189. तथापि, ऐसी कोई स्थायी समिति नहीं हो सकती है जो अधिकरण के रूप में कार्य करे। यदि ऐसे किसी निकाय का सृजन किया जाता है तो इसे कानून के अधीन सृजित करना होगा। यह न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायनिर्णयन की शक्ति रखने वाला अधिकरण सृजित करने का निदेश नहीं दे सकता है। यह निदेश केवल अंतरिम प्रकृति का है और सभी संबंधित के हित में जारी किया जा रहा है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय के निबंधनानुसार सृजित निकाय केवल तब तक कृत्य करेगा जब तक कानूनी निकाय, यदि कोई किसी कानून या कानूनी नियमों के कारण अस्तित्व में नहीं आ जाता है। तथापि, विधानमंडल या नियम बनाने वाला प्राधिकारी इसके उचित कार्यकरण की प्रक्रिया अधिकथित कर सकता है।

योग्यता

190. सभी देशों और सभी युगों में सामान्यतः तकनीकी व्यवसाय और विशिष्टतः चिकित्सा व्यवसाय को एक उत्तम व्यवसाय माना गया है। इन व्यवसायों में उत्कृष्टता के लिए बहुत उच्च क्षमतावान् व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और इस कसौटी पर मेधावी छात्र ही खरे उतर सकते हैं। यदि हम बहुत ऊंचा स्तर जो, विकसित देशों के स्तर के बराबर हो, प्राप्त करना चाहते हैं, तो योग्यता और एकमात्र योग्यता ही अभ्यर्थियों के चयन का आधार होनी चाहिए।

191. द्वितीयतः न केवल शिक्षा का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए बल्कि स्तर में एकरूपता बनाए रखने के लिए भी किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों के चयन का अधिकार किसी अकेले

प्रबंधतंत्र के विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। सभी संस्थाओं के लिए एक ही स्तर प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

192. तृतीयतः शिक्षा का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए और उस प्रयोजनार्थ सर्वाधिक योग्य अभ्यर्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए हमारे जैसे गरीब देश में जहां योग्यता की मांग है, ट्यूशन और अन्य फीस आम जनता की पहुंच के भीतर होनी चाहिए।

193. जहां तक अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं का संबंध है, योग्यता मानदंड का मूल्यांकन पिरामिड की तरह करना होगा। किन्डरगार्टन, प्राइमरी, माध्यमिक स्तरों पर अल्पसंख्यक-वर्गों का कोटा शत-प्रतिशत हो सकता है। इस स्तर पर योग्यता का बहुत अधिक महत्व नहीं होता है लेकिन उच्चतर शिक्षा, विशेषकर, व्यावसायिक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा के स्तर पर योग्यता निर्विवादतः सुसंगत कसौटी होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर पर जहां बिल्कुल कम सीटें होती हैं, अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं का विषय में अधिक अधिकार नहीं हो सकता है। उत्कृष्ट व्यावसायिक संस्थाओं से निकलने वाले चिकित्सकों, इंजीनियरों और अन्य वृत्तिकों की सेवाएं सम्पूर्ण देश को प्राप्त होनी चाहिए न कि व्यक्तियों के किसी विशिष्ट वर्ग या समूह को। अल्पसंख्यक-वर्गों सहित सभी नागरिकों को इस निमित्त मूल कर्तव्य प्राप्त है।

मानव अधिकार : योग्यता के आधार पर चयन का पहलू

194. विषय के इस पहलू पर मानव अधिकारों के दृष्टिकोण पर भी विचार किया जा सकता है।

195. एक ओर, अल्पसंख्यक-वर्गों के अधिकार हैं और दूसरी ओर व्यक्तियों का उच्चतर शिक्षा पाने के अधिकार हैं और विकास के अधिकार का इस प्रकार अर्थान्वयन किया जाना चाहिए जिससे कि न्यायालय इसे प्रभावी बना सकें।

196. मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 में 27 अधिकारों का उल्लेख है। शिक्षा का अधिकार भी एक मानव अधिकार है। अनुच्छेद 26 इस प्रकार है :-

“(1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। कम-से-कम प्राथमिक और मूल प्रक्रमों पर शिक्षा निःशुल्क होगी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और वृत्तिक (व्यावसायिक) शिक्षा साधारणतः उपलब्ध करायी जाएगी और उच्च शिक्षा भी सभी व्यक्तियों को सामान्य रूप से योग्यता के आधार पर प्राप्त होगी।

(2) शिक्षा ऐसी हो जो मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करे और मानव अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं की भावनाओं को सुदृढ़ बनाए। यह सभी राष्ट्रों, मूलवंशों और धार्मिक समूहों के बीच समादर, सहिष्णुता और मैत्री को बढ़ावा दे और शान्ति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों को अग्रसर करे।

माता-पिता को यह चयन करने का पूर्णाधिकार है कि उनकी संतान को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए।” (अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

197. शिक्षा में विभेद के विरुद्ध कन्वेंशन (1960) का अनुच्छेद 3 इस प्रकार है :-

“अनुच्छेद 3 में जहां आवश्यक हो विधान द्वारा यह सुनिश्चित करने की वचनबद्धता है कि शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश में कोई विभेद न किया जाए; स्कूल फीस और छात्रवृत्ति देने के विषय में योग्यता या आवश्यकता के आधार के सिवाय राष्ट्रियों के बीच लोक प्राधिकारियों द्वारा कोई भिन्न बर्ताव न किया जाए और अपने राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले विदेशी राष्ट्रियों को शिक्षा की वही स्वतंत्रता दी जाए जो अपने स्वयं के राष्ट्रियों को प्राप्त है।”

198. पूर्वोक्त अधिकारों के अलावा, विकास का अधिकार भी मानव अधिकार है। “विकास” से सतत प्रक्रिया अभिप्रेत है। आर्थिक समृद्धि या गरीबी उन्मूलन ही प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य नहीं हैं बल्कि इसके साथ यह व्यक्तियों को सरकार की प्रक्रिया में भाग लेने की दृष्टि से गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनुज्ञात करता है ताकि वे अपनी पहचान और संस्कृति सुरक्षित रख सकें।

199. हम विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1986 का उल्लेख करना चाहेंगे। घोषणा में विकास चहुंमुखी आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में वर्णित है। जिसका उद्देश्य लोगों और व्यक्तियों की प्रक्रिया में सक्रिय स्वतंत्र और अर्थपूर्ण भागीदारी के आधार पर उनके क्षेम की निरंतर अभिवृद्धि है।

200. शिक्षा में विभेद के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन में राज्य पक्षकारों ने [अनुच्छेद 5(ग)] के प्रति इस बाबत सहमति व्यक्त की कि “राष्ट्रिक अल्पसंख्यक-वर्गों के सदस्यों द्वारा अपने निजी शिक्षा क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत स्कूलों का रख-रखाव और प्रत्येक राज्य की शिक्षा नीति के आधार पर उनकी अपनी भाषा का प्रयोग या शिक्षण सम्मिलित है, करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करना” और उन परिस्थितियों का उपवर्णन करना आवश्यक है जिनमें इस अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। मानव अधिकारों पर यूरोपीय कन्वेंशन में एक उपबंध (अनुच्छेद 14) है जिसमें “राष्ट्रीय अल्पसंख्यक-वर्ग के सहयोजन से” उन अनेक आधारों में के एक आधार के रूप में सूचीबद्ध है जिस पर विभेद प्रतिषिद्ध है। वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा में अल्पसंख्यक-वर्गों के व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित एक अनुच्छेद सम्मिलित है जो इस प्रकार है :-

“अनुच्छेद 27. उन राज्यों में जिनमें जातीय, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक-वर्ग विद्यमान हैं ऐसे अल्पसंख्यक-वर्गों के व्यक्तियों को अपने समूह के अन्य सदस्यों के साथ अपनी निजी संस्कृति का आनन्द लेने, अपने निजी धर्म को मानने और उस पर आचरण करने या अपनी निजी भाषा का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।”

201. संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के विनिश्चयों में जिनमें, जातीय, धार्मिक या भाषाई समूहों के लिए विशेष संरक्षण संबंधी उपायों के प्रश्न पर विचार किया गया है, महासभा के तीन संकल्प इस प्रकार हैं :- (1) फिलिस्तीन की भावी सरकार से संबंधित, (2) पूर्ववर्ती इटली की कालोनियों के निस्तारण के प्रश्न से संबंधित और (3) इरीट्रिया के प्रश्न के संबंध में। इसके अलावा 4 अप्रैल, 1950 को न्यासी परिषद् द्वारा अनुमोदित येरुशलम शहर के कानून में मानव अधिकारों और स्वतंत्रताओं, विधायी परिषद्, न्याय प्रणाली, राजभाषा और कामकाज की भाषा, शिक्षा प्रणाली तथा सांस्कृतिक और परोपकारी संस्थाओं और प्रसारण और दूरदर्शन की चर्चा के साथ-साथ अनुच्छेदों जातीय, धार्मिक अथवा भाषाई समूहों के लिए विशेष संरक्षण संबंधी उपाय उपबंधित हैं।

202. उपर्युक्त लिखतों और विनिश्चयों के पाठों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि “अल्पसंख्यक-वर्ग” पद अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों के इन दो सुभिन्न प्रवर्गों को लागू होता है :- (क) अल्पसंख्यक-वर्ग जिसके सदस्य प्रभावशाली समूहों के साथ विभेद न किए जाने की दृष्टि से समता की वांछ करते हैं; और (ख) वे वर्ग जिसके सदस्य विभेद न किए जाने की दृष्टि से प्रभावशाली समूहों के साथ समता से और कतिपय विशेष अधिकारों की मान्यता की वांछ करते हैं और कतिपय सकारात्मक सेवाएं प्रदान करते हैं। “अल्पसंख्यक-वर्ग के अधिकार” से वह अधिकार अभिप्रेत है जिसका दावा करने के हकदार हैं और राज्य के अंतर्गत समता सभी यथार्थरूप में संभव है जब इसमें निम्न एक या अधिक बातें सम्मिलित हों :-

(क) अल्पसंख्यक-वर्ग के लिए पर्याप्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा उसकी अपनी भाषा और अपनी सांस्कृतिक परंपरा का उपबंध ;

(ख) स्कूलों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, जनसंपर्क माध्यमों और अन्य सांस्कृतिक और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रचालन के माध्यम से अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्कृति के अनुरक्षण के लिए उपबंध ;

(ग) अल्पसंख्यक-वर्ग द्वारा विधानमंडल में, न्यायालयों के समक्ष और प्रशासन में मौखिक या लिखित रूप में अपनी भाषा के प्रयोग और उस भाषा का व्यक्तिगत बातचीत में प्रयोग करने का अधिकार देते हुए उसे, (अल्पसंख्यक-वर्ग को) पर्याप्त सुविधाओं का उपबंध ;

(घ) अल्पसंख्यक-वर्ग की कुटुम्ब विधि और वैयक्तिक प्रास्थिति और उनके धार्मिक आचरण और हितों के प्रति सम्मान के लिए उपबंध ; और

(ङ) कुछ हद तक स्वायत्तता का उपबंध ।

203. ऐसे कई क्षेत्रों जिनमें संघर्ष चल रहा है को सुरक्षित किए जाने की ईप्सा की गई । विकसित और विकासशील देशों के बीच असमानता बढ़ती जा रही है । जहां कुछ देशों में लाखों लोगों को गरीबी से ऊपर उठने और गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को कम करने के लिए त्वरित आर्थिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वहीं काफी देशों में इस प्रकार की असमानता बढ़ी है और गरीबी बढ़ती जा रही है । मानव अधिकारों की बनिस्बत विकास और गरीबी के उन्मूलन को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए ।

204. अल्पसंख्यक-वर्ग और गैर-अल्पसंख्यक-वर्ग दोनों द्वारा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के साथ-साथ अनुच्छेद 30 में भी है । इन अधिकारों पर निर्बंधनों और परिसीमाओं की बनिस्बत इन अधिकारों का अर्थान्वयन न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए बल्कि मानव अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय संधि, घोषणा और कन्वेंशन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । अल्पसंख्यक-वर्ग का अधिकार मानव अधिकार के साथ-साथ विकास का अधिकार भी है । इस प्रकार, युक्तियुक्त निर्बंधनों के अध्येधीन रहते हुए व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने वाली कोई भी गैर-सहायता प्राप्त संस्था यद्यपि प्रबंधन और फीस अवसंरचना के अवधारण की बाबत अधिक स्वायत्तता का प्रयोग करती है किंतु जहां तक छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार का संबंध है उसे सीमित अधिकार प्राप्त है । उपर्युक्त टी. एम. ए. फाउन्डेशन वाले मामले में यह कहा गया है कि योग्यता ही कसौटी है । विश्व व्यापार संगठन और "गेट" में विकास के अधिकार का उल्लेख है । इसमें वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था को खोल देने की बाबत चर्चा है । देश के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्टता की बाबत विचार करना चाहिए । अन्य विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता में उतरने के लिए भारत सकल घरेलू उत्पाद दर 5% के बजाय लगभग 15% होनी चाहिए । यह दर केवल तभी संभव है जब होनहार छात्र निकल कर बाहर आएँ और होनहार छात्र तभी तैयार हो सकते हैं, जब व्यावसायिक शिक्षा देने वाली उत्कृष्ट संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाए । इस प्रकार, बेहतर योग्यता रखने वाले छात्रों को प्रोत्साहन देने का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था और परिणामतः देश के राष्ट्रहित से है । मानव अधिकार के दृष्टिकोण से विकास के अधिकार का अर्थान्वयन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए । जहां दो प्रतिस्पर्धी मानव अधिकार अर्थात् धार्मिक अल्पसंख्यक-वर्गों के मानव अधिकार और विकास का मानव अधिकार हों, वहां छात्रों को प्रवेश देने के मामले में देश के आर्थिक और राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए विकास के मानव अधिकार को आधारभूत अल्पसंख्यक-वर्ग के अधिकार के संरक्षण के अध्येधीन रहते हुए अभिभावी होने के लिए अनुज्ञात किया जाना चाहिए । राज्य को इन दोनों प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच उचित संतुलन बनाए रखना होगा । इसके अतिरिक्त, छात्रों को प्रवेश देने के अधिकार पाठ्यक्रमानुसार और विषयानुसार भिन्न-भिन्न हो सकता है ।

स्नातकोत्तर प्रक्रम पर केवल एक या दो सीटें हो सकती हैं, ऐसी स्थिति में छात्र को प्रवेश देने की बाबत अल्पसंख्यक-वर्ग की संस्थाओं का अधिकार गैर-व्यवसायिक पाठ्यक्रम के बजाय कम हो सकता है।

205. नानी पालकीवाला ने कहा कि “समुचित शिक्षा सभ्यता का मार्ग प्रशस्त करने वाली होनी चाहिए”। हाल ही में कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य¹ वाले मामले में इस न्यायालय की न्यायपीठ ने मन्न बनाम इलिनाइस² वाले मामले में “जीवन (प्राण)” क्या है के बारे में न्यायमूर्ति फील्ड के इन विचारों को उद्धृत किया :-

“मात्र पशुवत अस्तित्व से कुछ अधिक और प्राण हरण के विरुद्ध निषेध उन सभी सीमाओं और क्षमताओं तक जिनके द्वारा जीवन का आनन्द लिया जाता है।”

इसमें यह उल्लेख है :-

“विकासशील देशों में विकास का अधिकार स्वयं में एक मानव अधिकार है। यह विश्व व्यापार संगठन और ‘गैट’ का एक भाग है। मत्सुसिता चोयेबाम और माउरोडिस कृत “वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन ला प्रैक्टिस एंड पालिसी” (आक्सफोर्ड) के पृष्ठ 389 पर यह कहा गया है :-

“संयुक्त राष्ट्र ने विकास के मानव अधिकार के अस्तित्व को उद्घोषित किया है। इस अधिकार में न केवल आर्थिक विकास बल्कि मानवीय कल्याण जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और अन्य भिन्न प्रकार की मानव आवश्यकताओं सहित मानव कल्याण के प्रति भी निर्देश है। विकास के इस मानव अधिकार को अस्पष्टतः तथाकथित तीसरी-पीढ़ी के मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसे सिविल और राजनीतिक मानव अधिकारों की तरह लागू नहीं किया जा सकता है। बल्कि राज्यों और अंतःसरकारी संगठनों का यह कर्तव्य है कि वे अभावग्रस्त देशों के कष्टों और गरीबी पर विजय पाने के लिए अपने प्राधिकार के भीतर कार्य करें।” (अधोरेखांकित पर बल दिया गया)

206. शिक्षा द्वारा गरीबी पर काफी हद तक विजय पाई जा सकती है।

207. वैश्वीकरण और खुला बाजार को ध्यान में रखते हुए, राज्य यह आशा करता है कि विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय और शिक्षा संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय चलते रहें। विश्व व्यापार संगठन और ‘गैट’ के अधीन मानव विकास ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। साधारणतः समाज में रहने वाले लोगों के उत्तम जीवन की कल्पना की जाती है।

208. उक्त परिदृश्य में इस न्यायालय ने उपर्युक्त कपिला हिंगोरानी वाले मामले में यह मत व्यक्त किया:-

“भारत के राज्य कल्याणकारी राज्य हैं। वे संविधान के सांविधानिक उपबंधों विशेषकर भाग 4 जिसमें राज्य की नीति के निदेशक तत्व और भाग 4क जिसमें मूल कर्तव्य अधिकथित हैं, को ध्यान में रखते हुए मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आबद्ध हैं।”

209. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव विकास के संवर्द्धन और मानव अधिकारों के परिरक्षण और संरक्षण का स्रोत एक ही है। दोनों से लोगों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने, समाज में व्यक्ति की भलाई

¹ जेटी 2003 (5) एस. सी. 1.

² (1877) 94 यू. एस. 113.

और गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। मानव अधिकार के रूप में मानव विकास का मानव-मात्र की क्षमताओं में वृद्धि के साथ ही उन कामों को जिन्हें वे कर सकते हैं, के क्षेत्र से सीधा संबंध है। मानव विकास अंततः समाज के हित में है और वृहत् परिप्रेक्ष्य में इसमें राष्ट्र का भी हित है। मानव अधिकार की भांति मानव विकास का क्षेत्र भी व्यापक है। उदाहरणार्थ व्यावसायिक शिक्षा में उत्कृष्टता चाहे यह चिकित्सा, इंजीनियरी या विधि की पढ़ाई हो। इन क्षेत्रों में प्रगति और विकास से न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा अपितु इससे भारत के लोगों का जीवन-स्तर भी बेहतर बनेगा।

210. उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय ने अल्पसंख्यक-वर्ग की शिक्षा संस्थाओं सहित प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त संस्थाओं से मेधावी छात्र, विशेषकर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए मेधावी छात्रों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का आह्वान किया। अनुच्छेद 26 में यथाअन्तर्विष्ट उच्च शिक्षा योग्यता पर आधारित होनी चाहिए। इस प्रकार, किसी अन्य नागरिक की बनिस्बत अल्पसंख्यक-वर्गों के प्रतिस्पर्धा मानव अधिकारों में उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

211. इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 51 (ज) में अन्य बातों के साथ-साथ भारत के प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य बताया गया है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उत्कृष्टता और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें।

212. उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में इस न्यायालय ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा कि व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए योग्यता प्रथम कसौटी होगी। इन अतिरिक्त कारणों की सहायता से इसे पूर्ण प्रभावी बनाया जाए।

मान्यता/संबद्धता

213. यद्यपि अल्पसंख्यक-वर्गों को अपनी निजी रुचि की संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है, फिर भी, स्वीकार्यतः उन्हें उक्त प्रयोजन के लिए मान्यता या संबद्धता का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें विधि की अपेक्षाओं और अन्य शर्तों जो समुचित सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा युक्तियुक्ततः नियत की जा सकती हैं को पूरा करना चाहिए।

214. उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले में यह अधिकथित किया गया कि मान्यता प्रदान करते समय छात्रों को प्रवेश देने और परीक्षाएं आयोजित करने के तरीके के संबंध में कतिपय शर्तें अधिरोपित की जा सकती हैं। श्री नरीमन ने यह प्रश्न उठाया कि एक बार मान्यता प्रदान किए जाने के पश्चात् आगे कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किए जा सकते हैं। हम इससे सहमत नहीं हैं। इस देश में कुछ ऐसी भी संस्थाएं हैं जो शताब्दी से अधिक पुरानी हैं। यह कहने की अधिक आवश्यकता नहीं कि मात्र इस कारण कि संस्था को काफी समय पूर्व मान्यता/संबद्धता प्राप्त हो गई है, इसलिए समुचित सरकार कालान्तर के कारण परिवर्तन की आवश्यकता के बावजूद कोई नई शर्त अधिरोपित करने की बाबत कोई विधि अधिकथित करने की अपनी शक्ति से वंचित हो जाती है। इसके अलावा, संसद और राज्य विधानमंडल उन निर्बंधनों जो राष्ट्रहित/लोक हित और अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (6) अनुच्छेद 30 के निर्बंधनानुसार विनियमों की कसौटी पर खरे उतरते हैं, के दृष्टिगत अपनी शक्ति से वंचित नहीं हो जाते हैं तथापि, हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि राज्य/विश्वविद्यालय मान्यता/संबद्धता प्रदान करते समय अपनी प्राइवेट आवश्यकताओं को अग्रसर करने के लिए या राज्य की नीति के निदेशक तत्व के अनुसरण में कोई शर्त अधिरोपित नहीं कर सकते हैं।

उपसंहार

215. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्यारह न्यायाधीशों वाले न्यायापीठ के निर्णय का निर्वचन करने के लिए संविधानपीठ का गठन करना पड़ा। संभवतः भारत के न्यायिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। इतना ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तथ्य के बावजूद कि मामला निर्णय के अर्थान्वयन का है हम सब सभी बिन्दुओं पर सहमत नहीं हो सके। निर्वचन के नाम पर कुछ हद तक चाहे थोड़ा ही सही हमको निर्णय फिर से लिखना पड़ा। हमने नई विधि अधिकथित की और संविधान के अनुच्छेद 142 के निबंधनानुसार तात्पर्यित निदेश जारी किए। हमने उपर्युक्त टी. एम. ए. पई फाउन्डेशन वाले मामले का निर्वचन ही नहीं किया, हमने इसे प्रभावी बनाने का भी प्रयास किया। कुछ क्षेत्रों में यह संभव हुआ, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में ऐसा संभव नहीं हो सका।

216. हम इस प्रक्रम पर इस संबंध में कोई राय व्यक्त करना नहीं चाहते हैं कि क्या मामूली कीमत पर सरकारी भूमि प्रदान करना या प्राइवेट संस्थाओं को सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं प्राप्त करने की अनुज्ञा देना सहायता देने की कोटि में आएगा या नहीं। हमने प्रति-साहायिकी पर भी कोई राय व्यक्त नहीं की है।

217. भारत के बड़े न्यायालयों का कार्य संविधान और कानूनों का निर्वचन करना है। वे पक्षकारों द्वारा फाइल किए गए शपथपत्रों के आधार पर और उनके काउन्सेलों को सुनने के उपरांत कोई सुदृढ़ प्रणाली विकसित नहीं कर सकते हैं। कानूनी निकायों को जिनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता है इस न्यायालय द्वारा किए गए निर्वचन के आधार पर उलझाऊ, समस्याओं के कतिपय ब्यौरे अवश्य देने चाहिए। यह प्रत्याशा की जाती है कि कानूनी निकाय अपने कर्तव्यों जिनके लिए उनकी स्थापना की गई है का निर्वहन करने में समर्थ होंगे। यदि निर्णय के लागू किए जाने की बाबत थोड़ी समस्या पैदा होती है तो न्यायालय का दरवाजा हर समय नहीं खटखटाना चाहिए। न्यायालय की अपनी प्राइवेट सीमाएं होती हैं। ऐसी समस्याएं जिनका समाधान परामर्श द्वारा निचले स्तर पर निकाला जा सकता है, को न्यायालय में नहीं लाया जाना चाहिए। मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए हमने पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए समितियां गठन करने का निदेश देना ठीक समझा।

218. वर्तमान सांविधानिक ढांचे के अंतर्गत संविधान की सूची -1 की प्रविष्टि 66 को ध्यान में रखते हुए राज्य की विधायी शक्ति बहुत सीमित है और इस शक्ति के हद का अवधारण समुचित मामलों में किया जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों में राज्य का दखल भी कम नहीं है। राज्य को रोजगार के स्रोत पैदा करने वाली अपनी निजी नीतियां विकसित करनी चाहिए।

219. हमने राज्यों द्वारा विरचित ऐसी कई स्कीमों का परिशीलन किया जिनके निबंधनानुसार रोजगार पैदा करने के लिए प्राइवेट उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं और यदि स्नातकों को रोजगार दिया जाता है, और करों में कमी का प्रस्ताव है। अतः संबंधित राज्यों को तात्त्विकता प्रमाणपत्र देते समय अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि उसे मानव संसाधन विकास समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इस बाबत ठोस नीतिगत विनिश्चय करने के लिए कानूनी निकायों को भी व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की अनुज्ञा देते समय संबंधित राज्य सरकारों की बातों पर भी ध्यान देना होगा। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

220. अतः इन स्पष्टीकरणों के साथ अंतर्वर्ती आवेदनों का निपटारा किया जाता है। रिट आवेदनों को अब निपटारे के लिए समुचित न्यायापीठों के समक्ष रखा जाए। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में खर्च के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

आवेदनों का तदनुसार निपटारा किया गया।